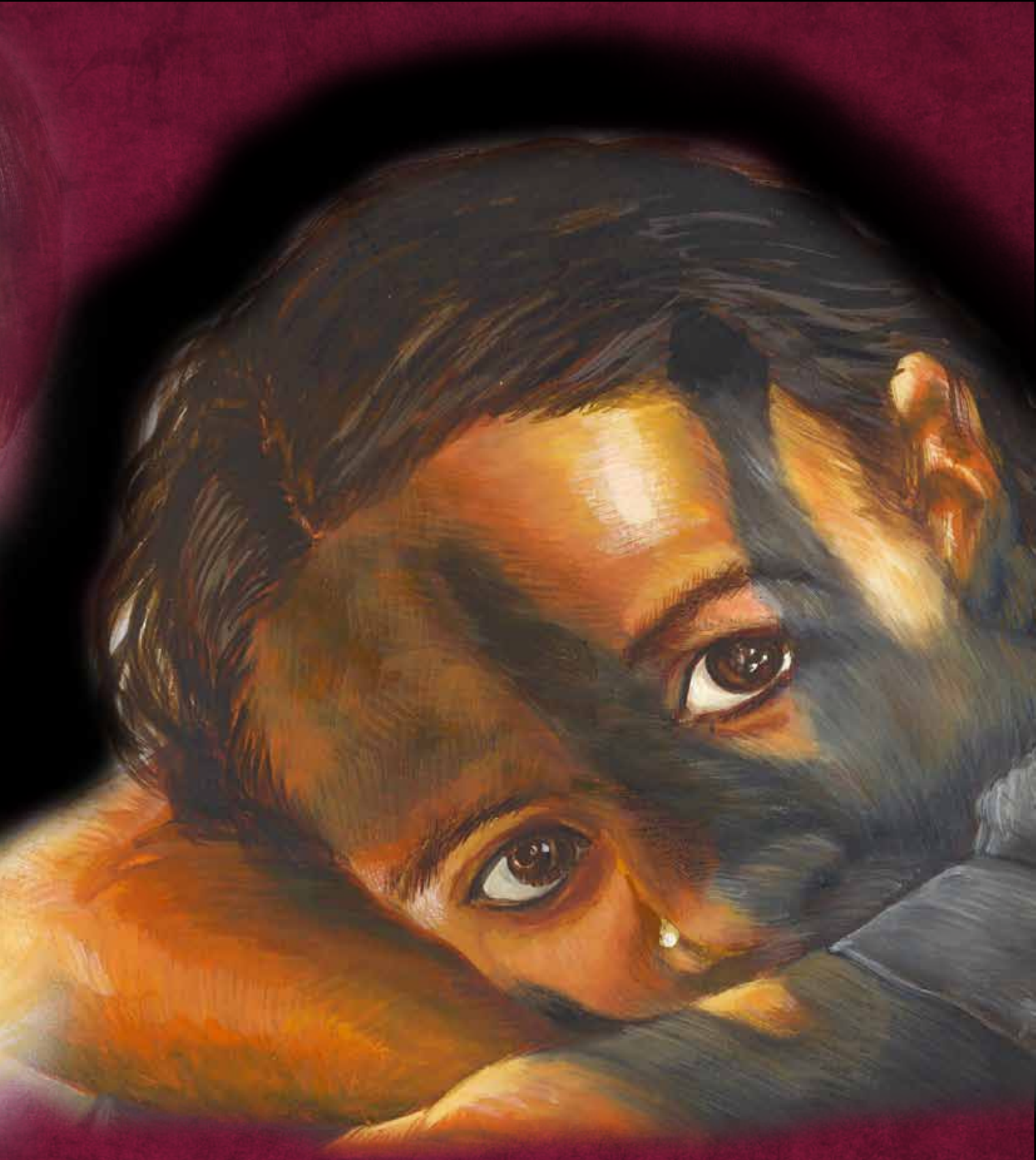

बाल व्यापार के विरूद्ध संघर्ष

एक प्रशिक्षण पुस्तिका

बाल व्यापार के विरूद्ध संघर्ष – एक प्रशिक्षण पुस्तिका

© सीएसीटी 2007

आप इस पुस्तिका के किसी भी भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्रोत का उल्लेख करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस पुस्तिका के किसी हिस्से या समग्र अंतर्वस्तु के अनुवाद के लिए आपको हक़ : सेन्टर फॉर चाइल्ड राइट्स तथा कैम्पेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग, नैशनल सेक्रेटेरिएट से अनुमति लेनी होगी।

हक़ : सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स

B1/2, भूमि तल

मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017

टेलीफोन +91 11 26673599, 26677412

टेलीफैक्स +91 11 26674688

ईमेल : info@haqcrc.org /

वेबसाइट् : www.haqcrc.org

अथवा

कैम्पेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग, नैशनल सेक्रेटेरिएट

ईमेल : cact@vsnl.net

वेबसाइट् : www.cactindia.in

आई.एस.बी.एन 81-901638-8-4

लेखन | भारती अली
इनाक्षी गांगुली ठुकराल

शोध | विजेता सिंह
भारती अली

हिन्दी अनुवाद | योगेन्द्र दत्त

चित्र | चोएताली रे चौधुरी

मुद्रण | एसपायर डिज़ाइन

यह पुस्तिका टेरे डेस होम्स (जर्मनी) भारत कार्यक्रम / बीएमज़ेड की सहायता से तैयार की गई है।

भूमिका

पूरे मार्च और अप्रैल 2006 में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के ख़िलाफ़ मानव व्यापार के मामले में सांठ–गांठ के आरोप समाचारों में छाए हुए थे। इस केस की सीबीआई जांच चल रही है। अभी यह मामला ठंडा पड़ा भी नहीं था कि जम्मू–कश्मीर में यौन घोटाले में कई जाने–माने राजनीतिज्ञों और सरकारी अफसरों के ख़िलाफ़ आरोप लगने लगे। और फिर आया निठारी कांड, जिसमें बच्चों के यौन–शोषण के साथ–साथ अंग व्यापार की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इस क्रम में सबसे हालिया मामला गुजरात के राजनेता बाबूभाई कटारा का है जो एक महिला और बच्चे को अपनी बीवी–बच्चा बनाकर चोरी–छीपे देश के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे।

मानव व्यापार एक संगठित अपराध है। इस अपराध से जुड़े लोग सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के साथ सांठ–गांठ कर या उनके संरक्षण में अपना काम करते हैं। अनुमान है कि नशीली दवाओं और हथियारों के व्यापार के बाद, मानव व्यापार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अवैध व्यापार है।

इसमें कोई शक नहीं कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दी गई 'बच्चों' की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (यानी बच्चे) काफ़ी नाजुक तथा संवेदनशील स्थिति में होते हैं और उन्हें आसानी से शोषण व व्यापार का शिकार बनाया जा सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाल–व्यापार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इससे पीड़ित बच्चों के लिए वयस्कों से कुछ भिन्न तथा विशेष क़ानून, नीतियाँ एवं पुनर्वास का दृष्टिकोण होना महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है।

बच्चों का व्यापार इसलिए होता है क्योंकि उनकी मांग है और उनकी आपूर्ति करना बहुत आसान है। वे सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होते हैं। उन्हें बहला–फुसलाकर, ज़ोर–ज़बर्दस्ती करके या अन्य अनैतिक तरीकों से ख़रीदा और बेचा जा सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने के बाद अपराधी और पीड़ित, दोनों को एक ही वाहन में ले जाया जाता है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद केस की सुनवाई "इन कैमरा" (कैमरे के सामने) नहीं होती। कायदे से अपराधी और पीड़ित के बीच पर्दा या ओट होनी चाहिए या फिर विडियो कान्फ्रैंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु इन नियमों का भी प्रायः पालन नही होता। या तो मजिस्ट्रेट के पास इन बातों की जानकारी ही नहीं होती या फिर अदालतों के पास ज़रूरी बुनियादी ढांचा या साधन नहीं होते।

श्रम आयुक्तों के लिए भी छापे मारना और बच्चों को बरामद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बचा लिए गए बच्चों को किस तरह की देखभाल या सुरक्षा प्रदान की जाए, इस पर वे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यह रवैया दिल्ली में ज़री–कारखानों से बचाए गए बच्चों के मामले में अकसर देखा गया है। आज के सबसे ताक़तवर संचार माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी शोषण के शिकार बच्चों के चेहरे दिखाना ज़रूरी है न कि केस की जानकारी देना, या उसकी बारीकियों पर ध्यान देना। उनका काम तो बस कहानी को सनसनीखेज़ बनाकर पेश करना है ताकि वे अपराध के स्थान को फिल्म सकें।

जब भी हम मानव व्यापार संबंधी तथ्यों और हस्तक्षेपों का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं तो यह बात साफ दिखायी देती है कि उसमें बाल व्यापार पर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के लिए सज़ा दिलाना भी कोई आसान काम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारे देश में बाल व्यापार की कोई स्पष्ट और मुकम्मल क़ानूनी परिभाषा नहीं है। दूसरी ओर, क़ानून को लागू करने वाली एजेंसियां, न्यायपलिका और मीडिया के लोग भी जब बाल–व्यापार के मामलों को उठाते हैं तो उनके भीतर संवेदनशीलता की पूर्णतया कमी नज़र आती है।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित क़ानूनों और वैधानिक कार्रवाई से संबंधित क़ानूनी जागरूकता के अभाव में न तो लोग क़ानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की मांग कर पाते हैं और न ही बच्चों की मदद के लिए की गई कोशिशें सफल हो पाती हैं।

एक ऐसी दुनिया जो बच्चों के लिए उपयुक्त है... कब, कहां और कैसे ? यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर इस कठिन परिस्थिति में कोई सचमुच बच्चों की मदद करने की ठान लेता है, तो उसके लिए संबंधित क़ानूनों की जानकारी बहुत जरूरी है। बाल–व्यापार को रोकना तथा बाल सुरक्षा एवं पुर्नस्थापना संबंधी किसी भी कार्य को स्थापित क़ानून, नीतियों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार ही होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संस्थानों ने मानव व्यापार के बारे में कई मैन्युअल तैयार किए गए हैं। लेकिन ऐसे दस्तावेज़ों का केन्द्रबिंदु वे महिलाएँ और लड़कियाँ हैं जो देह व्यापार की शिकार हैं यानी जिनका व्यावसायिक यौन शोषण होता है। मानव व्यापार के बारे में कुछ सामग्री यूनिसेफ तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं और मेडिकल अफसरों की ट्रेनिंग को ध्यान में रखकर भी तैयार की गई है।

इस पुस्तिका को बाल–व्यापार के मुद्दे पर काम करने वालों की भूमिका व कार्य–प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें बाल व्यापार संबंधी क़ानूनों व क़ानूनी कार्रवाइयों की समझ विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही बाल–व्यापार से पीड़ित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर रोशनी डालने का प्रयास किया गया है, विशेष रूप से वे अधिकार जो देश के क़ानून और अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शिका द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं।

इसकी शुरूआत 'हक़ः सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स' द्वारा उस समय की गई थी जब वह कैम्पेन अगेंस्ट चाइल्ड टैफ़िकिंग (सी.ए.सी.टी.) का नैशनल सेक्रेटेरिएट था। यह अंतर्राष्ट्रीय कैम्पेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग (आई.सी.ए.सी.टी.) के अंतर्गत, बी.एम.ज़ेड तथा टेरे डेस होम्स (जर्मनी) की मदद से सी.ए.सी.टी. द्वारा 2005–06 में तैयार की गई ट्रेनिंग श्रृंखला का एक हिस्सा है। उस समय दो अलग–अलग पुस्तिकाएँ बनाने का विचार था – एक राष्ट्रीय क़ानूनों पर और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं पर। किन्तु अंतिम रूप में इस पुस्तिका में दोनों को ज़रूरत के अनुसार शामिल कर लिया गया है जिससे इस मुद्दे पर पूर्ण समझ बन सके। पुस्तिका के कई प्रारूपों के परीक्षण के बाद ही इसे अंतिम व वर्तमान रूप दिया गया। इसमें सबसे पहला योगदान मुंबई स्थित बाल अधिकारों पर कार्यरत एडवोकेट माहरूख़ अदेनवाला का रहा। पुस्तिका से संबंधित शोध कार्य सुश्री विजेता सिंह द्वारा किया गया, जो उस समय हक़ में प्रोग्राम अफ्सर के रूप में सी.ए.सी.टी. का कार्यभार देख रही थीं। शोध से हासिल जानकारी को समय–समय पर अपडेट किया गया क्योंकि इस बीच कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी फेर–बदल हुआ। पुस्तिका के दौरान क़ानूनी योगदान व सुझावों के लिए हम नन्दिनी रामचन्द्रन के आभारी हैं। यह पुस्तिका दो वर्ष के अध्ययन का नतीजा है।

पुस्तिका के विभिन्न प्रारूपों को कई प्रशिक्षण कार्यशालाओं में इस्तेमाल किया गया और सभी सहभागियों द्वारा सराहा गया। पुस्तिका का एक प्रारूप सी.आर.आई.एन. (क्रिन) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमें आशा है कि आप इसकी उपयोगिता पर अपनी प्रतिक्रिया और विचार हमें ज़रूर लिख भेजेंगे।

भारती अली

इनाक्षी गांगुली ठुकराल

विषय सूची

भाग 1

बाल व्यापार

सोच और समझ 2–9

भाग 2

बाल व्यापार के स्वरूप और उद्देश्य

माध्यम और स्वरूप में अन्तर 10–15

भाग 3

बाल व्यापार के मामलों में हस्तक्षेप

मूल आधार 16–23

भाग 4

क़ानूनी हस्तक्षेप से पूर्व

नागरिक/सामाजिक कार्यकर्ता/एनजीओ की भूमिका

जांच–पड़ताल और बचाव कार्य के लिए आवश्यक सूचना 24–29

भाग 5

बाल व्यापार पर क़ानूनी कार्रवाई

प्रक्रिया संबंधी कानून 30–43

भाग 6

क़ानूनी प्रावधान और उनका सद्उपयोग

केस दर्ज करवाने के लिए कुछ जानकारी एवं सुझाव 44–57

भाग 7

पीड़ितों की सहायता एवं सुरक्षा

मानवाधिकार दृष्टिकोण का प्रयोग 58–67

2006 में

बाल-व्यापार

संबंधित

बाल अपहरण

के 3549

मामले दर्ज

किए गए

बाल व्यापार

सोच और समझ

इंसानों की ख़रीद–फ़रोख़्त कोई नई घटना नहीं है। इंसानों – औरतों, बच्चों और मर्दों – को क़ैद करके या ख़रीद कर या किसी और तरह सदियों से बाज़ारों में बेचा जाता रहा है। लेकिन पिछले एक दशक में मानव व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब यह दुनिया के सबसे तेज़ी से फैलते और शायद सबसे आकर्षक आपराधिक व्यवसायों में तब्दील हो चुका है।

लोगों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर, दोनों पैमानों पर चलता है। उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी बेचा जाता है। लेकिन मानव व्यापार तथा संबंधित पहलुओं से जुड़े आंकड़ों में भारी फ़र्क़ है।

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में 10 से 40 लाख तक लोग ख़रीदे और बेचे जाते हैं।[1] औरतों और बच्चों के व्यापार में सालाना 10 अरब डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं।[2] इन आंकड़ों में ऐसे पीड़ित शामिल नहीं हैं जिनको देश की सीमा के भीतर ही बेच दिया जाता है।

मीनू की उम्र 18 साल है। उसे 13 साल की छोटी सी उम्र में ही दक्षिण 24 परगना से लाकर दिल्ली के एक चकलाघर में बेच दिया गया था। वह किसी जान–पहचान वाले के ज़रिए यहां लायी गई थी। शुरू में वह यही सोचती थी कि उसे जिस "नौकरी" के लिए यहां लाया था वह यही नौकरी है। कुछ इसी तरह बहलिया, नेपाल की रहने वाली मीता गुरुंग सऊदी अरब जा पहुंची जहां वह रोज़ 15 घंटे गुलामों की तरह घरेलू नौकरी करती थी और हर रोज़ उसकी आंखों में उंगलियां घुसेड़ी जाती थीं।

वासुदेव शेफाली, 'गर्ल्स फ़ॉर सेल', इंडिया टुडे, 13 अक्तूबर 2003.

भारत में

- भारत में बाल मज़दूरों की संख्या 12.6 करोड़ (भारत सरकार) से 10 करोड़ (गैर सरकारी स्त्रोत) के बीच है।
- हर साल 44,000 से भी ज्यादा बच्चों के ग़ायब होने की रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है जिनमें से लगभग 11,000 ही बरामद हो पाते हैं।[3]
- एक मोटा–मोटी अंदाज़े के मुताबिक हर रोज़ लगभग 200 लड़कियां व औरतें वेश्यावृत्ति की दुनिया में दाख़िल हो रही हैं। उनमें से 20 फ़ीसदी की उम्र 15 साल से भी कम होती है।

इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेच दिए जाते हैं!

1 www.globalfundfor women.org

2 कॉम्बेटिंग चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग, सांसदों के लिए हैंडबुक संख्या 9, यूनिसेफ एवं आईपीयू, 2005. www.unicef.org/protection/ files/child_trafficking_handbook.pdf

3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित गुमशुदा बच्चों पर एक समिति की रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ताः पी.सी. शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं समिति अध्यक्ष, .www.nhrc.in

मानव व्यापार क्या है ?

हाल ही तक, यानी साल 2000 तक मानव व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई एक परिभाषा नहीं थी। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में उसको अलग–अलग ढंग से परिभाषित किया जाता था (देखें परिशिष्ट 1)।

साल 2000 में युनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस ऐण्ड पनिश ट्रेफ़िकिंग इन पर्सन्स, एस्पेशियली वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन (पालेरमो प्रोटोकॉल) को लागू किया गया था। इसके ज़रिए मानव व्यापार को पहली बार एक संगठित अपराध तथा मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में परिभाषित किया गया।

इसमें मानव व्यापार को इस प्रकार परिभाषित किया गया था :

"शोषण के उद्देश्य से धमकी या बल–प्रयोग या किसी और तरह की ज़ोर–ज़बर्दस्ती, अपहरण, जालसाज़ी, धोखाधड़ी, सत्ता के दुरुपयोग या किसी की संकटग्रस्त परिस्थितियों के दुरुपयोग या पैसे अथवा अन्य लाभ के ज़रिए किसी और व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति हासिल करके मनुष्यों की भर्ती, यातायात, स्थानांतरण, उन्हें छिपाने या उनकी प्राप्ति।

शोषण का मतलब है न्यूनतम स्तर पर, किसी को वेश्यावृत्ति में धकेलने या अन्य प्रकार के यौन शोषण, जबरिया श्रम या सेवाओं, ग़ुलामी या उससे मिलते–जुलते व्यवहारों का शिकार बनाने, या अंग निकाल लेने से होगा।

सहमति को बच्चों के मामले में बेमानी माना जाता है। अगर उपरोक्त में से कोई भी तरीका इस्तेमाल किया गया है तो वयस्कों के मामले में भी सहमति अप्रासंगिक हो जाती है।"

अगर पीड़ित ने सहमति दी हो तो ? क्या बच्चे सहमति दे सकते हैं ?

बहुत सारे पीड़ित एफ़आईआर के शुरुआती चरण में अपनी रज़ामंदी दे देते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती है या झूठ बोलकर उनका विश्वास जीत लिया जाता है।

लेकिन मानव व्यापार के अपराधियों के ख़िलाफ़ चलने वाले मुकदमे कई बार सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि सहमति के वास्तविक स्वरूप को साबित करने के लिए ज़रूरी साक्ष्य हासिल करना बहुत कठिन होता है। दूसरी ओर, बहुत सारे देशों की संवैधानिक तथा अन्य मानवाधिकार सुरक्षाओं में भी इस बात का प्रावधान होता है कि जिन पर मानव व्यापार का आरोप लगाया जा रहा है वे अपने बचाव में सहमति की संभावना पेश करने में सक्षम हों। इसीलिए प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अगर परिभाषा में उल्लिखित किसी भी अनुचित साधन (जैसे ज़बर्दस्ती, जालसाज़ी, धोखाधड़ी) का इस्तेमाल किया गया है तो बाद में होने वाले शोषण की दृष्टि से किसी भी तरह की सहमति अप्रासंगिक मानी जाएगी।

18 साल से कम उम्र के बच्चे वैध सहमति नहीं दे सकते। इसलिए, शोषण के मकसद से बच्चों को भर्ती, परिवहित स्थानांतरित करने, रखने या प्राप्त करने को भी बाल व्यापार की श्रेणी में रखा जाएगा चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों न अपनाया गया हो।

(स्रोत : संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), 17 अगस्त 2005 | http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_victim_consents.html

जब आपको कहीं मानव व्यापार की आशंका दिखाई दे तो इन तीन पहलुओं पर संजीदगी से ध्यान दीजिए :

क्रिया व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, छिपाना, हासिल करना या प्राप्ति

साधन धमकी, बल–प्रयोग, ज़बर्दस्ती, अगवा करना, जालसाज़ी, धोखाधड़ी, मानव व्यापारियों द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग, पीड़ित की कमजोर स्थिति का फ़ायदा उठाना, भुगतान या लाभ देना या लेना, या कोई और फ़ायदा

उद्देश्य शोषण, जिसमें किसी को वेश्यावृत्ति में धकेलना या अन्य प्रकार के यौन शोषण, जबरिया श्रम या सेवाओं, ग़ुलामी या उससे मिलते–जुलते व्यवहारों का शिकार बनाना, या अंग निकाल लेना शामिल है। जब हमें किसी मामले में ये तीनों तत्व दिखाई देते हैं तो उस मामले को स्पष्ट रूप से 'ट्रेफ़िकिंग' का मामला माना जा सकता है।

बाल व्यापार क्या है ?

यदि पालेरमो प्रोटोकॉल में दी गई मानव व्यापार की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (यूएनसीआरसी) के अंतर्गत दी गई 'बच्चे' की परिभाषा को केंद्र में रखकर संशोधन कर लिया जाए तो वह बाल व्यापार की परिभाषा बन जाती है।

यदि इस परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनों स्तर पर चलने वाले संगठित अपराध को समाहित कर लिया जाए तो यह परिभाषा और समावेशी बन जाती है।

बाल व्यापार की ऐसी ही एक समावेशी परिभाषा हासिल करने के लिए कुछ कोशिशें की गई हैं। मसलन :

सीएसीटी की परिभाषा[4]

"18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को क़ानूनी या गैर–क़ानूनी तरीक़े से देश के अंदर या सीमा पार, धमकाकर या ज़ोर ज़बर्दस्ती या अन्य दबाव से/अगवा करके/छल कपट या धोखा या फरेब से/झूठ बोलकर या बहला फुसला कर/अपने बल या क्षमता का प्रयोग करके या उस व्यक्ति की कमजोरी और संवेदनशीलता का फ़ायदा उठाकर/नकद राशि के आदान–प्रदान के जरिए या अन्य किसी लाभ के प्रलोभन के द्वारा उसकी सहमति लेकर उसे प्राप्त करना, भर्ती करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अंतरित करना या एक जगह रोक कर रखना, उसका शोषण करने के इरादे से या फिर यह जानते हुए कि यह सब उसके शोषण का कारण बन सकता है या इस तरह उसके शोषण की पूरी संभावना है।"

सेव दि चिल्ड्रन अलायंस की कार्यात्मक परिभाषा[5]

"किसी व्यक्ति को जबरिया नौकरी (घरेलू, यौन या प्रजनन संबंधी) में रखने, जबरिया या बंधुआ मज़दूरी कराने, ग़ुलामी जैसी अवस्था में रखने या फर्जी तौर पर गोद लेने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर या आर–पार बच्चों (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते और/या संबंधित देश के राष्ट्रीय क़ानूनों में दी गई परिभाषा के अनुसार) सहित किसी भी व्यक्ति की भर्ती, यातायात, स्थानांतरण, छिपाने या प्राप्ति के लिए जालसाज़ी, ज़ोर–ज़बर्दस्ती (बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी या अपनी सत्ता के दुरुपयोग सहित), या कर्ज़ बंधुआ मजूदरी जिसमें पैसे का लेन–देन हुआ हो या न हुआ हो।"

शब्दों की व्याख्या

1. **भर्ती** – बच्चे को सर्कस, विद्रोही टुकड़ी, ऊंट दौड़ या किसी भी ऐसे काम के लिए भर्ती किया जा सकता है जो क़ानूनी या गैरक़ानूनी हो सकता है।

यह भर्ती निम्नलिखित के माध्यम से हो सकती है –

- व्यक्तिगत संपर्क
- एजेंसियां
- विज्ञापन/इंटरनेट
- अपहरण/हिंसा की धमकी या ज़बर्दस्ती के अन्य रूप जैसे कर्ज बंधुआ या धोखे से सहमति ले लेना जिसमें अच्छी नौकरी का भरोसा दिया जा रहा हो या ऐसा आशय व्यक्त किया जा रहा हो।

कई बार भर्ती की प्रक्रिया भर्ती किए जा रहे व्यक्ति की इच्छा पर आधारित दिखायी पड़ सकती है। लेकिन बच्चे के मामले में इच्छा का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि बच्चों की भर्ती अकसर उनके मां–बाप द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग या किसी और तरह की धोखाधड़ी के चलते होती है।

इस तरह की परिस्थिति में अधिकारों का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है। मिसाल के तौर पर, जब मां–बाप अपने बच्चे को काम पर भेजने का फैंसला करते हैं तो बच्चे की बजाय मां–बाप के अधिकार ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह सत्ता उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब बच्चे पर अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति ट्रैफ़िकिंग के लिए बच्चे की भर्ती पर सहमति देता है या इस प्रक्रिया में ख़ुद शामिल होता है।

4 बाल व्यापार विरोधी अभियान (सीएसीटी), अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यापार विरोधी अभियान (आईसीएसीटी) का हिस्सा है जिसे जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय टेरे डेस होम्स (टीडीएच) फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया था और उसका समन्वय टीडीएच (जर्मनी) के द्वारा किया गया। भारत में, सीएसीटी ने बाल व्यापार पर अपनी कार्यकारी परिभाषा विकसित करने क लिए जून 2001 में पालेरमो प्रोटोकॉल की परिभाषा में कुछ संशोधन किए थे।

5 ट्रेनिंग मैन्युअल फ़ॉर कॉम्बेटिंग ट्रैफ़िकिंग इन वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन, www.un.or.th/TraffickingProject/trafficking_manual.pdf

स्थानः लोगों को सिनेमा हॉल, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सड़कों और उनके घरों आदि विभिन्न स्थानों पर भर्ती किया जाता है। इसके अलावा कैफ़े, रेस्तराँ, सौंदर्य प्रतियोगिताएँ, मसाज पार्लर तथा ब्यूटी पार्लर्स के ज़रिए भी यह काम चलता है। प्रांतीय और राष्ट्रीय हाइवे, खदान और निर्माण कार्यस्थल तथा ऐसे सभी स्थानों पर मानव व्यापार की आशंका रहती है जहां विस्थापित लोग बिना पुनर्वास के रहते हैं।

समयः कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि बाल व्यापार के अपराध में लिप्त लोग बच्चों की भर्ती के लिए कुछ ख़ास समय तय करते हैं। वे मुश्किल वक्त का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे या तो कटाई के सीज़न से पहले या सूखे के दौरान अपना दाँव खेलते हैं जब बहुत सारे स्थानीय लोग रोज़ी–रोटी के लिए यहां–वहां हाथ मार रहे होते हैं (एचआरडब्ल्यू 1995)। मानव व्यापारी इस बात का भी पता रखते हैं कि कौन से इलाके गहन गरीबी से जूझ रहे हैं या कहां–कहां वायुमंडलीय, आर्थिक अथवा राजनीतिक संकट पैदा हो रहे हैं (जॉन्स्टन एवं ख़ान 1998 : 53; आईएसएस 2003ए)। वे त्यौहारों के समय भी बच्चों को भर्ती करते हैं (आईएसएस 2003ए एवं 2003सी)।

स्रोत : एनएचआरसी, यूनिफ़ेम, आईएसएस, रिपोर्ट ऑन ट्रैफ़िकिंग इन वीमैन ऐण्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, 2002–2003

2. **परिवहन** – किसी बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को ऐसी स्थिति में बाल व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है जब यह काम बल–प्रयोग से किया गया हो, जैसे अपहरण के मामले में या जब बच्चा किसी भय के चलते यात्रा कर रहा हो या उसकी सहमति धोखे से हासिल की गई हो। एजेंट और दलाल बच्चे की आज़ादी छीनकर और घर लौटने की संभावना ख़त्म करके उसकी आवाजाही भी ख़त्म कर सकते हैं। परिवहन के दौरान या उसके बाद बच्चे का यौन उत्पीड़न या बलात्कार भी हो सकता है। देश के भीतर बच्चों की ट्रैफ़िकिंग के लिए बस, नाव, रेलगाड़ी, ट्रक, टैम्पो आदि परिवहन साधनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बाल व्यापार में ट्रैफ़िकिंग और तस्करी के दौरान उन्हें वायु अथवा समुद्री मार्ग से दूसरे देश में ले जाया जाता है। नेपाल और बंगलादेश से भारत आने वाले बच्चों को वायु या समुद्री मार्ग से लाने की ज़रूरत नहीं होती। इस क्षेत्र में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफ़िकिंग में सड़क, रेल और जलमार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह परिवहन क़ानूनन या गैरक़ानूनी यानी फर्ज़ी दस्तावेज़ों के ज़रिए भी हो सकता है।

3. **स्थानांतरण** – कई बार ट्रैफ़िकिंग के शिकार व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उन्हें बार–बार बिचौलियों या दलालों के पास बेचा जाता है और काफ़ी समय बाद वे अपनी अंतिम मंज़िल तक पहुंचते हैं। ट्रैफ़िकिंग के हालात में बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह गोपनीय रूप से, बच्चे की जानकारी के बगैर या जबरन, धमका कर तथा हिंसा व दुरुपयोग के अन्य साधनों के ज़रिए ले जाया जा सकता है।

4. **छिपाना** – ट्रैफ़िकिंग के संदर्भ में इसका आशय किसी को क़ैद में रखने से होता है।

5. **कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाना** – ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफ़िकिंग के लिए बल प्रयोग ही किया जाए। ट्रैफ़िकिंग की परिभाषा में इस बात को चिन्हित किया गया है कि ख़रीदे–बेचे गए बहुत सारे लोगों को उनका कोई घनिष्ठ संबंधी ही बताता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें मां–बाप, पति अथवा पत्नी या समुदाय के मुखिया आदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गुमराह किया जा सकता है जिस पर वे विश्वास रखते हैं। ऐसे हालात में लोगों के पास सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य या ऐसे क़ानूनी साधन नहीं होते जिनके सहारे वे ऐसी सलाह या आदेशों को खारिज कर सकें। फलस्वरूप वे हालात के सामने "समर्पण" कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे ट्रैफ़िकिंग के शिकार माने जाएंगे।

6. **प्रोक्योरमेंट** – किसी बच्चे को ख़रीदने और बेचने या अपहरण, धमकी, बल–प्रयोग अथवा ज़ोर–ज़बर्दस्ती के किसी अन्य रूप, धोखाधड़ी या जालसाज़ी के माध्यम से शोषण के लिए अपने कब्ज़े में लेना।

7. **हित–साधन** – का मतलब है बच्चे के बदले में मिलने वाला फ़ायदा (पैसे या किसी और रूप में)।

गौर करने लायक बातें :

हर तरह की ट्रैफ़िकिंग शोषण का ही एक रूप होती है लेकिन हर तरह का शोषण केवल ट्रैफ़िकिंग का परिणाम नहीं होता।

मिसाल के तौर पर यौन शोषण, कर्ज बंधुआ मज़दूरी या अन्य प्रकार की बंधुआ मज़दूरी, जबरिया मज़दूरी, दासता, ऊंट दौड़, भीख मंगवाने, मादक पदार्थों को मंगाने–भिजवाने, गैरक़ानूनी रूप से गोद लेने आदि विभिन्न प्रकार के शोषण के लिए ट्रैफ़िकिंग हो सकती है।

दूसरी तरफ, बच्चों का आर्थिक शोषण हमेशा केवल ट्रैफ़िकिंग का परिणाम नहीं होता।

ट्रैफ़िकिंग और आप्रवासन या तस्करी के बीच फ़र्क होता है। हालांकि इन शब्दों को अकसर एक–दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ऐसा करना ग़लत है।

मानव व्यापार	=	शोषण
	परंतु	
सभी प्रकार का शोषण	=	मानव व्यापार
सभी प्रकार का आप्रवासन	=	मानव व्यापार
सभी प्रकार की तस्करी	=	मानव व्यापार

आप्रवासन का मतलब आमतौर पर अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने से होता है। यह आवाजाही एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से किसी दूसरे देश में हो सकती है। यह आवाजाही मौसमी और फलस्वरूप तात्कालिक भी हो सकती है तथा स्थायी भी। जब लोग अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो यह प्रक्रिया क़ानूनी भी हो सकती है और गैरक़ानूनी भी। क़ानूनी अप्रवासियों के पास ज़रूरी दस्तावेज़ और कागज़ात रहते हैं जबकि गैरक़ानूनी आप्रवासी चोरी–छिपे, पासपोर्ट वीज़ा आदि क़ानूनी दस्तावेज़ों के बिना या फर्ज़ी दस्तावेज़ों के सहारे सीमा पार करते हैं।

आप्रवासन की प्रक्रिया में पैदा होने वाली रुकावटों के कारण भी लोगों को आप्रवासन के दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जो गैरक़ानूनी होते हैं। मानव तस्करी भी आप्रवासन का ही एक गैरक़ानूनी तरीका है। इसे आप्रवासन

तस्करी या आप्रवासियों की तस्करी (माइग्रेंट स्मगलिंग) भी कहा जाता है। तस्करी को वस्तुओं/लोगों के सीमा–पार गैरक़ानूनी आयात या निर्यात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह क्रिया चोरी–छिपे, सीमा शुल्क चुकाए बिना या किसी क़ानून का उल्लंघन करते हुए, उचित क़ानूनी दस्तावेज़ों के बिना या फर्ज़ी दस्तावेज़ों के सहारे चलती है। इस प्रक्रिया में गैरक़ानूनी ढंग से सीमा पार कराने के लिए आम तौर पर संबंधित व्यक्ति से पैसे लिए जाते हैं। यहां तस्करी करने वाला और जिसकी तस्करी की जा रही है, दोनों के बीच एक आपसी समझदारी होती है और दोनों पक्ष एक–दूसरे के हितों पर सहमत होते हैं। इसीलिए मानव तस्करी में ज़ोर–ज़बर्दस्ती या धोखाधड़ी की ज़रूरत नहीं होती।

मानव तस्करी और मानव व्यापार के बीच तीन बुनियादी फ़र्क

सहमति

ग्राहकों/आप्रवासियों की तस्करी में ग्राहक/आप्रवासी तस्करी के लिए सहमति दे चुके होते हैं। दूसरी तरफ, मानव व्यापार के शिकार व्यक्ति ने या तो कभी भी सहमति नहीं दी होती है

या

अगर उन्होंने शुरुआती दौर में सहमति दी भी थी तो वह सहमति ट्रैफ़िकिंग करने वाले अपराधियों द्वारा की जाने वाली ज़ोर–ज़बर्दस्ती, धोखाधड़ी या दुराचारों के कारण निरर्थक हो जाती है।

शोषण

जैसे ही ग्राहक/आप्रवासी अपनी मंज़िल पर पहुंच जाते हैं, तस्करी की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ, मानव व्यापार में पीड़ितों का लगातार शोषण चलता है ताकि अपराधियों को किसी न किसी तरह गैरक़ानूनी ढंग से लाभ मिलता रहे।

अंतर्राष्ट्रीयता

तस्करी हमेशा राष्ट्रीय सीमाओं के आर–पार चलती है जबकि मानव व्यापार के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है।

पीड़ितों को चाहे एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाए या उन्हें देश के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, ट्रैफ़िकिंग पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

(स्रोत : संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), 17 अगस्त 2005

http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_victim_consents.html

ट्रैफ़िकिंग का आशय बल प्रयोग या धमकी, जालसाज़ी या धोखाधड़ी के ज़रिए किसी व्यक्ति का शोषण करने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से होता है। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति/व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। लेकिन, बच्चों के मामले में ऐसी सहमति का कोई मतलब नहीं होता। जहां तक वयस्कों की बात है, उनके मामले में भी ऊपरी तौर पर जो सहमति दिखाई देती है वह अकसर धोखाधड़ी या फुसलावे का नतीजा होती है इसलिए उसे सचेत सहमति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और फलस्वरूप उसे चयन के अधिकार का परिणाम भी नहीं माना जा सकता।

व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो तस्करी के ज़रिए बाहर भेजे गए आप्रवासियों के मुकाबले ट्रैफ़िकिंग के शिकार व्यक्ति ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों को दोबारा संकट में फंसने तथा अन्य प्रकार के दुराचार से बचाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है।

तस्करी, मानव व्यापार और आप्रवासन के बीच फ़र्क़ दर्शाने के लिए यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

उदाहरण 1

पंजाब का होशियारपुर ज़िला बच्चों को फ़्रांस भेजने के मामले में राज्य का सबसे बदनाम ज़िला बनता जा रहा है। अच्छी कमाई और शानो–शौकत भरी ज़िंदगी की चाह लोगों को बाहर ले जाने वाला एक अहम कारण रही है। पिछले सालों में होशियारपुर और पेरिस के ट्रेवल एजेंटों के बीच एक ताक़तवर गठजोड़ बन चुका है। इस ज़िले के कई मां–बाप ट्रेवल एजेंटों के साथ बाकायदा सौदा करके अपने नाबालिग बच्चों को पेरिस भिजवा चुके हैं। ये बच्चे झूठे पासपोर्ट और कागज़ों के सहारे वहां जाते हैं। एक बार पेरिस पहुंचने के बाद ट्रेवल एजेंट उनके सारे कागज़ात छीन लेते हैं। इन कागज़ों का इस्तेमाल अगले बच्चे को लाने के लिए किया जाता है। पेरिस में पहुंचने के बाद इन बच्चों को हवाई अड्डे या सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। अगर किस्मत अच्छी है तो बच्चा गैरक़ानूनी तौर पर मज़दूरी करके पेट पालने लगता है और सस्ते, अमानवीय दड़बों में ज़िंदगी बसर करने लगता है। ज़ाहिर है ऐसे बच्चों के साथ यौन दुराचार कोई बड़ी बात नहीं है। महज़ मुट्ठी भर ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी सुधार गृहों या बाल संरक्षण गृहों तक जा पहुंचते हैं। 2–8 लाख रुपए तक अदा करने के बाद उनके घर वाले भी उन्हें वापस नहीं बुलाना चाहते। लेकिन फ़्रांस का क़ानून बच्चों के प्रति संवेदनशील है इसलिए वहां बच्चे की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। नतीजतन, बच्चे भी वापस नहीं लौटना चाहते।

व्याख्या : इसमें कोई शक नहीं कि आप्रवासन मनुष्य का एक अधिकार है और दूसरे देश में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को ऐसा करने से नहीं रोका जाना चाहिए लेकिन अगर कोई नक़ली दस्तावेज़ों के सहारे दूसरे देश में जाता है तो यह तस्करी का मामला बन जाता है और उसे 'आप्रवासियों की तस्करी'[6] की संज्ञा दी जा सकती है।[6]

उदाहरण 2

कई बार बच्चों और उनके परिवार वालों को बहकाने के लिए ट्रेवल एजेंट यूरोप में अच्छी नौकरी या बेहतर शिक्षा या बेहतर जीवन का भी लालच देते हैं। उनके इन झूठे आश्वासनों के पीछे सिर्फ़ अपने मुनाफ़े का उद्देश्य काम करता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि यूरोप में पहुंचने के बाद बच्चे का क्या हश्र होगा। हो सकता है कि बच्चे का शोषण करके वे पैसे के साथ–साथ दूसरे फ़ायदे भी उठाना चाहते हों। मिसाल के तौर पर, वे उन्हें यूरोपीय देशों के गैरक़ानूनी श्रम बाज़ार में झोंक सकते हैं या लंबे मुनाफ़े के लिए यौन शोषण पर मजबूर कर सकते हैं। कई बार तो ट्रेवल एजेंट बच्चों को आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इस तरह यूरोप जाने वाले बहुत सारे बच्चों को नशीली दवाइयां ले जाने या अवैध चीज़ों की तस्करी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

व्याख्या : धोखाधड़ी, जालसाज़ी, बच्चों का शोषण तथा ट्रेवल एजेंटों का मुनाफ़ा, मानव व्यापार के ये सभी तत्व ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए ये तस्करी की घटनाएं नहीं हैं भले ही इस बात का लाख दावा किया जाए कि बच्चे, उनके घर वाले और ट्रेवल एजेंटों ने आपस में एक सहमति के आधार पर ऐसा किया था। ये सारी घटनाएं सीधे–सीधे बाल व्यापार की घटनाएं हैं।

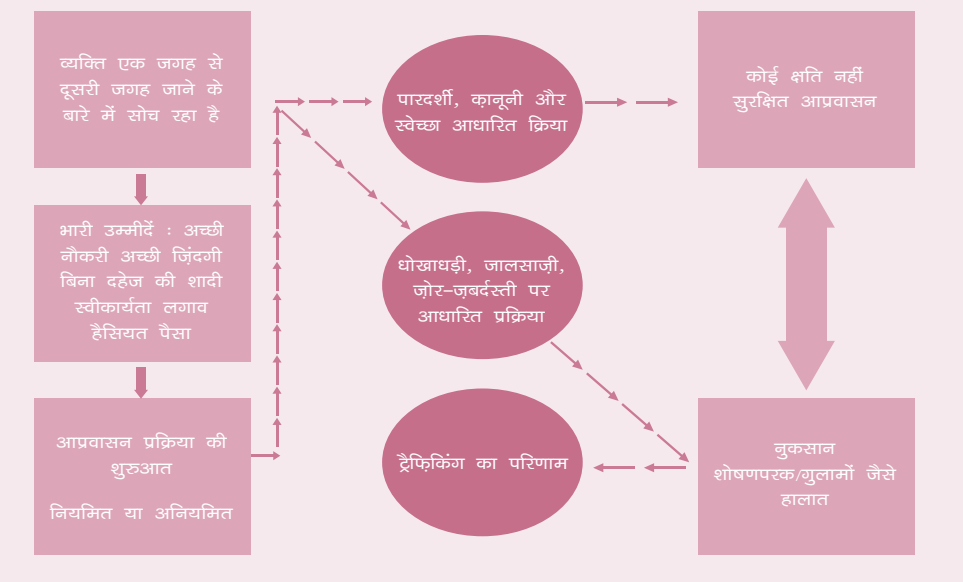

स्रोत : माइक डॉट्रिज, फण्डामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग, स्टॉप, बाल व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ओसनाब्रूएक, जर्मनी में पेश किया गया पर्चा, 2–4 नवंबर 2004.

6 देखें, युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनैशनल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की पूरक प्रोटोकॉल – युनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल ऑन स्मगलिंग ऑफ माइग्रेट्स बाई लैंड, सी ऐण्ड एयर।

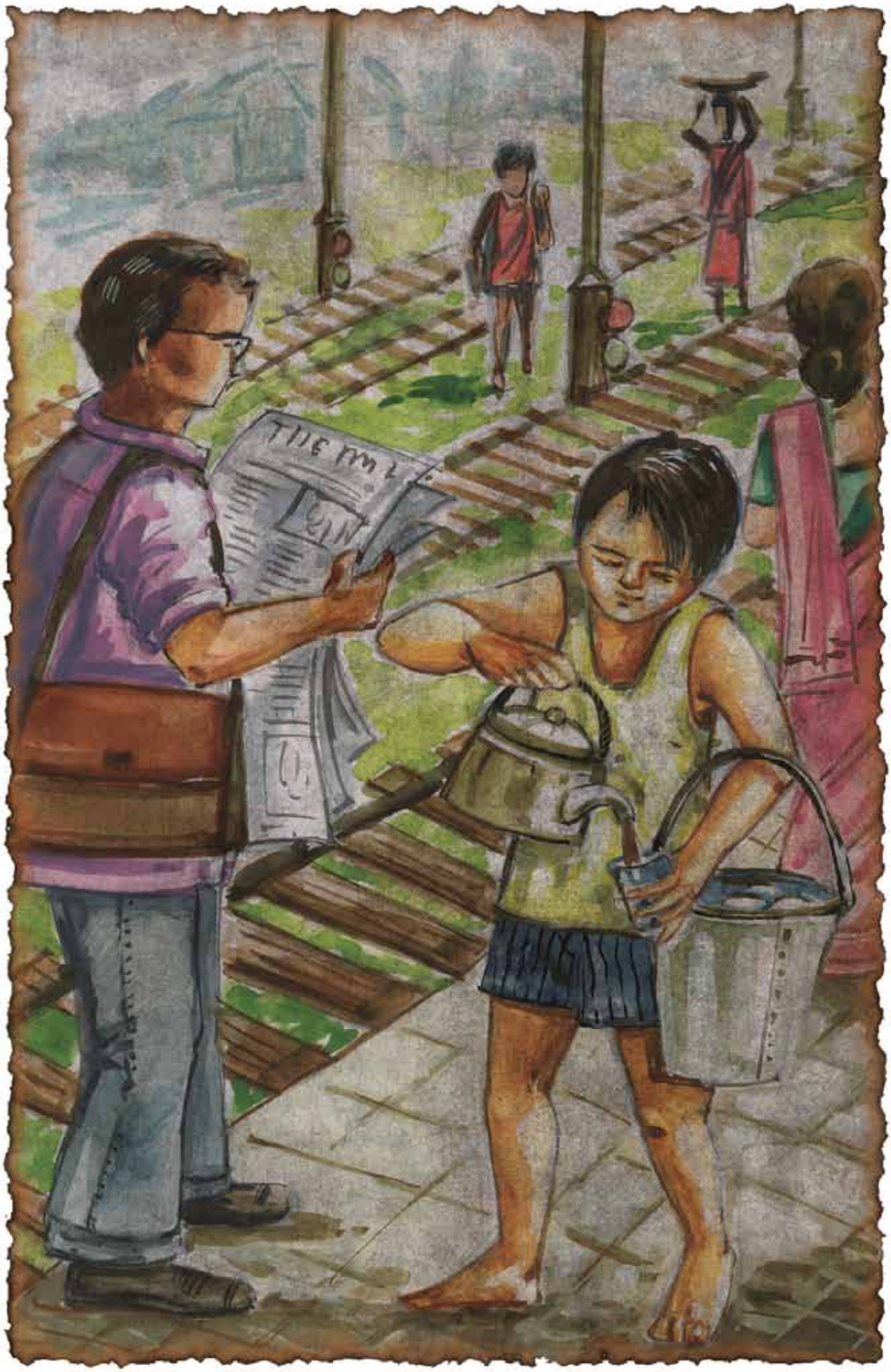

2006 में

बाल-अपहरण

संबंधित

अपराधों में

13.85%

अपहरण विवाह के

लिए किए गए

बाल व्यापार के स्वरूप और उद्देश्य

माध्यम और स्वरूप में अन्तर

सड़कों पर भीख मांगते, हमारे घरों, कारखानों, दुकानों, होटलों, खेतों और अनगिनत अन्य स्थानों पर काम करते बच्चे, स्थानीय सर्कस में करतब करते भूखे–प्यासे बच्चे, मध्य–पूर्व में दौड़ते ऊटों की पीठ पर बैठे या पैरों तले कुचल जाने वाले बच्चे, मजदूरी या वेश्यावृत्ति के लिए झूठे विवाह के नाम पर फुसला ली गई अथवा शादी के लिए बेच दी गई लड़कियां, पीडोफ़ीलिया के शिकार बनते बच्चे, इंटरनेट पर सेक्स टूरिज़्म, प्रॉर्नोग्राफ़ी, शिशुओं की खरीद–फरोख, अंग व्यापार ..... ये सारी अनसुनी या अनजानी कहानियां नहीं हैं। ये अंतहीन शोषण और ट्रैफ़िकिंग की लंबी और दर्दनाक दास्तान की कुछ कड़ियां हैं।

बाल व्यापार के कई रूप होते हैं। बच्चे को बेचा जाए या अगवा किया जाए या उसे धोखा दिया जए या फुसलाया जाए, आखिर में उसे शोषण का सामना करना पड़ता है। बाल व्यापार के कुछ जाने–माने स्वरूप और उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- श्रम
  - बंधुआ मज़दूरी
  - घरेलू नौकरी
  - खेतिहर मज़दूरी
  - निर्माण मज़दूरी
  - कालीन उद्योग, परिवहन उद्योग, मछली/झींगा निर्यात तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम के अन्य स्थल
- गैरकानूनी गतिविधियां
  - भीख मांगना
  - अंग व्यापार
  - नशीले पदार्थों को ले जाना और तस्करी
- यौन शोषण
  - जबरन वेश्यावृत्ति
  - वेश्यावृत्ति के सामाजिक और धार्मिक रूप से मान्यताप्राप्त रूप
  - सेक्स टूरिज़्म
  - पॉर्नोग्राफ़ी
- मनोरंजन एवं खेल
  - सर्कस, नृत्य मंडलियां
  - कैमेल जॉकी
- शादी के लिए और शादी के जरिए
- गोद लेने के लिए और गोद लेने के जरिए

जानने लायक चीज़ें...

बाल मज़दूरी और बाल व्यापार

बाल मज़दूरी और बाल व्यापार के बीच क्या फ़र्क है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

सभी बाल मज़दूर ट्रैफ़िकिंग के शिकार नहीं होते। बाल मज़दूरी एक तरह का शोषण और अपने आप में एक मकसद है। दूसरी तरफ, बाल व्यापार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह शोषण शामिल होता है या इस शोषण पर जाकर यह प्रक्रिया ख़त्म होती है।

उदाहरण 1

नौ वर्षीय राम अपने स्कूल में ख़ुश नहीं था। वह क्लास में नहीं जाना चाहता था। उसे लगता था कि वहां जाना वक़्त की बर्बादी है। वह तो मुंबई जाकर फ़िल्मी सितारों से मिलना चाहता था। राम के गांव में जगदीश का लगातार आना–जाना रहता था। उसकी राम से अच्छी दोस्ती थी। एक दिन जगदीश ने राम को अपनी मोटर साइकिल पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया। उसने बताया कि वह फ़िल्मी सितारों से मिल चुका है। राम ने जगदीश से कहा कि वह उसे भी मुंबई ले चले। जगदीश राम को मुंबई ले आया और उसे ज़रदोज़ी के एक कारख़ाने में बेच दिया।

यह बाल व्यापार की घटना है या बाल मज़दूरी की?

व्याख्या : राम एक ज़रदोज़ी कारखाने में बाल मज़दूर तो है लेकिन सबसे पहले उसे यहां लाकर बेचा गया था। जगदीश ने राम को बेचने के लिए धोखे का सहारा लिया था। जगदीश को राम के शोषण और उसके अधिकारों के हनन से फ़ायदा हुआ था।

उदाहरण 2

सरिता 15 साल की है। वह दिल्ली में एक पूर्णकालिक घरेलू नौकरानी है। वह झारखंड के एक गांव की रहने वाली है। उसे दिल्ली की एक प्लेसमेंट/भर्ती एजेंसी ने इस नौकरी पर लगवाया था। इस एजेंसी की शाखाएं झारखंड में भी चलती है। सरिता ने जब से काम शुरू किया है उसे कोई तनख्वाह नहीं मिली। वह जब भी अपना पैसा मांगती है उसके मालिक उसे मार–पीट कर चुप करा देते हैं। उसके मालिक उसे न तो घर से बाहर जाने देते हैं, न वह अपने घरवालों के नाम कोई चिट्ठी भेज सकती है। हालांकि वह घर लौटना चाहती है लेकिन कोई उसे लौटने नहीं देता।

क्या सरिता बाल व्यापार की शिकार है?

व्याख्या : यह घरेलू बाल मज़दूरी का मामला है न कि बाल व्यापार का। सरिता का शोषण प्लेसमेंट एजेंसी ने नहीं बल्कि उसके मालिक ने किया है। प्लेसमेंट एजेंसी तो उन लोगों को नौकरी दिलवाती है जो उसके पास नौकरी मांगने आते हैं। अगर एजेंसी ने सरिता को किसी तरह से धोखा दिया होता और उसे झांसा देकर इस काम पर रखवाया होता या उसे आर्थिक शोषण के उद्देश्य से मौजूदा नौकरी के लिए फुसलाया होता तो यह बाल व्यापार का मामला माना जा सकता था।

बाल वेश्यावृत्ति और बाल व्यापार

बाल व्यापार को काफ़ी हद तक वेश्यावृत्ति या व्यावसायिक यौन शोषण के रूप में ही देखा जाता है लेकिन जहां एक तरफ बाल व्यापार एक प्रक्रिया है वहीं वेश्यावृत्ति या व्यावसायिक यौन शोषण उसका एक परिणाम होता है।

इसमें कोई शक नहीं कि सभी तरह की वेश्यावृत्ति बाल व्यापार का परिणाम नहीं होती, लेकिन बाल वेश्याओं के संदर्भ में बाल व्यापार को कतई नकारा नहीं जा सकता।

उदाहरण

पंद्रह साल की रीता को पुलिस छापे के दौरान एक होटल में आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया। इस छापे में वेश्यालय के मालिक और एक दलाल को गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर

लिया गया। रीता मुंबई फिल्म उद्योग में अभिनेत्री बनने आई थी। इसी लालच में उसने एक दिन घर छोड़ दिया था। उसने सुन रखा था कि मुंबई की जिंदगी आसान नहीं होती। इसीलिए वह फिल्म उद्योग में पैर जमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मुंबई में जिंदगी चलाने के लिए उसने वेश्यावृत्ति शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा हो जाएगा।

क्या इस मामले में ट्रेफ़िकिंग निहित है?

व्याख्या : रीता की उम्र को देखने पर इस घटना में उसकी सहमति का सवाल खत्म हो जाता है। अदालत में होटल मालिक ये दलील दे सकता है कि रीता खुद उसके पास आई थी, उसे किसी ने वेश्यावृत्ति के लिए न तो मजबूर किया था और न ही धोखा दिया था। लेकिन, भारतीय दंड संहिता के तहत यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र न्यूनतम 16 साल तय की गई है। इस प्रकार, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत रीता बच्ची है इसलिए उसकी सहमति के बावजूद उसे वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल करने के आरोप में होटल मालिक को ही जिम्मेदार माना जाएगा। उसे इस बात के लिए भी दोषी माना जाएगा कि उसने एक ऐसी जगह पर बच्चे को बंद करके रखा जहां वेश्यावृत्ति की जा रही थी।

शादी 'के लिए' और शादी 'के ज़रिए' बाल व्यापार

बाल विवाह अपने आप में एक तरह का शोषण है लेकिन बहुत सारी लड़कियों को तो शादी के नाम पर बेच ही दिया जाता है।

लड़कियों को मजदूरी या वेश्यावृत्ति की दुनिया में ढकेलने के लिए भी बाल विवाह को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

क्या यह बाल विवाह का उदाहरण है या विवाह के लिए ट्रेफिकिंग का?

उदाहरण 1

उड़ीसा की 14 वर्षीय कुमारी को उसके पिता ने झांसी के एक 40 वर्षीय व्यक्ति से ब्याह दिया था। इस शादी के बदले में उसे 20,000 रुपए मिले थे। कुमारी के पिता के दोस्त लाला ने इस लेन–देन में बिचौलिये की भूमिका निभाई थी। इस 'सेवा' के बदले उसने दूल्हे से पैसा लिया था। शादी के बाद कुमारी कभी अपने मां–बाप से मिलने नहीं आयी। अपने मायके से उसके सारे संबंध ख़त्म हो चुके हैं। वह झांसी में अपने पति के साथ रहती है।

व्याख्या : यह शादी 'के लिए' बाल व्यापार का मामला है। कुमारी के पिता, उनके दोस्त लाला और कुमारी का पति, तीनों ही न केवल बाल विवाह की साज़िश रचने के दोषी हैं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए शादी के नाम पर बच्चे को बेचने के भी अपराधी हैं।

उदाहरण 2

24 वर्षीय रमेश 16 साल की सीमा से शादी करता है। एक महीने बाद रमेश सीमा को अपने दोस्त कल्लू के घर से कुछ औजार लाने के लिए भेजता है। कल्लू के घर पहुंचने पर सीमा को वह औजार मिल जाते हैं। वापस चलते हुए कल्लू के तीन दोस्त उसे कहते हैं कि वे लौटते हुए सीमा को उसके घर छोड़ देंगे। सीमा तैयार हो जाती है। वे तीनों उसे एक वेश्यालय में ले जाकर बेच देते हैं। विरोध करने पर उसे पता चलता है कि उसे यहां लाने के लिए उसके पति को मोटी रकम दी गई है।

क्या सीमा विवाह के लिए ट्रेफ़िकिंग की शिकार है या विवाह के जरिए ट्रेफ़िकिंग की?

व्याख्या : जब रमेश ने सीमा से विवाह किया तो खरीद–फरोख़्त के नाम पर कोई आर्थिक लेन–देन नहीं हुआ था। लेकिन विवाह के एक महीने बाद ही रमेश अपनी पत्नी को वेश्यालय में बेच देता है। इससे साबित होता है कि उसने यौन शोषण तथा पैसे कमाने के लिए ही सीमा से शादी की थी। यहां शादी सीमा को हासिल करने और उसे वेश्यावृत्ति में ढकेलने का सिर्फ एक साधन थी। विवाह के समय सीमा नाबालिग भी थी। इस प्रकार, यह न केवल बाल विवाह का मामला बनता है बल्कि शादी के जरिए बाल व्यापार का मामला भी बनता है।

गोद लेने 'के लिए' और 'के ज़रिए' बाल व्यापार

शिशुओं की बिक्री में बाल व्यापार निहित है जिसके चलते अंततः गैर–कानूनी रूप से बच्चों को गोद लिया जाता है। इस तरह की बिक्री के फलस्वरूप होने वाली गोद लेने की घटनाएं भले ही गैर–कानूनी न हों लेकिन बिक्री की घटना इस तरह के मामलों को बाल व्यापार का मामला तो साबित कर ही देती है।

कई बार कानूनी या गैर–कानूनी दत्तकता की आड़ में बच्चों को घरेलू नौकरी, भीख मंगवाने, नशीले पदार्थों की तस्करी और यौन शोषण आदि के लिए बेचा या इस्तेमाल भी किया जाता है।

उदाहरण 1

गुंटुर, कर्नाटक के एक निर्धन परिवार में जन्मी यमुना अपने माता–पिता की सातवीं संतान थी। इधर मुंबई के किशन और अन्नपूर्णा का कोई बच्चा नहीं था। वे एक स्वस्थ बच्चा गोद लेना चाहते थे। तब उन्होंने यमुना के ही गांव के रहने वाले हरी से संपर्क किया। हरी एक अनाथालय चलाता था और लोगों को बच्चे गोद लेने में मदद देता था। हरी ने यमुना के घर वालों को 2000 रुपए दिए और उसे लाकर 20,000 रुपए में किशन व अन्नपूर्णा को बेच दिया।

व्याख्या : यह गोद लेने के लिए बाल व्यापार का मामला है। इसमें हरी ने अपने फ़ायदे के लिए पैसे देकर यमुना को ख़रीदा और पैसे लेकर उसे किसी और को बेच दिया।

उदाहरण 2

सात साल के नरेश को एक ऐडॉप्शन एजेंसी (दत्तकता एजेंसी) के ज़रिए क़ानूनन गोद दिया गया था। गोद लेने के बाद उसके नए मां–बाप ने पहले उसे घरेलू कामों में लगा दिया और बाद में चोरी–चकारी तथा नशीली दवाओं को यहां से वहां ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे।

व्याख्या : इस मामले में 'गोद लेना' तो घरेलू नौकरी और चोरी व नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अवैध धंधों के लिए नरेश को हासिल करने का सिर्फ़ एक साधन था। इस मामले में नरेश के दत्तक मां–बाप ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। उन्होंने नरेश की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाया है। यह गोद लेने 'के ज़रिए' बाल व्यापार का मामला है जिसमें बच्चे को गोद लेने वाले मां–बाप बाल व्यापार के अपराधी हैं।

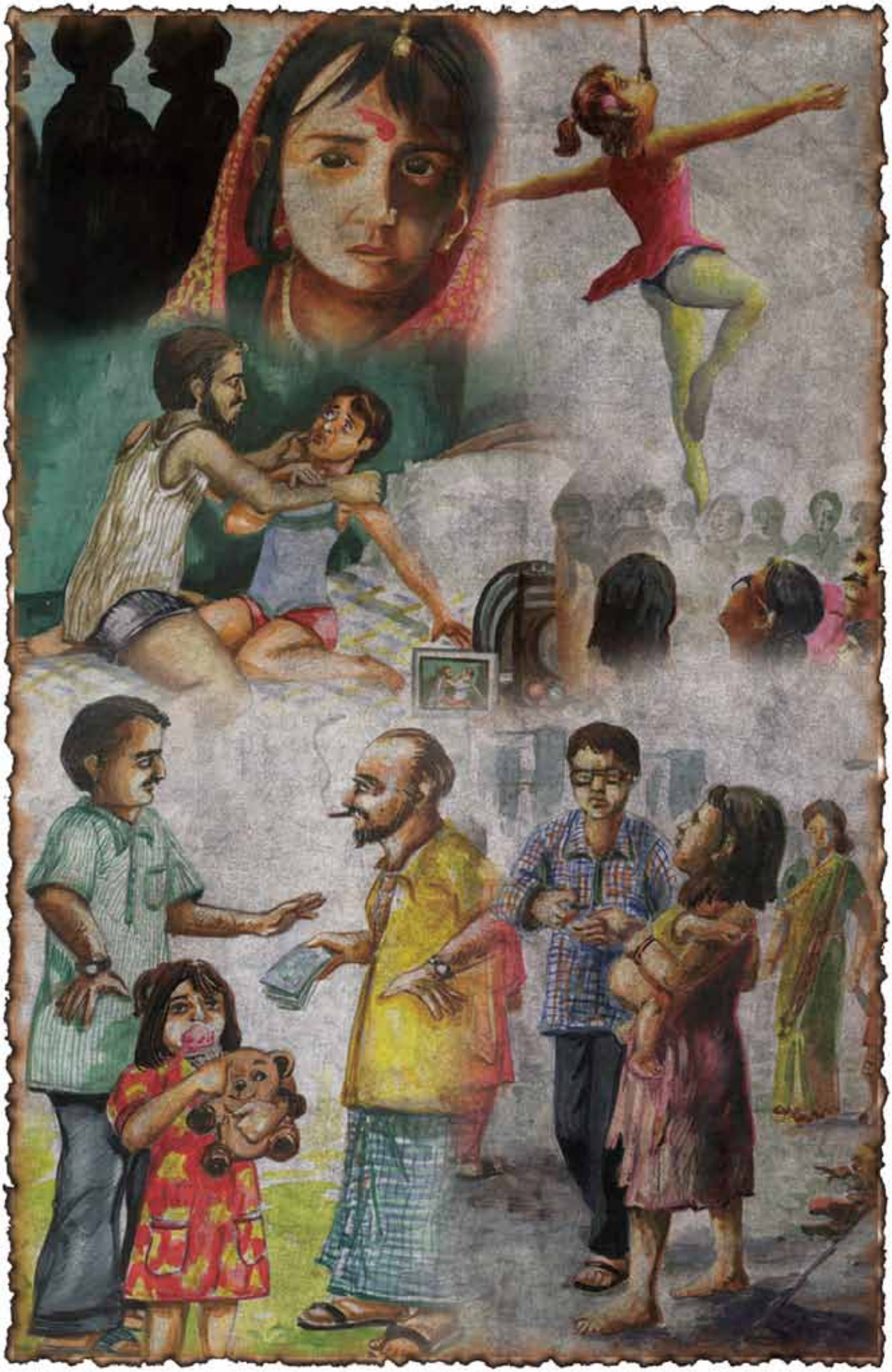

2005-06 के बीच,

भीख मंगवाने

तथा गुलामी

के लिए हुए बाल

अपहरण में

26.33%

तथा 275.0%

वृद्धि हुई

III

बाल व्यापार के मामलों में हस्तक्षेप

मूल आधार

बाल व्यापार की समग्र और व्यापक रोकथाम के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाना ज़रूरी है।

बाल व्यापार की समग्र और व्यापक रोकथाम के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाना ज़रूरी है। इस रणनीति में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- रोकथाम
- सुरक्षा
- बचाव
- दोषियों को सज़ा दिलाना
- पीड़ित बच्चे का पुनर्वास, घर वापसी तथा सामाजिक एकीकरण

हम चाहे तो इनमें से एक या दो प्रक्रियाओं में या सारी प्रक्रियाओं में योगदान दे सकते हैं।

ट्रैफ़िकिंग की रोकथाम में हम इन माध्यमों से योगदान दे सकते हैं :

- ऐसी परिस्थितियों का पता लगाना जहां बाल व्यापार की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों के बारे में संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को जानकारी देना।
- संवेदनशील आबादियों में सामाजिक–आर्थिक संकट को दूर करने के वैकल्पिक रास्ते ढूंढना।
- समुदाय के ऐसे लोगों में जागरूकता पैदा करना जिनके बच्चों पर ट्रैफ़िकिंग का सबसे ज़्यादा ख़तरा मंडरा रहा है। इसके लिए समुदायों में सीधे काम किया जा सकता है या समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से या समुदाय आधारित संगठन के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है।
- आम समुदाय के भीतर तथा विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों (यानी सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, विधि क्रियान्वयन, शिक्षक, धार्मिक समुदाय आदि) में जागरूकता पैदा करना। ख़ासतौर से इस बात पर ज़ोर देना कि बाल व्यापार और समुदाय की खुशहाली व तरक्की के बीच किस तरह का विपरीत अनुपात चलता है।

बच्चों पर केंद्रित रोकथाम रणनीतियों का मकसद यह होता है कि बच्चे को ख़रीद–फ़रोख़्त से बचाया जाए। इसके लिए जोखिम या संकट में फंसे बच्चों के सामने मौजूद ख़तरों पर अंकुश लगाया जाता है, असरदार सुरक्षा साधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाई जाती है और अपराधियों तथा मांग क्षेत्रों पर निशाना साधने के साथ–साथ बाल व्यापार के बुनियादी कारणों को संबोधित किया जाता है। इसके लिए ये गतिविधियां की जा सकती हैं : जोखिमग्रस्त बच्चों को जागरूक बनाना; राष्ट्रीय एवं समुदाय स्तरीय बाल सुरक्षा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना; तथा, जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान और सुरक्षा में सुधार के लिए संबंधित लोगों का क्षमता निर्माण करना।

बच्चों पर केंद्रित सुरक्षा रणनीतियों का मकसद यह होता है कि क़ानूनी, नीतिगत या कार्यक्रम संबंधी साधनों के ज़रिए पीड़ित बच्चे की सुरक्षा से जुड़ी प्रत्यक्ष ज़रूरतों को संबोधित किया जाए। इसके लिए ये गतिविधियां की जा सकती हैं : पीड़ितों को पहचानने और "बरामद करने" के लिए कार्यक्रम चलाना; पहचान/बरामदगी के शुरुआती दौर में तथा प्रारंभिक समीक्षा अवधि के दौरान ऐसी सेवाएं मुहैया कराना जो सुरक्षा, संग–साथ, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, काउंसलिंग और क़ानूनी सहायता के बारे में बच्चे की फ़ौरी ज़रूरतों को पूरा करती हों; पीड़ित बच्चे की पहचान हो जाने पर कार्यात्मक रेफरल प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और/या निर्माण करना; तथा पीड़ित बच्चों को रास्ते में पड़ने वाले देशों व लक्ष्य देश में सुरक्षा मुहैया कराने और स्वदेश वापसी पर उनकी देखभाल के लिए क़ानूनी फ़्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण करना।

बच्चे पर केंद्रित सहायता गतिविधियों का मकसद यह होता है कि पीड़ित बच्चे ख़रीद–फ़रोख़्त के अपने अनुभव से "आगे" निकलें, विश्वास और स्वाभिमान का भाव दोबारा अर्जित करें, नए या पिछले घरेलू परिवेश में घुल–मिल जाएं (अपने मूल देश में या तीसरे देश में), तथा स्वतंत्र रूप से जीने की हिम्मत और हुनर विकसित करें।

इस प्रक्रिया में उनकी मध्यम अवधि और दीर्घावधि सहायता आवश्यकताओं को संबोधित करना पड़ सकता है। उनकी ये ज़रूरतें मनो–सामाजिक काउंसलिंग, परिवार के साथ मध्यस्थता, शिक्षा और/या व्यावसायिक प्रशिक्षण, आय संवर्धन गतिविधियों तथा स्थायी आवास से संबंधित हो सकती हैं।

गालित वुल्फ़ेन्सोन, रिस्पॉडिंग टू चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग : ऐन इंट्रोडक्ट्री हैंडबुक टू चाइल्ड राइट्स बेस्ड इंटरवेशंस

ड्रॉन फ्रॉम सेव दि चिल्ड्रेन एक्सपीरियेंस इन साउथईस्ट यूरोप, कॉपीराइट 2004 सेव दि चिल्ड्रेन।

- समुदाय के भीतर तथा विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में सहायता के ऐसे नेटवर्क निर्मित करना जो लोगों को बाल व्यापार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ताक़त व योग्यता प्रदान करते हों।
- सामुदायिक स्वयंसेवी दल, बाल व्यापार चौकसी जत्थे और सामुदायिक कार्य समूह आदि जन समूहों का निर्माण करना।
- पुस्तिका, पोस्टर, प्रदर्शनी, स्टिकर, स्टोरी कार्ड्स, सूचना पत्र, सामुदायिक रंगमंच, रेडियो तथा अन्य लोकप्रिय प्रसार माध्यमों, प्रदर्शनियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि असरदार शैक्षणिक टूल्स जैसी आईईसी रणनीतियों के ज़रिए बाल व्यापार के ख़िलाफ़ अभियान चलाना।
- अपनी, सहभागियों की, सामुदायिक वॉलंटियर्स की, पंचायत प्रतिनिधियों की तथा अन्य संबंधित पक्षों की क्षमता में वृद्धि करना।
- निर्णयकारी निकायों, मीडिया, पुलिस, न्यायपालिका तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ योजनाबद्ध ढंग से और निरंतर संवाद चलाना।

- बच्चों के जीवन, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के लिए तथा बाल शोषण, बाल व्यापार व बाल दुराचार के ख़िलाफ़ समुदाय की भावनाओं, बच्चों की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में लोगों की सोच व मान्यताओं पर शोध और दस्तावेज़ीकरण करना।
- इकट्ठा की गई सूचनाओं के आधार पर समुदाय के साथ एक मज़बूत संबंध विकसित करना ताकि समुदाय को पीड़ितों के पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण में मदद देने तथा उन्हें पुर्नव्यापार से बचाने के लिए तैयार किया जा सके।
- बाल सुरक्षा के बारे में नीतिगत या क़ानूनी सुधारों के ज़रिए जन जागृति एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए एडवोकेसी कार्यक्रम शुरू करना।

हम पीड़ित बच्चों के बचाव, वास्तविक या संभावित पीड़ितों की सुरक्षा, अपराधियों को सज़ा दिलाने, पीड़ितों के पुनर्वास, घर वापसी और पुनःएकीकरण में हिस्सा ले सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं संबंधित देश के स्थापित क़ानूनी फ़्रेमवर्क के तहत ही चलायी जानी चाहिएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप संबंधित क़ानूनों और नीतियों के बारे में अच्छी तरह जान लें।

बाल व्यापार के ख़िलाफ़ किसी भी हस्तक्षेप के बुनियादी सिद्धांत

जब आप बाल व्यापार की किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप करते हैं तो आपको निम्नलिखित का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए :

- अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे को मदद दें।
- बच्चे की स्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। पक्षपात से मुक्त और सहज रवैया मदद के लिए सबसे अच्छा रहता है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि यह स्थिति किसी भी बच्चे के जीवन में पैदा हो सकती है और इसमें बच्चे की कोई ग़लती नहीं होती।
- बच्चे की ख़ुशहाली और कुशलक्षेम किसी भी सूरत में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मामले को इतना नहीं खींचा जाना चाहिए कि बच्चे की कुशलक्षेम, सुरक्षा और सार्थक पुनर्वास की संभावनाओं पर चोट पहुंचने लगे।
- हमारी सभी कार्रवाइयां इस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिएं कि हर बच्चे को किसी भी तरह के शोषण से मुक्ति का पूरा अधिकार प्राप्त है।
- बच्चे की पहचान को छिपाए रखने और बच्चे की प्राइवेसी का सम्मान ज़रूर किया जाना चाहिए।
- बाल व्यापार को अकसर संगठित ढंग से अंजाम दिया जाता है। इसमें बहुत सारे हिस्सेदार मिलकर काम करते हैं। कई बार ये गिरोह या माफ़िया काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं।
- हस्तक्षेप करने से पहले अपनी क्षमता और ताक़त का हिसाब लगा लेना ज़रूरी है। हमें ऐसे लोगों या समूहों की शिनाख्त ज़रूर करनी चाहिए जो हमारे संभावित हिस्सेदार बन सकते हैं। हो सकता है हमारे पास क़ानूनी स्तर पर दखल देने की क्षमता न हो। ऐसे हालात में कोई ऐसा साथी या हिस्सेदार ज़रूर ढूंढ लें जिसे क़ानून की समझ हो। इसका मतलब है कि अलग–अलग कामों के लिए आपको अलग–अलग तरह के लोगों के साथ मिल कर काम करना होगा। मसलन, अगर आप पीड़ित बच्चे को मनो–सामाजिक काउंसलिंग देना चाहते हैं तो एक संगठन से तथा अगर आप बचाव या पुनर्वास, घर वापसी और फ़ॉलोअप में योगदान देना चाहते हैं तो किसी दूसरे संगठन से संपर्क कर सकते हैं। वयस्कों के लिए रोज़गार और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने वाले संगठनों के साथ भी लंबे संपर्क विकसित किए जा सकते हैं। इससे न केवल बेरोज़गार वयस्कों बल्कि समुदाय के उन बेसहारा परिवारों को भी आर्थिक मदद मिलेगी जिनके बच्चे इस ख़तरे में है या इस तरह के अनुभव से गुज़र चुके हैं।
- अगर आपको बाल व्यापार के बारे में कोई सूचना मिलती है तो उसके साथ छेड़छाड़ की आशंका या उसके पीछे निहित कारणों का अंदाज़ा लगा लेना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको वह जानकारी या आपबीती मीडिया से मिली है तो उसके पीछे राजनीतिक या व्यावसायिक हित हो सकते हैं, उसका मकसद किसी को बदनाम करना हो सकता है, उसमें सटीकता की कमी हो सकती है, बयान ग़लत हो सकता है आदि।
- अगर आप असरदार ढंग से हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पीड़ित बच्चों को हिंसा, दुराचार और शोषण से फ़ौरन प्रभावी और स्थायी सुरक्षा व राहत मिले।

अधिकार केंद्रित समझ को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है?

बाल अधिकारों के नज़रिए से कार्यक्रम तैयार करते हुए आप बाल व्यापार विरोधी प्रयासों में एक अधिकार केंद्रित समझ को अमल में ला सकते हैं। इसके सहारे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पीड़ित बच्चों तथा आशंकाग्रस्त बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। इस तरह की सोच यह तय करने में मदद देती है कि बच्चों के बुनियादी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मानवाधिकारों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उनकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण में इजाफा हो और उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प पैदा हो सकें।

बच्चों को केंद्र में रखना और उन्हें अधिकार–धारक तथा सामाजिक पात्रों के रूप में मान्यता देना।

बाल व्यापार विरोधी हस्तक्षेपों में बच्चों को मुख्य पात्रों के रूप में देखा जाना चाहिए न कि ऐसे निष्क्रिय ग्राहकों के रूप में जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। ऐसे प्रयासों में इस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि बच्चे अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से दावेदारी पेश करने में सक्षम हों। ऐसे हस्तक्षेपों के ज़रिए बच्चों के लिए लाभदायक और सहज वातावरण मुहैया कराने और मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होने के नाते सरकार को बच्चों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाना।

बाल व्यापार विरोधी हस्तक्षेपों में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि पीड़ित और संकटग्रस्त बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और सरकार सभी उत्तरदायी पक्षों व बच्चों की देखभाल करने वालों की क्षमता में इजाफा करे ताकि बच्चों के अधिकारों की और बेहतर ढंग से हिफ़ाज़त की जा सके।

एक समग्र नज़रिया अपनाने के लिए बहुआयामी प्रतिक्रिया देना।

बाल व्यापार विरोधी प्रयासों में बच्चों तथा उनके परिवेश की एक समग्रतावादी समझ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के सहारे उनके शोषण की आशंका को बढ़ाने वाले विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों को संबोधित किया जा सकता है। ट्रैफ़िकिंग के फ़ौरी परिणामों के साथ–साथ बुनियादी कारणों और संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर घरेलू हिंसा, यौन एवं मनोवैज्ञानिक दुराचार; सीमित पारिवारिक एवं सामुदायिक सहायता; गरीबी; कम शिक्षा; बिना कागज़ात आप्रवासन के ख़तरों और सुरक्षित आप्रवासन के विकल्पों की कम जानकारी; स्वरक्षा के लिए सीमित व्यक्तिगत संसाधन (जैसे कम आत्मविश्वास); तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाएं (जैसे कम उम्र में शादी को मंजूरी) आदि व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम बढ़ाने वाले कारक हैं। संरचनागत स्तर पर ऐसी आर्थिक, लैंगिक एवं नृजातीय गैर–बराबरियां जोखिम को जन्म देने वाली हो सकती हैं जो व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं व नीतियों के पीछे निहित होती हैं।

नैतिक मानकों पर आधारित सहभागी और सशक्तिकरण पद्धतियों का इस्तेमाल करना, ख़ासतौर से बच्चों के मामले में।

बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों को बच्चों की ताक़त और आंतरिक लचीलेपन पर आधारित होने चाहिएं और बच्चों को उन कार्यक्रमों के विकास, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में शामिल करना चाहिए। बच्चों और उनके समुदायों का प्रोत्साहन और सहभागिता इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है।

ऐसे समावेशी समाधान और जेंडर संवेदी कार्यक्रम विकसित करना जिनमें जोखिम और भेदभाव की ज़्यादा आशंका वाले लड़के–लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों में ख़रीद–फ़रोख़्त की सबसे ज़्यादा आशंका वाले बच्चों को ढूंढने और उन पर ध्यान देने के लिए ख़ास रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इस क्रम में उनके सांस्कृतिक, लैंगिक, भू–राजनैतिक एवं सामाजिक–आर्थिक संदर्भों पर ख़ास ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इस बात की स्पष्ट समझ हासिल करनी चाहिए कि जोखिमग्रस्त बच्चों के सामने ख़ास जोखिम कौन से हैं, उनके लिए सुरक्षात्मक वातावरण क्या हो सकता है, उनके सामने कौन से विकल्प हैं, और संबंधित समुदाय में बाल व्यापार का स्वरूप केसा है।

न केवल फ़ौरी बल्कि संरचनागत कारणों पर भी ध्यान देते हुए बच्चों के लिए स्थायी नतीजों पर ज़ोर देना।

बाल व्यापार विरोधी हस्तक्षेपों में उन व्यापक सामाजिक–आर्थिक और भू–राजनैतिक कारकों पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए जो बच्चों और उनके समुदायों की स्थिति को और कमज़ोर करते हैं। इस क्रम में आप अमीर और गरीब के बीच बढ़ते फासले, घर में सीमित आयवर्धक गतिविधियों, दूसरे इलाकों की तरफ पलायन पर लगी पाबंदियों, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध में वृद्धि, सामाजिक सहायता एवं सुरक्षा व्यवस्था में गिरावट तथा बढ़ती लैंगिक गैर–बराबरी, भेदभाव और हिंसा आदि कारकों पर ध्यान दे सकते हैं।

पीड़ित बच्चे के गृह देश तथा वर्तमान देश सहित व्यापक बदलावों के लिए कई स्तरों पर काम करना।

बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों में इन मुद्दों को कई स्तरों पर संबोधित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में जोखिमग्रस्त बच्चों के साथ, उनके परिवारों और समुदायों के साथ, और उनके बीच काम करने वाले सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के ज़रिए अप्रत्यक्ष रूप से काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार निकायों की क्षमता में सुधार लाने तथा बाल व्यापार के मांग पक्ष को कमज़ोर करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

बाल अधिकारों के प्रोत्साहन के लिए सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त और भेदभाव के शिकार बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित गठजोड़ और साझेदारियां बनाना।

बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों का एक मकसद किसी भी क्षेत्र या देश के ख़ास हालात को ध्यान में रखते हुए बाल व्यापार विरोधी रणनीतियों में समन्वय और सहजता विकसित करना भी होना चाहिए। कोई भी एक ताक़त या निकाय पीड़ित बच्चों तथा जोखिमग्रस्त बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। विभिन्न क्षेत्रों में अन्य ताक़तों के साथ साझेदारियां बनाने, स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करने, तथा कार्य समूहों में योगदान देकर आप बड़े स्तर के बदलावों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और कामों में संतुलन पैदा कर सकते हैं। अच्छे व्यवहारों के दस्तावेज़ीकरण और प्रसार से सामूहिक स्तर पर सीखने–सिखाने में मदद मिल सकती है और क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। संबंधित शक्तियां जोखिमग्रस्त बच्चों के अधिकारों के समर्थन में माहौल बनाने के लिए औरों की सहायता भी जुटा सकती हैं और दूसरी तरफ इस बात का भी ख़याल रख सकती हैं कि बच्चे के हितों को पूरा सम्मान दिया जाए।

बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों में सक्रिय निकायों और संस्थानों को सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों, तथा बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग और समन्वय रखना चाहिए जिससे उन नीतियों और तौर–तरीकों में सुधार लाया जा सके जिनके ज़रिए बाल व्यापार के बुनियादी कारणों को दूर करने, ट्रैफ़िकिंग के शिकार बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी सुरक्षित वापसी व पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

बच्चों के लिए दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क़ानूनी, नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों को प्रोत्साहन देना तथा सरकारों, दाता संस्थानों एवं नागर समाज द्वारा स्वीकृत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क़ानूनी फ़्रेमवर्क के अनुरूप ऐसे दीर्घकालिक लक्ष्य तय करना।

बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों में इस बात के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि बड़े पैमाने की नीतियों में भी सूक्ष्म स्तर की आवश्यकताएं उपेक्षित न रह जाएं। इसके लिए सरकारों तथा अन्य निर्णयकारी निकायों से आह्वान किया जाना चाहिए कि वे जोखिमग्रस्त बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूद क़ानून, नीति और संस्थागत फ़्रेमवर्क में सही मानकों, प्रणालियों और आश्वासनों का समावेश करें। बाल व्यापार विरोधी कार्यक्रमों का एक मकसद यह भी होना चाहिए कि वे एक ऐसी समन्वित दीर्घकालिक रणनीति विकसित करने में योगदान दें जो बच्चों के अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनी फ़्रेमवर्कों पर आधारित हों, मुख्य संबंधित पक्षों को स्पष्ट रूप से पता हों तथा वे उसे स्वीकृति और समर्थन देते हों ताकि उन रणनीतियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन व तालमेल विकसित किए जा सकें।

वुल्फ़ेन्सोन गालित, रिस्पॉंडिंग टू चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग : ऐन इंट्रोडक्ट्री हैंडबुक टू चाइल्ड राइट्स–बेस्ड इंटरवेशंस ड्रॉन फ्रॉम सेव दि चिल्ड्रेन एक्सपीरियेंस इन साउथईस्ट यूरोप, कॉपीराइट 2004 सेव दि चिल्ड्रेन।

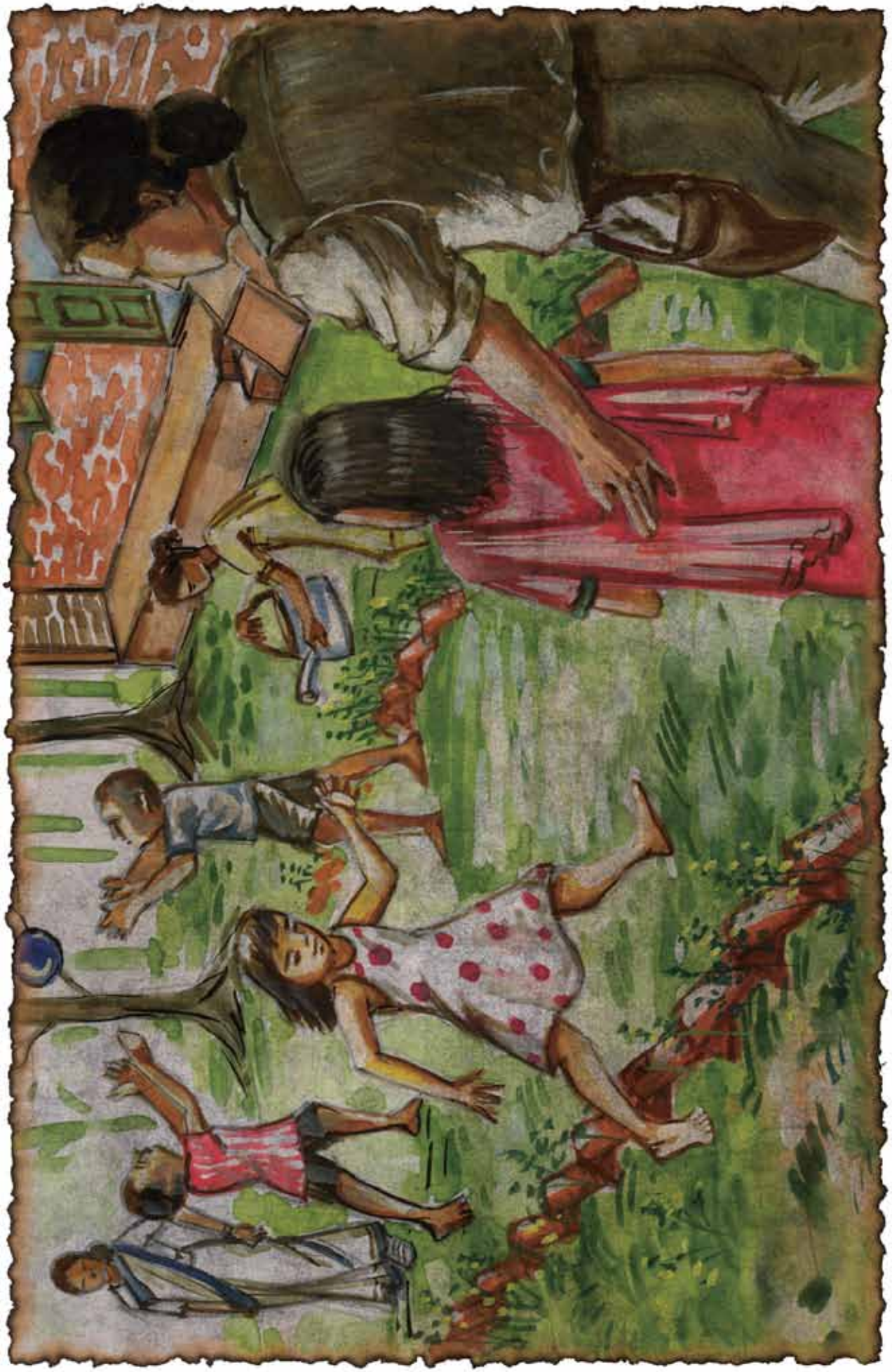

अवैध संबंध और वैश्यावृत्ति के लिए हुए बाल अपहरण के मामलों में वर्ष 2006 में 34.9% तथा 26.5% की बढ़ोतरी नज़र आई

क़ानूनी हस्तक्षेप से पूर्व

नागरिक/सामाजिक कार्यकर्ता/एनजीओ की भूमिका जांच–पड़ताल और बचाव कार्य के लिए आवश्यक सूचना

क़ानूनी हस्तक्षेप की पूर्वशर्त

- बाल व्यापार एक अपराध है इसलिए उसकी जानकारी शासन को फ़ौरन दी जानी चाहिए। बच्चों के साथ होने वाले अपराध तथा संकट में फंसे बच्चों को मदद देने का ज़िम्मा क्रमशः पुलिस और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के ऊपर होता है।
- संबंधित बच्चे को बचाव या डॉक्टरी/मनोवैज्ञानिक सहायता की फ़ौरन आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सूचना देने में देरी करते हैं तो बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है।
- जब एक बार यह जानकारी पुलिस के पास पहुंच जाती है तो यह पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वे 24 घंटों के भीतर बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करें। अगर सीडब्ल्यूसी अस्तित्व में नहीं है तो बच्चे को ज़िला मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि किसी अन्य संबंधित अधिकारी के सामने पेश करना चाहिए।
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) बाल न्याय (देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 (जूवेनाइल जस्टिस या जेजे एक्ट) के अंतर्गत बनाई गई एक समिति है। यह समिति ऐसे बच्चों को संभालती है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की फ़ौरन आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की समुचित देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए सीडब्ल्यूसी आवश्यक जांच करती है। हालांकि क़ानूनी प्रावधान ये है कि हरेक ज़िले या कुछ ज़िलों के समूह में एक सीडब्ल्यूसी का गठन ज़रूर किया जाना चाहिए। लेकिन, चाहे इसे शासन की ढिलायी कहें या लापरवाही, आज भी सारे ज़िलों/राज्यों में सीडब्ल्यूसी का गठन नहीं किया गया है। ध्यान रहे, अगर कहीं सीडब्ल्यूसी नहीं है तो नज़दीकी पुलिस थाने में ज़रूर सूचना दें।

नागरिकों के लिए सूचना

- अगर किसी वजह से पुलिस को सूचित करना मुश्किल है तो आप चाइल्ड लाइन या अपने इलाके/शहर में ऐसे सवालों पर काम करने वाले नज़दीकी एनजीओ से भी संपर्क कर सकते हैं।
- चाइल्ड लाइन मुश्किल हालात में फंसे बच्चों के लिए चलाई जा रही एक टेलिफ़ोन हैल्पलाइन है। चाइल्ड लाइन के लिए आप देश में कहीं से भी 1098 नंबर पर फोन कर सकते हैं।
- जब मामला एक बार शासन के सामने आ जाता है तो शिकायत दर्ज कराने और क़ानूनी कार्रवाई करने में बच्चे को सहायता की ज़रूरत हो सकती है। हम चाहें तो बच्चे को इस तरह की सहायता नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा फ़ैसला लेते हैं तो ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चे की ज़िम्मेदारी चाइल्ड लाइन या नज़दीकी एनजीओ या किसी ऐसे संकट बचाव केंद्र को सौंप दी जाए जो पीड़ित बच्चे को ज़रूरी सहायता मुहैया करा सकता है।
- संकट में फंसे बच्चे को रहने का सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल परिस्थितियों में फंसे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि बच्चे को किसी 'फिट व्यक्ति' या 'फिट संस्थान' के पास ही रखा जा सकता है और यह बाल न्याय क़ानून के ज़रिए ही तय किया जाता है।

'फिट व्यक्ति'/'फिट संस्थान' क्या होता है?

बाल न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के अंतर्गत :

"फिट संस्थान" का मतलब ऐसे किसी भी सरकारी या पंजीकृत गैर सरकारी या स्वैच्छिक संगठन से होता है जो किसी बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है और योग्य अधिकारियों/सरकारी विभाग द्वारा उसे इस काम के लिए उपयुक्त पाया गया है (अनुच्छेद 2 (एच))।

"फिट व्यक्ति" का आशय किसी सामाजिक कार्यकर्ता या ऐसे किसी भी व्यक्ति से होता है जो किसी बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है और योग्य अधिकारियों/सरकारी विभाग द्वारा उसे किसी बच्चे को पास रखने और उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के योग्य पाया गया है (अनुच्छेद 2 (आई))।

बाल न्याय क़ानून के अंतर्गत कोई व्यक्ति या संस्थान 'फिट' है या नहीं, यह बात किसी योग्य अधिकारी/सरकारी विभाग के द्वारा ही तय की जा सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह काम महिला एवं बाल कल्याण विभाग या समाज कल्याण विभाग के ज़िम्मे होता है। कुछ राज्यों में बाल न्याय विभाग को समाज कल्याण के अंतर्गत रखा जाता है जबकि कुछ राज्यों में उसे बाल कल्याण विभाग के तहत रखा गया है जहां यह काम महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चला जाता है।

गैर सरकारी संगठनों के लिए कुछ सुझाव

- यदि किसी गैर सरकारी संगठन को बाल व्यापार के बारे में कोई सूचना मिलती है तो वह उस मामले में खुद कार्रवाई कर सकता है या उस मामले को चाइल्ड लाइन सहित किसी ऐसी एजेंसी के पास भेज सकता है जो इस तरह के मुद्दों पर काम करती है। सभी गैर सरकारी संगठनों के लिए ऐसे मामलों में खुद हस्तक्षेप करना और कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता। अगर यह मुद्दा उस संगठन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है और उसके पास ऐसे मामलों को संभालने के लिए ज़रूरी योग्यता या अनुभव नहीं है तो संगठन को खुद दखल नहीं देना चाहिए।
- कोई एनजीओ और/या बाल न्याय क़ानून के अंतर्गत बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाला 'फिट संस्थान' तथ्यों की तस्दीक करने के लिए बाल व्यापार की संबंधित घटना की जांच कर सकता है ताकि मामले को पुलिस की जानकारी में लाने या बच्चे को बचाने की कार्रवाई की जा सके। याद रखें कि इस तरह की शुरुआती जांच–पड़ताल से अपराधी चौकस भी हो सकते हैं। शुरुआती जांच का फैसला इस समझ पर भी आधारित होना चाहिए कि यह काम बहुत जल्दी पूरा होना है क्योंकि आपकी तरफ से देरी होने पर बच्चे को और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है।
- बेहतर होगा कि आप खुद समानांतर विधि क्रियान्वयन एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में काम करने की बजाय अधिकृत संस्थानों/संरचनाओं के साथ मिलकर काम करें। ध्यान रखें कि एक गैर सरकारी संगठन या उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के पास किसी भी अन्य साधारण नागरिक के मुकाबले कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं जिनके आधार पर वह क़ानूनी कार्रवाई कर सकें।
- किसी भी बचाव कार्य में पुलिस सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को एक बार फिर दोहरा दें कि बच्चे को

बचाने या बरामद कर लेने के बाद पुलिस, चाइल्ड लाइन, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनहित में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वह 24 घंटे के भीतर उस बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने हाज़िर करे। इस दौरान संबंधित 'फिट व्यक्ति'/'फिट संस्थान' शुरुआती तफ़्तीश कर सकते हैं। बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने हाज़िर करने के बाद जो भी जांच–पड़ताल होगी वह सीडब्ल्यूसी के निर्देशों के अनुसार होगी।

- इस बात का ध्यान रखें कि पीड़ित बच्चे को किसी थाने में रात को कतई न रुकना पड़े। बचाव के बाद उसे किसी सुरक्षित और अच्छी जगह पर रखा जाना चाहिए। प्रथम श्रेणी जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे का बयान दर्ज करवाने में कतई देरी नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि बच्चा एक पीड़ित है न कि कोई अपराधी इसलिए उसे थाने में रखने की बजाय किसी सही और सम्मानजनक माहौल में ही रखा जाना चाहिए।

अच्छे संरक्षण में और सुरक्षित स्थान पर रहना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी बच्चा बरामदगी के बाद रात को थाने में न रहे।

याद रखें, बाल व्यापार से पीड़ित बच्चों को मां–बाप के साथ रहने पर किसी तरह के नुकसान या कष्ट की आशंका हो सकती है। बच्चे को उनके पास नहीं छोड़ा जा सकता है। पुलिस पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वे बच्चे की बरामदगी की सूचना सीडब्ल्यूसी के किसी सदस्य को दें या किसी भी प्रथम श्रेणी जुडीशियल मजिस्ट्रेट को फ़ौरन सूचित करें ताकि बच्चे को बाल न्याय क़ानून के अंतर्गत चलाए जा रहे किसी बाल गृह में भेजा जा सके। इसके बाद बच्चे को जल्दी से जल्दी सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर देना चाहिए। ऐसे बच्चों को मां–बाप को सौंपना सीडब्ल्यूसी का काम है, पुलिस या किसी अन्य संस्था का नहीं। जहाँ सीडब्ल्यूसी उपलब्ध नहीं है वहाँ प्रथम श्रेणी जूडीशियल मजिस्ट्रेट इस मामले में यह निर्णय लेते हैं।

जांच–पड़ताल/जांच रिपोर्ट/बचाव कार्यों में संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए चैकलिस्ट

बर्नार्ड बॉयटॉन द्वारा लिखित "एन एनजीओज़ प्रैक्टिकल गाइड इन दि फाइट अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग", टेरे डेस होम्स, बाल अधिकार विभाग, ले मोंते–सुर–लोसाने, फरवरी 1999 पर आधारित :

1. बच्चे के सामने मौजूदा या संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में जांच–पड़ताल/जांच रिपोर्ट/बचाव आदि करने वाले किसी भी एनजीओ और इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले सहभागियों (व्यक्तियों, संगठनों, आदि) के लिए यह मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ट्रैफ़िकिंग की वास्तविक घटना से ध्यान हटाने के लिए ग़लत जानकारियां भी फ़ैलाई जाती हैं। दूसरी ओर, जांच एवं बचाव कार्यों में लगे लोगों के सामने झूठे आरोपों का भी ख़तरा रहता है।

2. सबूत जुटाने के लिए कभी भी ट्रैफ़िकर का भेष धर कर काम न करें (हो सकता है कि किसी एनजीओ के प्रतिनिधि को लगे कि वह बच्चे को ख़रीदने के इच्छुक ग्राहक का स्वांग भर कर ज़रूरी सबूत जुटा सकता है। लेकिन यह कोशिश बड़ी आसानी से उसके ख़िलाफ़ भी जा सकती है और उसे बाद में ख़ुद यह साबित करना पड़ सकता है कि वह अपराधी नहीं है बल्कि उसने तो सिर्फ़ सबूत जुटाने के लिए यह स्वांग रचा था)।

3. अगर आप अपराधियों का पीछा करना चाहते हैं या शुरुआती जांच के लिए किसी सौदे का पता लगाना चाहते हैं तो कम से कम दो या उससे ज़्यादा व्यक्तियों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों या समूहों की भी पहचान करें जिन्हें आप जांच–पड़ताल/तफ़्तीश/बचाव कार्यों में शामिल कर सकते हैं या जिनके सहारे आप बच्चे को बचाने व अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए क़ानूनी कार्रवाई में मदद दे सकते हैं।

4. जहां कहीं भी बच्चे, उसके परिवार वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मोहल्ले के लोगों तक पहुंचना संभव हो वहां किसी भी तरह की जानकारियां इकट्ठा करने के लिए बहुत सावधानी से सिर्फ़ ऐसे सवाल पूछें जिनसे लोग भयभीत या आतंकित महसूस न करें।

5. इस बात का भी मूल्यांकन करें कि बच्चे के सामने भावी यंत्रणा की कितनी आशंका है। पीड़ित बच्चे का विश्वास व साथ हासिल करने के रचनात्मक तरीके ढूंढें।

6. बच्चे की पहचान गुप्त रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी तस्वीर, विडियो, टेप रिकार्डिंग आदि न करें और किसी भी सूरत में इस सिद्धांत का उल्लंघन न करें क्योंकि इससे आगे चलकर बच्चे का जीवन ख़तरे में पड़ सकता है।

7. इस बात के लिए तैयार रहें कि बच्चे को घटनास्थल से फ़ौरन दूर ले जाना और उसे ट्रॉमा काउंसलिंग उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है।

8. संबंधित लोगों (बच्चा, आरोपी अपराधी, बच्चे का परिवार, वह माहौल जहां बच्चे को बंद करके रखा गया था आदि) के नाम/पते/पहचान की दोबारा पुष्टि करके अब तक मिली जानकारियों और ट्रैफ़िकिंग से संबंधित तथ्यों की विश्वसनीयता का पता लगाएं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप उस मामले के बारे में कोई निष्कर्ष या फैसला निकाल कर बैठ जाएं।

9. जिन चीज़ों के आधार पर आप ये कहना चाहते हैं कि यह ट्रैफ़िकिंग का मामला है, उनके बारे में पूरी सटीकता बरतें। जगह का विवरण, तारीख, समय, संख्या, वहां मौजूद व्यक्तियों की राष्ट्रीयता और विवरण, उनकी अनुमानित उम्र, पहनावा, पीड़ितों की आवाजाही में इस्तेमाल किए गए वाहन, यात्रा की अवधि (दिन, रात आदि...); पीड़ितों के साथ हुई यांत्रणा, उन्हें दिया गया भोजन एवं पीने की चीज़ें, आर्थिक लेन–देन आदि के बारे में तमाम ब्यौरे बारीकी से दर्ज कर लें।

10. हर चीज़ लिख कर रखें। यह भी लिखते जाएं कि किन चीज़ों की पुष्टि हो चुकी है और कौन सी बातें अंदाजे पर आधारित हैं, कौन सी बातें पीड़ित द्वारा बतायी गई हैं और कौन सी बातें किसी अन्य पक्ष द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित हैं और कौन सी अफ़वाहों आदि से निकली हैं। इससे आपको सारी जानकारियों का विश्लेषण करने, उन क्षेत्रों/मुद्दों का पता लगाने जिनके बारे में और ज़्यादा जानकारियों की ज़रूरत है और ऐसा करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलेगी। लिखित विवरणों से बाद में जांच के दौरान काफ़ी मदद मिलती है। अपराधियों को सज़ा दिलाने की प्रक्रिया में भी गवाह के तौर पर आपके लिखित विवरण बहुत मददगार साबित होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि मुकदमे के दौरान जांच करने वाले को भी एक गवाह के तौर पर बुलाया जाता है या बुलाया जा सकता है। इसके अलावा, आपकी सूचनाएं बचाव पक्ष के वकील के सामने जिरह के लिए भी रखी जा सकती हैं।

11. पहली ही लिखित रिपोर्ट में गवाहों और पीड़ितों के नाम ज़ाहिर न करें। जब आप पुलिस या सीडब्ल्यूसी या अदालत के सामने जाते हैं तभी लोगों के असली नाम उजागर करें।

12. मामले को आख़िर तक जारी रखने (शिकायत/एफ़आईआर/सबूत/क्रॉस एग्ज़ामिनेशन/मनोवैज्ञानिक क़ानूनी सहायता/पीड़ित बच्चे का पुनर्वास और पुनःएकीकरण) के लिए तैयार रहें

अभियोजन पक्ष को मदद देना

1. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर और सभी स्थितियों में पीड़ित की ओर से खुद कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों को विधिसम्मत तरीके से सहायता दें या उनका प्रतिनिधित्व करें :

   – जब पीड़ितों के पास अपना बचाव करने के लिए कोई क़ानूनी (या आर्थिक) ताक़त नहीं होती
   – जब उनकी सुरक्षा को ख़तरा हो (तात्कालिक या लंबे दौर में)
   – जब पीड़ित (या उनके परिवार) आपसे ऐसा करने के लिए आग्रह करें
   – जब जांच के कारण पीड़ितों की सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती हो।

2. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह बनने पर ज़ोर दें और जहां तक हो सके अभियोजन पक्ष को मदद दें।

3. इस बात का पता लगाएं कि अब तक क्या किया जा चुका है। मसलन, क्या किसी के बयान दर्ज किए गए हैं, शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, क्या मिलते–जुलते या वैसे ही मामलों में पहले भी अपराधियों को सज़ा दी जा चुकी है (किसके द्वारा, किन परिस्थितियों में और किसके आग्रह पर)? क़ानूनी सलाह और सहायता के लिए किसी वकील से संपर्क करें।

4. पता लगाएं कि तथ्यों को साबित करने में विश्वसनीय ढंग से कौन आपकी मदद कर सकता है? आंशिक या पूर्ण जवाबी जांच में कौन हिस्सा ले सकता है?

5. इस बात का मूल्यांकन करें कि प्रत्येक मुखबिर और/या गवाह को बयान देने या अपने बयान से मुकरने के लिए कौन से निजी हित/अहित प्रेरित कर रहे हैं।

6. अकसर ऐसा होता है कि मुकदमा लंबा खिंचने पर गवाह उसमें हिस्सा लेने से कतराने लगते हैं। ऐसे जोखिमों की संभावना का मूल्यांकन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।

7. इस तरह से आगे बढ़ें कि गवाह के पास अन्य गवाहों के नाम और अन्य चीज़ों के बारे में कम से कम जानकारी हो।

8. इस बात का आकलन कर लें कि लंबे दौर में और भरोसेमंद ढंग से बच्चे, उसकी सुरक्षा और भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फ़ॉलोअप कौन करेगा। अगर कोई एनजीओ ऐसी सहायता नहीं दे सकता है तो उन सहभागी संगठनों को ढूंढें जो बच्चे के हितों को निरपेक्ष प्राथमिकता देना चाहते हैं या दे सकते हैं। देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठनों का नेटवर्क बनाने की कोशिश करें जो बच्चों के हित में काम करते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे भौगोलिक रूप से विस्थापन का भी शिकार होते हैं और उन्हें अलग–अलग समय पर अलग–अलग जगहों में मदद व सेवाओं की ज़रूरत होती है।

2005 में दर्ज

4026 बच्चों के

बलात्कार

संबंधी अपराधों के

बनस्पत 2006

में 4721

अपराध दर्ज हुए, जो

कि 17.3%

ज़्यादा थे

बाल व्यापार पर क़ानूनी कार्रवाई

क़ानूनी कार्रवाई

क़ानून की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है ?

देश के क़ानून में नीति निर्माताओं की सदिच्छाओं की झलक मिलती है। क़ानून से हमें इस बारे में सुरक्षात्मक और दंडात्मक प्रावधानों का पता चलता है कि क्या चीज़ क़ानूनी है और क्या गैरक़ानूनी है।

किसी क़ानूनी कार्रवाई में दखल देने के लिए असरदार और सशक्तिकरण करने वाले साधन के रूप में क़ानून के ज्ञान का बख़ूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग क़ानून की समझ रखते हैं वे इंसाफ के लिए ज़्यादा बेहतर ढंग से आवाज़ उठा सकते हैं। इसके अलावा, क़ानून की जानकारी विधि क्रियान्वयन प्रक्रिया की निगरानी व मूल्यांकन के लिए तथा क़ानूनी सुधारों पर ज़ोर देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।

विधेयक, अधिनियम, क़ानून और नियमावली में फ़र्क़

विधेयक एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जिसे कोई वैधानिक संस्था या नागर समाज संगठन ऐसे मुद्दों के बारे में तैयार करते हैं जिसके बारे में क़ानून बनाया जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ में उस अपेक्षित क़ानून का औचित्य, समाज की व्यापक चिंताओं तथा एक ठोस क़ानून की रूपरेखा होती है। जब विधेयक को संसद में पेश किया जाता है और सांसदों की बहस के बाद लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों से उसे पारित कर दिया जाता है तो विधेयक को मंज़ूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है।

अधिनियम एक ऐसा विधान होता है जो किसी आचरण की क़ानूनी वैधता साबित करता है और अगर वह आचरण उस अधिनियम के अंतर्गत गैरक़ानूनी है तो उसके लिए सज़ा व जुर्माने का प्रावधान करता है और अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तय करता है।

क़ानून का आशय सामान्य रूप से लिखित आचार संहिता से होता है। आम तौर पर, सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले सभी अधिनियमों और नियमावलियों के समुच्चय को क़ानून कहते हैं। नज़ीर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले न्यायिक फ़ैसले और व्यवस्थाएं भी क़ानून का हिस्सा होती हैं।

नियमावली किसी भी क़ानून को लागू करने के लिए तय प्रक्रिया संबंधी उपकरणों का समुच्चय होती है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य अपने समाज की ख़ासियतों और अनूठेपन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अधिनियम की नियमावलियों का अपना समूह सूत्रबद्ध करता है। मिसाल के तौर पर, बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई राज्य स्तरीय नियमावलियों के बीच कई फ़र्क़ मिलते हैं।

किसी नियमावली और अधिनियम के प्रावधानों के बीच टकराव की स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों को सर्वोपरि माना जाता है। संवैधानिक प्रावधान सबसे ऊपर होते हैं।

भारत का संविधान

अधिनियम	न्यायिक प्रस्थापनाएं
नियमावली	सर्वोच्च न्यायालय
उप–क़ानून	उच्च न्यायालय

क़ानूनी कार्रवाई शुरू करना: प्रक्रिया संबंधी क़ानून तथा जानने लायक चीज़ें

अपराधों का वर्गीकरण

सभी अपराधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- संज्ञेय और गैर–संज्ञेय अपराध

संज्ञेय और गैर–संज्ञेय अपराध दो तरह के हो सकते हैं :

- ज़मानती और गैर–ज़मानती

संज्ञेय और गैर–संज्ञेय अपराध क्या होते हैं ?

संज्ञेय अपराध तुलनात्मक रूप से गंभीर अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों को प्रथम सूचना रजिस्टर (एफ़आईआर) में दर्ज करना और उनकी जांच करना पुलिस का अनिवार्य दायित्व होता है। यानी, ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई की संभावना साफ दिखाई देती है। संज्ञेय अपराध के सिलसिले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ़्तार कर सकती है। सभी संज्ञेय अपराध आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की पहली अनुसूची या उस समय लागू किसी भी क़ानून के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य होते हैं। संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज कराने वाले को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर) की एक कॉपी पाने का अधिकार होता है।

गैर–संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनके मामले में पुलिस के पास मामले की जांच करने या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना किसी को गिरफ़्तार करने का अधिकार नहीं होता। सार्वजनिक रूप से उपद्रव करना, गाली–गलौज करना, थप्पड़ मारना, परिवार में झगड़ा या पड़ोसियों से झगड़ा आदि छोटी–मोटी घटनाएं गैर–संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आती हैं। ऐसे मामलों में पुलिस गैर–संज्ञेय शिकायत दर्ज करती है।

गैर–संज्ञेय अपराध के मामले में शिकायत करने वाले को केवल एक पर्ची दी जाती है जिस पर उस गैर–संज्ञेय शिकायत का पंजीकरण नंबर लिखा होता है।

ज़मानती और गैर–ज़मानती अपराध क्या होते हैं?

संज्ञेय अपराध दो तरह के होते हैं – ज़मानती और गैर–ज़मानती

ज़मानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें आरोपी को थाने में ही ज़मानत पाने का अधिकार होता है बशर्ते वह पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार मुचलका और/या ज़मानत राशि/दस्तावेज़ मुहैया करा दे।

गैर–ज़मानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें ज़मानत देने का अधिकार केवल अदालत के पास होता है। ऐसे मामले में अपराधी को ज़मानत पर छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार पूरी तरह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है और अदालत को इस बारे में फ़ैसला सुनाते हुए लिखित कारण बताने होते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की पहली अनुसूची में सभी संज्ञेय/गैर–संज्ञेय और ज़मानती/गैर–ज़मानती अपराधों की सूची दी गई है।

शिकायत क्यो हैं ?

शिकायतें दो तरह की होती हैं। अगर हम क़ानून का सार्थक ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें दोनों तरह की शिकायतों के बीच फ़र्क़ अच्छी तरह पता होना चाहिए।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शिकायत को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई आरोप जिसके ज़रिए इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात पर उचित कार्रवाई करें कि ज्ञात या अज्ञात, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है लेकिन वह बात पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आयी है" (अनुच्छेद 2(डी))।

1. जब हम 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं और किसी दुर्घटना/चोट की रिपोर्ट देते हैं या, जब हम मौखिक अथवा लिखित रूप से पुलिस को किसी घटना या क्षति के बारे में सूचित करते हैं तो हम पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा रहे होते हैं। इस तरह की शिकायत पीड़ित/ग्रस्त व्यक्ति भी दर्ज करा सकते हैं और उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई चश्मदीद/प्रत्यक्षदर्शी भी दर्ज करा सकता है।

   - पुलिस को आप फ़ोन के ज़रिए या व्यक्तिगत रूप से शिकायत दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से दी गई शिकायत मौखिक या लिखित हो सकती है। अगर लिखित शिकायत दी गई है तो शिकायत करने वाला अपनी शिकायत की फ़ोटोकॉपी अपने पास रख सकता है और उसके लिए पुलिस से शिकायत नम्बर मांग सकता है।
   - कायदे से सभी लिखित शिकायतें पीड़ित/घायल व्यक्ति द्वारा ही दर्ज करायी जानी चाहिएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एफ़आईआर, चार्जशीट और अन्य दस्तावेज़ों के साथ शिकायत को अदालत में पेश किया जाता है तो उन दस्तावेज़ों में उल्लिखित तथ्यों की विश्वसनीयता और अन्य समर्थक साक्ष्य आपका पक्ष और मज़बूत बना देते हैं।

2. हम मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल, हमारे देश की आपराधिक प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई गई शिकायत को ही क़ानूनन शिकायत की मान्यता दी जाती है। इस तरह की शिकायत किसी अपराध के बारे में एक सरकारी दस्तावेज़ का रूप ले लेती है जिसे अदालत में पेश किए जाने पर उसमें उल्लिखित अपराध के लिए किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से अपराधी ठहराया जा सकता है।

   - पीड़ित/घायल व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने क़ानूनी शिकायत दे सकता है।
   - कुछ मामलों में केवल पीड़ित व्यक्ति ही मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दे सकता है (धारा 195, 198, 199 सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाली शिकायतें इसी श्रेणी में आती हैं)। इस श्रेणी में लोक अधिकारियों द्वारा विधायी प्राधिकार की अवमानना; विवाह के विरुद्ध अपराध; तथा अवमानना आदि मामले आते हैं। विवाह के विरुद्ध अपराध के कुछ मामलों में, जैसे जब पीड़ित व्यक्ति नाबालिग हो या वह परस्त्रीगमन के आरोपी की पत्नी हो तो पीड़ित व्यक्ति के अभिभावक या रिश्तेदार या दोस्त की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
   - अदालत के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी किसी गैर–संज्ञेय अपराध की जांच नहीं कर सकते। इसलिए, सभी गैर–संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक क़ानूनी शिकायत दर्ज कराना ज़रूरी होता है।
   - संज्ञेय मामलों में पुलिस को अनिवार्य रूप से एफ़आईआर दर्ज करनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीड़ित/घायल व्यक्ति या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। मिसाल के तौर पर, यदि पुलिस बाल व्यापार से संबंधित शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित बच्चा या उसकी ओर से कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष क़ानूनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
   - मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए क़ानूनी सलाह ज़रूर ली जानी चाहिए।

रोज़नामचा (डेली डायरी) क्या है ?

हर थाने में एक रोज़नामचा होता है। इस रजिस्टर में टेलीफ़ोन के माध्यम से, लिखित या मौखिक सभी तरह की शिकायतों को दर्ज किया जाता है। इस रजिस्टर को ही स्टेशन डायरी भी कहा जाता है। शिकायत दर्ज कराने वाले को डीडी नंबर (डेली डायरी या रोज़नामचे में दर्ज किए गए मामले का रजिस्ट्रेशन नंबर) ज़रूर पूछ लेना चाहिए। अगर अपराध गैर–संज्ञेय किस्म का है तो शिकायत कर्ता को डेली डायरी एंट्री की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है जिस पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। इस डेली डायरी एंट्री की एक प्रति शिकायत कर्ता को निःशुल्क मिलनी चाहिए। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस के पास दर्ज कराई जा रही शिकायत को एफ़आईआर में तब्दील किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता को एफ़आईआर की एक प्रति पुलिस से निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

थाने की दैनिक कार्रवाइयों की डायरी को डेली डायरी (रोज़नामचा) कहा जाता है। प्रभारी अधिकारी पूरे दिन में थाने में आने वाले सभी मामलों को रोज़नामचे में दर्ज करता है और हर मामले को एक पंजीकरण संख्या देता है जिसके आधार पर आगे उनका ज़िक्र किया जाता है।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को रोज़नामचा में संबंधित मामले से जुड़े तथ्यों को संक्षेप में लिखना होता है। मिसाल के तौर पर, वह हमलावर या आरोपी का नाम, गवाहों के नाम और इस्तेमाल किए गए हथियारों आदि का ब्यौरा दर्ज कर सकता है।

अलग–अलग अपराधों के हिसाब से थाने में कई रोज़नामचे हो सकते हैं। जैसे, आईपीसी अपराधों का रजिस्टर, अन्य वैधानिक क़ानूनों के तहत होने वाले अपराधों का रजिस्टर, स्थानीय और विशेष क़ानूनों के तहत होने वाले अपराधों का रजिस्टर आदि। आईपीसी अपराधों के रजिस्टर में अपहरण, चोट, बलात्कार, हत्या आदि अपराधों के लिए अलग–अलग डायरियां और प्रविष्टियां भी हो सकती हैं।

एफ़आईआर क्या होती है ?

किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को मिलने वाली पहली सूचना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (फर्स्ट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट – एफ़आईआर) होती है। इसी के आधार पर पुलिस आगे की जांच करती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के अनुसार पुलिस के पास आने वाली आपराधिक शिकायत को थाने का प्रभारी अधिकारी लिख कर दर्ज कर लेता है।

सीआरपीसी की धारा 154 : संज्ञेय मामलों की सूचना

(1) किसी भी संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी सूचना अगर थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह उसे ख़ुद या अपने निर्देशानुसार लिखित रूप में दर्ज कराए और इसके बाद उस जानकारी को शिकायतकर्ता या सूचना लाने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाए। ऐसी प्रत्येक सूचना जो चाहे लिखित रूप में दी गई हो या उपरोक्त विधि से लिखी गई हो, उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर जरूर कराएं जाएंगे और उस सूचना की अंतर्वस्तु को उस अधिकारी द्वारा उस पुस्तिका में दर्ज करना होगा जिसकी राज्य सरकार ने इस विषय में सिफारिश की होगी।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दर्ज की गई सूचना की एक प्रति सूचना प्रदान करने वाले को निःशुल्क दी जाएगी।

(3) अगर थाने का प्रभारी अधिकारी उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना को दर्ज करने से इनकार करता है तो सूचना लाने वाला व्यक्ति अपनी सूचना को लिखकर डाक के माध्यम से संबंधित इलाके के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को भेज सकता है। अगर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को विश्वास है कि उस सूचना में किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दिखाई देती है तो या तो वह उसकी ख़ुद जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को उसकी जांच का आदेश देगा। यह जांच इस संहिता में बतायी गई पद्धति से की जाएगी तथा संबंधित जांच अधिकारी को उस अपराध के संबंध में वे शक्तियां प्राप्त होंगी जा एक थाने के अधिकारी को प्राप्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

इस धारा में प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई नागरिक पुलिस को सूचित करता है या पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की घटना के बारे में पता चलता है तो थाना प्रभारी (एसएचओ) को उसके बारे में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर) दर्ज करनी होगी और वहीं से आपराधिक जांच शुरू हो जाएगी।[1]

पुलिस को दी गई शिकायत और एफ़आईआर के बीच संबंध

पुलिस को दी गई शिकायत अपने आप में किसी अपराध के आरोप का पर्याप्त दस्तावेज़ी सबूत नहीं होती क्योंकि उसमें संज्ञेय आरोपों का जिक्र नहीं किया जाता है।

इसीलिए किसी संज्ञेय और ज़मानत योग्य या गैर–ज़मानती अपराध से संबंधित शिकायत को एफ़आईआर में ज़रूर तब्दील किया जाना चाहिए।

एफ़आईआर केवल संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज कराई जाती है। केस शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए एफ़आईआर सबसे पहला कदम होती है।

1 वर्मा, अरविंद, रिपोर्टिंग ए क्राइम, जनवरी 2004, http://www.indiatogether.org/2004/jan/gov-policefir.htm

कुलदीप सिंह बनाम राज्य, 1994, सीआर.एल.जे. 2502 (दिल्ली)

जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के घटने की सूचना दी जाती है तो उसके पास मामले को दर्ज करने और संहिता के अध्याय 12 के प्रावधानों के अंतर्गत मामले की जांच आगे बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। संहिता की धारा 157 (1) में दिए गए तर्कों के आधार पर पुलिस जांच न करने का निर्णय भी ले सकती है। लेकिन, पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलने पर मामला दर्ज करने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं होता। पुलिस मामले को दर्ज किए बिना जांच करके यह भी नहीं कह सकती कि इस जांच के आधार पर मामले को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह तय करना पुलिस का अधिकार होता कि किस मामले में पुलिस संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करेगी और उसके आधार पर केस को दर्ज करने या न करने का फ़ैसला लेगी तो अपराध की सूचना को दर्ज कराने में निश्चित रूप से देरी होगी और इस बीच कई भौतिक साक्ष्य ग़ायब हो सकते हैं। न्यायपालिका सहित यह व्यवस्था की सभी शाखाओं का दायित्व है कि वे सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करें। इसलिए अपराध को शीघ्र दर्ज कराने और न्यायपालिका के ज़रिए पुलिस पर नियंत्रण के प्रावधान किए जाने चाहिएं। अगर किसी मामले को दर्ज करने या न करने का अधिकार केवल पुलिस के हाथ में सौंप दिया जाएगा तो न केवल मानवाधिकारों की उपेक्षा होगी बल्कि अपराधों की रोकथाम में भी परेशानी पैदा होगी।

मुन्ना लाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य, 1999 सीआर.एल.जे. 1558 (हिमाचल प्रदश)

एफ़आईआर दर्ज कराने के बारे में क़ानूनी प्रावधान बहुत साफ है। जब याचिकाकर्ता पुलिस के पास गया... और उसने इस याचिका में दिए गए तथ्य पुलिस की जानकारी में ला दिए और एफ़आईआर दर्ज करने का आग्रह किया तो पुलिस के पास उसे दर्ज करने और फ़ौरन जांच शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अलग बात है कि जांच करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि कोई अपराध नहीं हुआ है और इस आधार पर वह एफ़आईआर को निरस्त करने का आग्रह करते हुए अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करा सकती है। जांच करने और एफ़आईआर दर्ज करने की बजाय किसी अपराध के होने या न होने के बारे में राय बना लेने का तरीका क़ानून के हिसाब से अनजाना है।

एफ़आईआर का महत्व और प्रासंगिकता क्या है?

एफ़आईआर का व्यावहारिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें शुरुआती चरण से ही सूचनाएं दर्ज होती हैं जिस समय शिकायत दर्ज कराने वालों की याददाश्त बहुत स्पष्ट और साफ होती है। लेकिन अकसर ऐसा होता है कि बाल व्यापार के मामले में ट्रैफ़िकिंग की वास्तविक घटना और एफ़आईआर दर्ज कराने के बीच काफ़ी समय गुज़र चुका होता है। इसके बावजूद एफ़आईआर के महत्व में कमी नहीं आती क्योंकि :

> "मुकदमे में मौखिक सबूतों की पुष्टि अनिवार्य होती है।"
>
> (ऑल इंडिया रिपोर्टर, 1973; सुप्रीम कोर्ट 501)

- एफ़आईआर किसी आपराधिक मुकदमे में पेश किए जाने वाले सबूतों की पुष्टि के लिए कुछ बेहद मूल्यवान और महत्वपूर्ण सूचनाएं मुहैया कराती है।
- यह उस घटना का पहला विवरण होता है और इसलिए महत्वपूर्ण होता है। उसी से पता चलता है कि जांच कहां से शुरू हुई थी और मामले का मूल विवरण क्या था।

एफ़आईआर कौन दर्ज करवा सकता है?[2]

कोई पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो (क) एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में तथा (ख) अनुश्रुति के रूप में अपराध से अवगत है।

अगर शिकायतकर्ता लिखना–पढ़ना नहीं जानते है तो वे मौखिक शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उनकी तरफ से पुलिसकर्मियों को शिकायत लिखनी होती है। ऐसी शिकायत को पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए और अगर शिकायतकर्ता को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। अगर शिकायत सही ढंग से दर्ज हुई है तो शिकायतकर्ता उस पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है। शिकायतकर्ता को किसी गलत शिकायत पर दस्तख्त या अंगूठे का निशान नहीं लगाना चाहिए। उसे इस बात पर अड़े रहना चाहिए कि उसकी शिकायत सही ढंग से दर्ज की जाए। शिकायत ही एफआईआर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।

Source: The Police And You, Our Laws, Multiple Action Research Group (MARG), 1992

2 http://www.kiranbedi.com/feature.htm

सुने–सुनाये विवरण पर आधारित एफ़आईआर के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को बयान के नीचे अपना हस्ताक्षर करना होता है और सूचना के स्रोत का उल्लेख करना होता है ताकि वह जानकारी गैर–ज़िम्मेदाराना अफ़वाह का रूप न ले ले।

याद रखें : पुलिस एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती।

क्या किसी सूरत में टेलीफ़ोन कॉल भी एफ़आईआर का रूप ले सकती है ?

जी हां, 100 नंबर पर फ़ोन करके कोई भी व्यक्ति एफ़आईआर दर्ज करवा सकता है। 100 नंबर पर किस जगह से फ़ोन किया गया है, उस जगह का नाम पुलिस मुख्यालय में आ जाता है और उस जगह से सबसे नज़दीकी पुलिस थाने के बीट कांस्टेबल को इस बारे में प्रारंभिक जांच का ज़िम्मा सौंप दिया जाता है। इसके बाद अगर यह पाया जाता है कि वह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो ड्यूटी ऑफिसर उस मामले को दर्ज कर सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी अस्पष्ट या गलत–सलत जानकारी को एफ़आईआर दर्ज करने के लिए ज़रूरी सूचना मान लिया जाएगा।

किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित हर टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना को एफ़आईआर के रूप में नहीं देखा जा सकता। वह कॉल "प्रथम सूचना" का स्रोत है या नहीं, यह मोटे तौर पर तथ्यात्मक बात होती है जो हरेक मामले के हालात के आधार पर अलग ढंग से तय होती है।

एफ़आईआर कौन लिख/दर्ज कर सकता है ?[3]

शिकायतकर्ता एफ़आईआर नहीं लिख सकता। एफ़आईआर हमेशा थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही लिखी जाती है।

मौके पर मौजूद थाने का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ या उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी जो कांस्टेबल से ऊपर के पद का हो, वह प्रभारी अधिकारी या ड्यूटी ऑफिसर होता है। अगर एसएचओ इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है तो सब–इंस्पेक्टर या हैड–कांस्टेबल प्रभारी अधिकारी होता है ही शिकायत स्वीकार करेगा या एफ़आईआर दर्ज करेगा (धारा 2 आपराधिक प्रक्रिया संहिता)।

थाने के प्रभारी अधिकारी से ऊंचे पद के पुलिस अधिकारियों के पास भी यह अधिकार होता है।

कई बार ऐसा होता है कि सूचना देने वाला इलाके में गश्त पर निकले किसी पुलिस अधिकारी या स्थानीय पुलिस चौकी के प्रभारी को कोई जानकारी दे देता है। ज़ाहिर है कि थाने के अधिकारी उस स्थान के प्रभारी अधिकारी नहीं होते इसलिए उन्हें दी गई इस तरह की सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये अधिकारी सूचना देने वाले का बयान दर्ज करते हैं और उसे एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के एसएचओ के पास भेज देते हैं। लेकिन इस तरह के बयान भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत अदालत में पेश किए जा सकते हैं।

एफ़आईआर दर्ज कराने के मामले में न्यायाधिकार एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। कोई भी शिकायत किसी भी थाने में दर्ज

एसएचओ अपनी जानकारी या ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित परिस्थितियों में खुद मामला दर्ज कर सकता है :

धारा 156 (3), आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब शिकायत प्रभारी अधिकारी को भेजी गई हो। अगर सूचना केवल सुनी–सुनायी बातों पर आधारित है तो एसएचओ को केवल तभी मामला दर्ज करना चाहिए जब उस जानकारी को लाने वाला व्यक्ति शिकायत पर अपना दस्तख्त करने को तैयार हो और वह सूचना का स्रोत भी बताए ताकि यह जानकारी गैर–ज़िम्मेदाराना अफ़वाह का रूप न ले सके। जो सूचना आप दर्ज कराना चाहते हैं वह निश्चित होनी चाहिए, अस्पष्ट न हो, विश्वसनीय हो, निराधार न हो, गप–शप या अफ़वाह न हो, उसके आधार पर एक स्पष्ट संज्ञेय घटना बनती हो।

अगर किसी थाने के एसएचओ को मिली सूचना किसी अन्य पुलिस अधिकारी से मिले संदेश पर आधारित है और एसएचओ ने इस बात की जांच कर ली है कि जो संदेश उसे भेजा गया था वह किसी अपराध की परिस्थितियों का विवरण था जिसके चलते सूचना प्राप्त करने वाला पुलिस अधिकारी जांच शुरू कर सकता है (जगदीश एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश सरकार, 1992 सीआर.एल.जे. 1981 (मध्य प्रदेश))।

चिकित्सकीय प्रमाण पत्र या किसी डॉक्टर की रिपोर्ट मिलने पर एसएचओ को यह जानकारी रोज़नामचे में दर्ज करने के बाद अस्पताल जाकर घायल व्यक्ति का विस्तृत बयान लेना होता है ताकि एफ़आईआर लिखी जा सके।

3 वही।

कराई जा सकती है। अगर उस थाने के न्यायाधिकार के बाहर का मामला है, तब भी वह थाना एफ़आईआर करने से इन्कार नहीं कर सकता; उसे जीरो एफ़आईआर करनी ही होगी। इस तरह को ज़ीरो एफ़आईआर इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यायाधिकार की पुष्टि होने पर उपरोक्त थाने में ज़ीरो एफ़आईआर ट्राँस्फर कर दी जाती है और तब उस पर सही एफ़आईआर नं. डाला जाता है या फिर शिकायतकर्ता एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाता रह जाता है। एफ़आईआर दर्ज कराने के बाद, जिस थाने में एफ़आईआर दर्ज कराई गई है वह थाना उस एफ़आईआर को जांच के लिए उस पुलिस थाने में भेज देता है जिसके न्यायाधिकार में वह मामला आता है। लेकिन, आमतौर पर किसी थाने का प्रभारी अधिकारी केवल तभी एफ़आईआर लिखता है जब कोई संज्ञेय अपराध उसके थाने के न्यायाधिकार क्षेत्र में ही घटित हुआ हो।

एफ़आईआर का प्रारूप[4]

बुक नं.....

फॉर्म संख्या 24.5 (1)

प्रथम सूचना रिपोट

आपराधिक दंड संहिता की धारा 154 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना
पुलिस थाना..... ज़िला ..... क्रमांक .....

घटना की तारीख और समय.....

1.	सूचना प्राप्ति की तारीख और समय	
2.	सूचना देने वाले और शिकायतकर्ता का नाम व पता	
3.	वारदात का संक्षिप्त ब्यौरा (धारा सहित) और अगर कोई माली नुकसान हुआ हो तो उसका ब्यौरा	
4.	वारदात का स्थान और थाने से उसकी दूरी व दिशा	
5.	अपराधी का नाम और पता	
6.	जांच के बारे में उठाए गए कदम, सूचना रिकॉर्ड करने में देरी की वजह	
7.	पुलिस थाने से डिस्पैच की तारीख और समय	

हस्ताक्षर.....

पद.....

(प्रथम सूचना नीचे दर्ज की जाए)

नोट : सूचना के आख़िर में सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या मुहर या अंगूठे का निशान होना चाहिए। उसके बाद निश्चित जगह पर एफ़आईआर लिखने वाले का हस्ताक्षर होना चाहिए।

एफ़आईआर के बुनियादी तत्व क्या होते हैं ?

रिकार्डिंग ऑफ़िसर तथा शिकायतकर्ता को एफ़आईआर रिकॉर्ड/रिपोर्ट करते समय इन 11 बातों का पता होना चाहिए[5] :

1. शिकायतकर्ता क्या बताना चाहता/चाहती है
2. किस हैसियत से
3. अपराध किसने किया है

4 वही।
5 वही।

4. किसके ख़िलाफ़ अपराध हुआ है
5. कब (समय)
6. कहां (स्थान)
7. क्यों (मकसद)
8. किस तरह (वास्तविक घटना का ब्यौरा)
9. गवाह
10. क्या ग़ायब हुआ
11. आरोपी ने क्या सुराग छोड़े हैं।

याद रखने लायक चीज़ें...

- एफ़आईआर अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित तथ्य होने चाहिएं ताकि पुलिस जांच शुरू कर सके।
- शिकायतकर्ता को ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों के साथ थाने में जाना चाहिए और हो सके तो सारे संबंधित सबूत और दस्तावेज़ भी ले जाने चाहिए।
- थाने में यह सूचना जनरल डायरी या स्टेशन डायरी में भी दर्ज की जाती है और एफ़आईआर को अदालती रिकॉर्ड्स के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास भी प्रेषित किया जाता है। अगर सूचना को स्टेशन डायरी से हटा दिया गया है तो इससे मुकदमे पर लाज़िमी तौर पर बुरा असर नहीं पड़ेगा लेकिन अगर मुकदमे के दौरान एफ़आईआर दर्ज कराने की तारीख और समय पर सवाल खड़ा किया जाता है तो काफ़ी फ़र्क़ पड़ सकता है।
- अगर एफ़आईआर दर्ज कराने में कोई विलंब हुआ है तो उसका भी एफ़आईआर में ज़रूर उल्लेख होना चाहिए।
- इस मौके पर यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अदालतों ने एफ़आईआर दर्ज कराने में हुए विलंब पर ध्यान दिया है और हर मामले में तथ्यों और हालात के आधार पर अपनी राय दी है। सूचना दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मनोदशा, ख़ासतौर से बलात्कार के मामले में पीड़ित की दिमागी हालत भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसी सूरत में कई दिनों के विलंब को भी अनदेखा किया जा सकता है। किसी भी मामले के सभी तथ्यों और हालात पर विचार करते हुए एफ़आईआर दर्ज कराने में हुए विलंब के असर पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए।
- अगर पुलिस को मौखिक शिकायत दी जाती है तो जो सूचना दर्ज की गई है उसे शिकायतकर्ता/सूचना दाता के सामने ज़ोर से पढ़कर सुनाया जाना चाहिए तथा उस पर शिकायतकर्ता/सूचना दाता का दस्तख़त कराना चाहिए।
- बयान यानी एफ़आईआर की एक प्रति शिकायतकर्ता/सूचना दाता को निःशुल्क दी जाएगी। ऐसा करना अनिवार्य है।

पीड़ित की चिकित्सकीय जांच

1. किसी बच्चे और उसकी मानसिक दशा की चिकित्सकीय जांच जल्दी से जल्दी करा ली जानी चाहिए। किसी डॉक्टर के द्वारा पीड़ित की जांच करवा लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
2. बच्चे को इस जांच की प्रक्रिया और ज़रूरत से अवगत कराते हुए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और उसकी जांच करने वाले डॉक्टर का व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए।
3. जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह पीड़ित बच्चे की किसी डॉक्टर से समुचित प्रकार जांच करवाए।
4. यह डॉक्टरी जांच किसी सरकारी अस्पताल या किसी ऐसे अस्पताल में होनी चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। जहां ऐसा संभव न हो वहां पीड़ित को डॉक्टरी जांच के लिए किसी स्वतंत्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। स्वतंत्र डॉक्टर द्वारा बच्चे की जांच के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस को दी जानी चाहिए।
5. जब डॉक्टर बच्चे की जांच करता है तो बच्चे को जानने वाली कोई महिला या बच्चे की विश्वासपात्र महिला या उसके परिवार का कोई व्यक्ति या दोस्त या सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ का कोई कर्मचारी उसके साथ ज़रूर होना चाहिए।
6. डॉक्टर को पीड़ित बच्चे की शारीरिक और मानसिक अवस्था की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।
7. बाद में यह रिपोर्ट सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जाएगी।

यौन दुराचार के मामले में –

अगर एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए आसपास कोई थाना नहीं है तो भी बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टरी जांच के लिए किसी स्वतंत्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।

बच्चे की डॉक्टरी जांच तथा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट या दुराचार/दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के बाद उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि उसे कितना मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा है और उसके स्वस्थ होने में किस तरह की मदद दी जा सकती है।

डॉक्टर को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा :

- क्या बच्चे की योनि/गुदा भाग के भीतर या आसपास वीर्य के अंश हैं
- क्या योनि की झिल्ली टूटी हुई है
- क्या बच्चे के शरीर पर खाल फटने, कटने, छिलने या रगड़ लगने या और किसी तरीके की बाहरी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं।

यौन–दुराचार के शिकार बच्चे की डॉक्टरी जांच–रिपोर्ट में इन सारी बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

एफ़आईआर के बाद

गवाहों से पूछताछ

एफ़आईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को मामले की जांच करनी होती है। अपनी तफ़्तीश के तहत वे सीआरपीसी की धारा 161 और 162 के तहत पीड़ित के साथ–साथ गवाहों से भी पूछताछ कर सकते हैं।

सीआरपीसी की धारा 161 और 162 के मुताबिक :

- जांच करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मौखिक पूछताछ कर सकता है जो मामले के तथ्यों और हालात से परिचित है। बच्चे की मदद करने वाले एनजीओ या व्यक्तियों से भी गवाहों के तौर पर पूछताछ की जा सकती है।
- ऐसे व्यक्ति को सभी सवालों का सही–सही जवाब देना होगा सिवाय उन सवालों के, जिनके कारण वह आपराधिक आरोप या सज़ा की चपेट में आ सकता है।
- पुलिस अधिकारी बयानों को लिखित रूप में दर्ज कर सकता है। जांच करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रत्येक व्यक्ति के बयानों का अलग से और वास्तविक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है।
- पीड़ित सहित किसी भी गवाह को लिखित बयान पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है।

सीआरपीसी की धारा 161 और 162 के तहत दर्ज किए गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं। इसकी वजह ये है कि इन बयानों को पुलिस जांच के तहत दर्ज किया जाता है और पीड़ित सहित कोई भी गवाह पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान दबाव का शिकार हो सकता है। यह एक कारण है जिसकी वजह से गवाहों को सीआरपीसी की इस धारा के तहत दर्ज किए गए बयान पर दस्तख़त करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट गवाहों के बयान दर्ज करता है तो उस रिकॉर्ड को मुकदमे में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत :

- कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के दौरान अपने सामने दिए गए किसी बयान या इकबालिया बयान को दर्ज कर सकता है लेकिन यह काम जांच या मुकदमा शुरू होने से पहले ही होना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान या इकबालिया बयान स्वैच्छिक होता है। गवाहों पर इस बात के लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि वे ऐसा कोई इकबालिया बयान दें जिसका उनके ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि वह कोई भी बयान दर्ज करने से पहले गवाहों को इस बात से अच्छी तरह अवगत करा दे। फलस्वरूप, मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वह केवल स्वेच्छा से दिए गए इकबालिया बयानों को ही दर्ज करे।
- मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है जो मामले की जांच कर रहा है या उस मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान एफ़आईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे के भीतर दर्ज कर लिया जाना चाहिए। अनैतिक

व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत अनैतिक व्यवसायों के सिलसिले में गिरफ़्तार किए गए बच्चों के मामले में यह बात ख़ासतौर से महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार दशकों पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था के अध्ययन के लिए नियुक्त की गई न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमत कमेटी की सिफ़ारिशों तथा 14वें विधि आयोग (154वीं रिपोर्ट) के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 164 से संबंधित सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं :

- गवाहों को मुकरने से रोकने के लिए धारा 164 में संशोधन किया जाए; जांच अधिकारी को चाहिए कि वह सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दिलाई गई शपथ के अनुसार दर्ज करे।
- इससे गवाहों को मुकरने से रोकने तथा दर्ज किए गए बयानों के आधार पर मामले की जांच करके अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में पुलिस को मदद मिलेगी।

आरोप पत्र (चार्जशीट) दाख़िल करना

आरोप पत्र क्या होता है ?

अगर मामला किसी छोटे–मोटे अपराध से संबंधित है तो एफ़आईआर दर्ज होने के 60 दिन के भीतर पुलिस को अपनी तफ़्तीश पूरी कर लेनी चाहिए। अगर मामला घातक और गंभीर अपराध से संबंधित है तो यह जांच एफ़आईआर दर्ज होने के बाद 90 दिन में पूरी हो जानी चाहिए (धारा 167, सीआरपीसी)।

जांच पूरी हो जाने के बाद जांच अधिकारी पुलिस रिपोर्ट को अपनी जांच के नतीजों के साथ और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा (धारा 173, सीआरपीसी)।

जब कोई पुलिस अधिकारी अभियोजन की सिफ़ारिश करते हुए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट सौंपता है तो उसे आरोप–पत्र (चार्जशीट) कहा जाता है।

पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर और आरोपी के साथ सवाल–जवाब व दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी के ख़िलाफ़ आरोप तय करता है।

आरोप पत्र का महत्व

आरोप पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है क्योंकि इसी के आधार पर अभियोजन के लिए मामला बनता है।

ज़मानत

केवल अनैतिक व्यापार के मामले में ही पीड़ितों को वेश्यावृत्ति के लिए ललचाने या फुसलाने के आरोप में गिरफ़्तार किया जाता है और उन्हें ज़मानत की ज़रूरत होती है। बाल व्यापार के बाकी सभी मामलों में पीड़ितों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता है।

जब अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम (आईटीपीए) के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए ललचाने या फुसलाने के आरोप में किसी नाबालिग को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसकी ज़मानत के संबंध में बाल न्याय अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

एक निश्चित मुचलके के बदले बाल न्याय क़ानून के तहत सभी ज़मानत योग्य या गैर–ज़मानती अपराधों के लिए प्रत्येक बच्चे को ज़मानत पाने का अधिकार होता है।

किसी बच्चे को ज़मानत पर रिहा न करने का फ़ैसला केवल तभी लिया जाता है जब ऐसा दिखाई दे रहा हो कि उसके रिहा होने पर वह किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आ जाएगा या किसी नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक ख़तरे की आशंका में पहुंच जाएगा या उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य को ठेस पहुंचेगी। लेकिन ऐसे हालात में भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे तब तक के लिए किसी ऑब्ज़र्वेशन (प्रेक्षण) होम में भेज दिया जाता है जब तक कि बाल न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) उस मामले पर अपना फैसला नहीं सुना देता। फैसला होने पर यदि इसे अपराधी घोषित किया जाता है तो वह जेल की बजाय विशेष होम में भेजा जाएगा।

बाल न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है।

बाल पीड़ित के साथ व्यवहारः जिन चीज़ों का पुलिस को ज़रूर ख़याल रखना चाहिए

- बच्चे की गोपनीयता बनाये रखने तथा गवाह के तौर पर उसे उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित बच्चे का विस्तृत साक्षात्कार अगर संकट हस्तक्षेप केंद्र या बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा लिया जाए तो बेहतर होगा। पीड़ित बच्चे का साक्षात्कार लेते हुए उसे बीच–बीच में मानसिक आराम देने और उसकी ज़रूरतों का ख़याल रखने के लिए बातचीत रोक देनी चाहिए।
- अगर पुलिस पूरी जांच के दौरान बच्चों के अनुकूल रवैया अपनाती है तो ज़रूरी जानकारियां हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि थाने में बच्चे के लिए एक सहज और सुगम वातावरण बनाया जाए और वहां उसकी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए। यह काम पुलिस थाने में या पुलिस एवं किसी एनजीओ/सीबीओ की संयुक्त देखरेख में किसी अन्य स्थान पर किया जा सकता है। बच्चे की मदद के लिए सहायक व्यक्तियों से संपर्क किया जाना चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में बच्चों के बीच काम करने वाले किसी भी नागर समाज संगठन या सीडब्ल्यूसी के सदस्यों (जिसके साथ भी बच्चा आरामदेह महसूस करे) को साक्षात्कार के समय मौजूद रहना चाहिए।
- दुभाषिये, अनुवादक, टाइपिस्ट/रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारी, ऑडियो–विडियो रिकॉर्डिंग आदि पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।
- मामले की जांच से लेकर मुकदमे तक जांच अधिकारी एक ही रहना चाहिए। बार–बार जांच अधिकारी बदलने से बच्चे का विश्वास टूटता है।
- थाने और अस्पताल में बच्चे के लिए भोजन और पानी के साथ–साथ शौचालय की भी उचित सुविधा होनी चाहिए।
- किसी भी बच्चे को थाने में नहीं रखा जाना चाहिए।
- जहां बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों तथा बच्चों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने के लिए बाल पुलिस इकाई या पुलिस अधिकारी की व्यवस्था मौजूद है वहां बच्चों से संबंधित मामले उस इकाई या अधिकारी के ज़रिए जल्दी से जल्दी बाल न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति या चाइल्ड लाइन या किसी एनजीओ की जानकारी में लाये जाने चाहिए।

बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में कुछ आम सवाल

क्या अपराधी से पूछताछ के समय बच्चे का थाने में हाज़िर रहना ज़रूरी है?

जी नहीं। बल्कि, बच्चे को तो थाने में कतई लाया ही नहीं जाना चाहिए।

क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे का बयान शिकायत/एफ़आईआर दर्ज करने के समय ही मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाए और बच्चे को दोबारा परेशान न किया जाए?

दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विशेष प्रावधान मौजूद नहीं है। मौजूदा क़ानून के मुताबिक मुकदमे के दौरान अपना बयान देने के लिए बच्चे को अदालत में हाज़िर होना ही पड़ता है (सिवाय उन अपराधों के जोकि जेजेए के अंतर्गत आते हैं जिनमें बाल पीड़ित बाल न्याय बोर्ड के सामने बयान दे सकता है)।

क्या फ़ोटोग्राफ लेने की भी कोई प्रक्रिया है? कौन फ़ोटोग्राफ लेता है (एनजीओ या पुलिस)?

पीड़ित के शरीर पर लगी किसी भी तरह की चोट एवं अन्य विवरणों को दर्शाने वाली तस्वीरों को भी ज़रूर दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में कोई प्रक्रिया तय नहीं की गई है।

क्या यह अनिवार्य है कि बाल पीड़ित खुद थाने में शिकायत दर्ज कराए?

जी नहीं। बच्चों से संबंधित अपराधों को थाने के प्रभारी अधिकारी को लिखित (व्यक्तिगत रूप से या पत्रा के माध्यम से) या मौखिक तौर पर बताया जा सकता है या इस बारे में टेलीफ़ोन के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है। अपराध से संबंधित जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बारे में प्रभारी अधिकारी को सूचित कर सकता है।

जब कोई पीड़ित बच्चा थाने में आता है तो उसके भीतर मौजूद सदमे के अहसास को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिएं ?

हरेक पुलिस थाने में 'किशोर या बाल कल्याण अधिकारी' के रूप में नियुक्त अधिकारी उपलब्ध होते हैं। वे संकटग्रस्त बच्चों और किशोरों से संबंधित मामलों को संभालते हैं। वे स्वीकृत गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि अप्रशिक्षित वर्दीधारी अधिकारी बच्चे के साथ असंवेदनशील बर्ताव न करें।

क्या किसी बच्चे को तफ़्तीश के दौरान थाने में रखा जा सकता है ?

जी नहीं। किसी बाल अपराधी या बाल पीड़ित को पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता। एक फ़ौरी उपाय के तौर पर बाल पीड़ित की देखभाल का ज़िम्मा स्वीकृत गैर सरकारी संगठनों/चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाना चाहिए। बाल अपराधी को जल्दी से जल्दी बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए तथा बाल पीड़ित को सीडब्ल्यूसी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष।

क्या किसी बच्चे को जांच के लिए थाने में ले जाया जा सकता है ?

जी नहीं। किसी गवाह बच्चे से पुलिस केवल उसके घर जाकर ही पूछताछ कर सकती है।

जब पुलिस किसी बाल अपराधी को पकड़ती है तो क्या किया जाना चाहिए ?

जैसे ही गैरक़ानूनी गतिविधियों में फंसे किसी किशोर को पुलिस पकड़ती है तो उसे इसी काम के लिए बनाई गई बाल पुलिस इकाई या संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए। इस इकाई या पुलिस अधिकारी को इस बारे में सभी जानकारी फ़ौरन बाल न्याय बोर्ड को भेज देनी चाहिए। इसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी वह बोर्ड के निर्देशानुसार होगी।

किसी किशोर की गिरफ़्तारी के बाद थाने का अधिकारी/प्रभारी इस बारे में उस बच्चे के मां–बाप या अभिभावकों को सूचित करेगा और उन्हें बोर्ड के सामने हाज़िर होने का निर्देश देगा।

किसी थाने के तैनात (Designated) पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका होती है ?

थाने के तैनात (Designated) पुलिस अधिकारी बच्चों से संबंधित मामलों को देखने के साथ–साथ 'चाइल्ड हेल्प लाइन' से आने वाली कॉल्स को संबोधित करने वाला नोडल अधिकारी तथा बाल दुराचार से संबंधित मामलों की जांच करने वाला अधिकारी भी होता है। एसएचओ की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात पर लगातार नज़र रखे कि तैनात अधिकारी बाल पीड़ितों से संबंधित मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं।

(Source: http://www.cbcid.tn.gov.in/faq.htm)

2006 में दर्ज

वैश्यावृत्ति के लिए

लड़कियों की बिक्री में

146%

वृद्धि हुई तथा अनैतिक

कार्यों के लिए लड़कियों को

हासिल करने के मामलों में

59.31%

वृद्धि नज़र आई

कानूनी प्रावधान और उनका सद्उपयोग

केस दर्ज करवाने के लिए कुछ जानकारी एवं सुझाव

वास्तविक क़ानून

चुनौती ....

'मानव व्यापार' के सारे रूपों और उद्देश्यों को संबोधित करने वाला कोई समग्र क़ानून हमारे पास नहीं है। कोई भी मौजूदा राष्ट्रीय क़ानून या प्रावधान 'मानव व्यापार' को परिभाषित नहीं करता।

अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) भारत में मानव व्यापार से संबंधित एकमात्र राष्ट्रीय क़ानून है। लेकिन 'व्यापार' (ट्रैफ़िकिंग) शब्द केवल इसके शीर्षक में आता है। इसके प्रावधानों में यह शब्द नहीं है। वैसे भी यह अधिनियम ट्रैफ़िकिंग के 'अनैतिक' रूपों यानी वेश्यावृत्ति तक ही सीमित है।

गोवा बाल अधिनियम, 2003 एकमात्र ऐसा क़ानून है जो बाल व्यापार को परिभाषित करता है लेकिन यह सिर्फ़ एक राज्य का क़ानून है जिसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता।

बाल व्यापार के ख़ात्मे पर केंद्रित किसी भी कोशिश के रास्ते में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।

भारत का संविधान क्या कहता है...

भारतीय संविधान मानव व्यापार को निषिद्ध और दंडनीय अपराध मानता है।

संविधान के अनुच्छेद 23 और 39 में प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति का स्पष्ट अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 23 में मनुष्यों की 'ट्रैफ़िकिंग', 'बेगार'[6] तथा 'अन्य सभी प्रकार के जबरिया श्रम' को निषिद्ध घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय क़ानून

संवैधानिक जनादेश के बावजूद हमारे देश में मानव व्यापार को ध्यान में रखकर आज तक सिर्फ़ एक राष्ट्रीय क़ानून बनाया गया है। यह 'अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित)' (आईटीपीए) है। लेकिन यह क़ानून भी वेश्यावृत्ति के लिए होने वाली ख़रीद–फ़रोख़्त की रोकथाम तक ही सीमित है।

भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) बहुत सारे अपराधों से संबंधित है और उसमें दोषियों को सज़ा देने के व्यापक प्रावधान किए गए हैं। यह हमारे देश का मुख्य फ़ौजदारी क़ानून है।

आईपीसी में भी 'मानव व्यापार' को परिभाषित करने वाला और ऐसे कृत्यों के लिए दोषी व्यक्तियों का अपराध साबित करने वाला कोई क़ानूनी प्रावधान नहीं है।

इसके बावजूद, क्योंकि मानव व्यापार में भी बल प्रयोग, धमकी, हमले, गैरक़ानूनी हिरासत, धोखाधड़ी, जालसाज़ी, ठगी, अपहरण आदि तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए आईपीसी के उन प्रावधानों को मानव व्यापार के मामलों में लागू किया जा सकता है जो इस तरह के तरीकों से संबंधित हैं। उनमें निम्नलिखित क़ानून प्रमुख हैं :

- मामूली और गंभीर चोट (धारा 319 से 329);
- आवाजाही पर अवैध अंकुश और अवैध हिरासत (धारा 339, 340–346);
- आपराधिक बल प्रयोग एवं आपराधिक हमला (धारा 350 एवं 351);
- किसी भी व्यक्ति का दास के रूप में आयात / निर्यात / हटाना / ख़रीदना / बेचना / ठिकाने लगाना / हासिल करना / स्वीकार करना / क़ैद में रखना (धारा 370);
- आदतन गुलामों का आयात / निर्यात / क्रय / विक्रय / परिवहन करना (धारा 371);
- अपहरण और अगवा करना (धारा 361, 362 और 363);
- अवैध रूप से क़ैद में रखने के लिए अपहरण/अगवा करना (धारा 365);
- गुलामी के लिए अपहरण/अगवा करना या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना (धारा 367);
- जालसाज़ी, भेष बदल कर ठगी, ठगी (धारा 41, 416 और 420);
- जालसाज़ी और फर्ज़ी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करना (धारा 465, 466, 468 और 471);
- आपराधिक उद्देश्य से डराना–धमकाना (धारा 503 और 506);

अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार के हालात में आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं को भी लागू किया जा सकता है :

- निर्यात हेतु अपहरण और/या अगवा करना (धारा 360);
- भारत से अगवा करना (धारा 363);
- किसी दूसरे देश से लड़कियों का आयात करना (धारा 366 बी)।

आईपीसी की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बाल व्यापार के कुछ ख़ास रूपों या उद्देश्यों में ही प्रभावी होती हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के बाल व्यापार से संबंधित क़ानूनी फ्रेमवर्क के प्रसंग में आगे पेश किया गया है।

6 बिना वेतन मजदूरी करवाने को बेगार कहा जाता है। यह दासता जैसी ही व्यवस्था होती है।

एक संगठित अपराध होने के नाते बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त में और भी बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि –

आईपीसी में सूचीबद्ध किसी भी अपराध को बढ़ावा देना दंड संहिता के अध्याय 5 में एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

आईपीसी की धारा 34, 35, 37, 120ए तथा 120बी आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित हैं और इन्हें भी लागू किया जा सकता है।

सीबीआई द्वारा क़ानून का सदुपयोग ...

सितंबर 2005 में 'महक पंजाब दी' नामक 15 सदस्यीय भंगड़ा टोली को आईसीसीआर ने बर्लिन स्थित अपने टैगोर सेंटर के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए जर्मनी भेजा। जर्मनी पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर टोली के 9 सदस्य "ग़ायब" हो गए। ग़ायब होने वालों में टोली का मुखिया भी था।

बाद में गुमशुदा कलाकारों में से 6 को ढूंढ लिया गया। सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि जर्मनी में ग़ायब होने वाले 'कलाकारों' ने इस काम के लिए 6–6 लाख रुपये दिए थे। ज़ाहिर है यह पैसा मानव व्यापार में शामिल लोगों को दिया गया था।

सीबीआई द्वारा दायर की गई एफ़आईआर में राकेश कुमार (विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी तथा आईसीसीआर के भूतपूर्व महानिदेशक) और कहकेसन त्यागी (आईसीसीआर में राकेश कुमार के सहकर्मी) को हरगुलाब सिंह तथा शिवकुमार शर्मा (जिन्होंने इस संगीत मंडली को निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके आईसीसीआर के पैनल में शामिल करवाया था) के साथ मिलकर 9 व्यक्तियों को अवैध रूप से बर्लिन भिजवाने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में नामजद किया।

राकेश कुमार, कहकेसन त्यागी, हरगुलाब सिंह और शिवकुमार शर्मा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी (आपराधिक षडयंत्र), 420 (ठगी), 403 (धांधली), 467 (बहुमूल्य प्रतिभूति में जालसाज़ी), 438 (ठगी के लिए जालसाज़ी), 471 (जाली दस्तावेज़ों को असली दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल करना) तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 13 (1)(डी) के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) किसी आपराधिक मामले को दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। सीआरपीसी का निम्नलिखित के साथ स्पष्ट संबंध है :

- पुलिस को सूचना देने की प्रक्रिया और प्रणाली;
- आरोपी और पीड़ित, दोनों की जांच व पूछताछ;
- लोगों की गिरफ़्तारी और न्यायालय के सामने उनकी पेशी;
- आरोप तय करना, ज़मानत पर रिहाई, साक्ष्य लेना और दर्ज करना;
- पुलिस की शक्तियां और न्याय क्षेत्र;
- न्यायालयों की शक्तियां एवं न्याय क्षेत्र; तथा
- मुकदमे की प्रणाली।

याद रखें

सीआरपीसी के ज़मानत संबंधी प्रावधान बच्चों पर लागू नहीं होते। बच्चों से संबंधित सभी ज़मानत संबंधी मामलों में बाल न्याय क़ानून (Juvenile Justice Act) के प्रावधान ही प्रभावी होते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संबंधित तथ्यों को साबित करने की प्रक्रिया और प्रणाली का ब्यौरा दिया गया है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के वैधानिक साक्ष्यों का वर्णन करता है, पक्ष साबित करने के भार को परिभाषित व निर्धारित करता है तथा मुकदमे के दौरान गवाहों के साथ जिरह की व्यवस्था करता है।

बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000; संशोधन अधिनियम 33 (2006) द्वारा संशोधित

बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 (जेजेए) बच्चों के लिए बनाया गया एक विशेष क़ानून है। इस

क़ानून में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 'बच्चा' माना गया है। इसमें दो तरह के बच्चों पर मुख्य ज़ोर है – एक, ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है तथा ऐसे बच्चे जो आपराधिक गतिविधियों में फंसे हैं।

निहित अंतर्विरोध

प्रेरणा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मुकदमे में अदालत ने आदेश दिया कि वेश्यावृत्ति की शिकार पीड़ितों का आयु परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए और अगर जांच से पता चलता है कि वे नाबालिग हैं तो उनका जेजे अधिनियम (2000) के तहत सीडब्ल्यूसी के पास भेज दिया जाना चाहिए। इस फैसले में यह व्यवस्था भी दी गई कि आईटीपीए की धारा के अंतर्गत जो पीड़ित लड़की ग्राहकों को फुसलाती हुई पायी जाएंगी उन्हें जेजे अधिनियम के तहत बनाए गए बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि उन्हें आपराधिक गतिविधियों में फंसे बच्चों की श्रेणी में रखा जा सके।

दुख की बात है कि आईटीपीए के अंतर्गत ऐसी लड़कियों को ही अपराधी ठहरा दिया जाता है जो लोगों को सेक्स के लिए ललचाने की कोशिश करती पकड़ी जाती है। अगर वे नाबालिग हैं तो जेजेए के अंतर्गत गैरक़ानूनी गतिविधियों में लिप्त बच्चों की श्रेणी में आती हैं। ऐसे मामलों में लड़कियों को जेजेए के अंतर्गत आपराधिक कृत्यों में लिप्त बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए बाल न्याय बोर्डों के तहत ज़मानत, गवाही, जिरह आदि लंबी क़ानूनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है।

यह कानून व्यवस्था के भीतर एक निहित अंतर्विरोध है जिसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जेजेए को संजीदगी से लागू किया जाए और आईटीपीए में संशोधन करके वेश्यावृत्ति करने वाली सभी लड़कियों को अपराधी की बजाय पीड़ित के रूप में देखा जाए भले ही वे ग्राहकों को ललचाने का प्रयास करती ही क्यों न पायी गई हों।

जेजेए अधिनियम में संशोधन के बाद अब इस कानून के अंतर्गत ऐसे बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के योग्य माना जाता है जिन्हें ख़रीदा या बेचा गया हो।

यह क़ानून बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले कुछ अपराधों को विशेष अपराधों के रूप में मान्यता देता है। बच्चों की सामान्य ख़रीद–फ़रोख़्त तथा भीख मंगवाने व मज़दूरी के लिए ख़रीद–फ़रोख़्त को भी इन अपराधों में शामिल किया गया है। निम्नलिखित अपराध भी इसी श्रेणी में आते हैं :

- जिस व्यक्ति को बच्चे की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उसी के द्वारा बच्चे के साथ निर्मम व्यवहार करना, जिससे संबंधित बच्चे को मानसिक या शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस निर्मम व्यवहार में हमला, बेसहारा छोड़ देना, एक्सपोज़र, जान–बूझकर उपेक्षा या इनमें से किसी भी कार्य के लिए किसी बच्चे को ख़रीदना शामिल है (धारा 23);
- किसी बच्चे को भीख मंगवाने के लिए नौकरी पर रखना, इस्तेमाल करना या मजबूर करना (धारा 23 (ए));
- जिस व्यक्ति पर बच्चे की ज़िम्मेदारी है उसी के द्वारा बच्चे को भीख मंगवाने के लिए काम पर रखने या मजबूर करने में मदद देना (धारा 23 (बी));
- किसी बच्चे को ख़तरनाक काम पर रखना, उसे बंधुआ बनाना और उसकी आय को निजी इस्तेमाल में लेना (धारा 26)। बाल न्याय क़ानून ख़रीद–फ़रोख़्त के शिकार बच्चों के लिए संस्थागत और गैर–संस्थागत पुनर्वास की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के तहत ऐसे बच्चों को फ़ॉस्टर केयर, दत्तकता और स्पॉंसरशिप में भी रखा जा सकता है।

क़ानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

पीड़ितों को न्याय दिलाने के रास्ते में क़ानूनी सहायता का अभाव सबसे बड़ी समस्या रहा है। क़ानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 क़ानूनी सेवाओं से संबंधित अधिकारों को निर्धारित करता है। इस क़ानून की धारा 12 क़ानूनी सहायता प्रदान करने की कसौटी तय करती है।

राज्यों के क़ानून

गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बच्चों के साथ होने वाले अपराधों और बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त के बारे में एक क़ानून बनाया गया है। गोवा बाल अधिनियम, 2003 न केवल 'बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त' को परिभाषित करता है बल्कि मज़दूरी, मानव अंगों की बिक्री, दत्तकता, पीडोफ़ीलिया संबंधी यौन अपराधों, बाल वेश्यावृत्ति, बाल पॉर्नोग्राफ़ी और बाल सेक्स टूरिज़्म जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त के फलस्वरूप होने वाले दुराचार और हिंसा के लिए सज़ा का प्रावधान भी करता है। इस क़ानून के तहत हवाई अड्डा प्राधिकरण, सीमा पुलिस, रेलवे पुलिस, ट्रैफ़िक पुलिस, होटल मालिकों, सभी को बच्चों की सुरक्षा तथा उनके साथ होने वाले किसी भी तरह के अपराध की सूचना देने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

क़ानून तथा ख़रीद–फ़रोख़्त के विभिन्न रूपों के लिए उसका इस्तेमाल

मानव व्यापार के बारे में किसी समग्र क़ानून के अभाव में इस समस्या से असरदार ढंग से निपटने के लिए हमें मौजूदा क़ानूनी

प्रावधानों का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त का कोई मामला आपकी नज़र में आता है और आप इस बारे में पुलिस को सूचित करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ख़रीद–फ़रोख़्त करने वालों को पकड़वाने तथा बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मौजूदा क़ानूनी प्रावधानों का रचनात्मक और असरदार ढंग से इस्तेमाल किए बिना बात नहीं बनेगी।

और ऐसा तभी संभव है जब आप खुद ज़रूरी क़ानूनों को जानते हों।

क़ानून की जानकारी – क्या कब और केसे

वेश्यावृत्ति के लिए मानव व्यापार

अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 (आईपीटीए)

आईपीटीए में वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों की ख़रीद–फ़रोख़्त को गैरक़ानूनी घोषित किया गया है और बच्चों व नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के लिए ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया गया है।

इस क़ानून में व्यावसायिक यौन शोषण या दुराचार को 'वेश्यावृत्ति' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शोषण एक दंडनीय अपराध है। आईटीपीए के अंतर्गत निम्नलिखित को अपराधों की श्रेणी में रखा गया है :

(1) वेश्यालय चलाना या संभालना अथवा अपनी किसी जगह को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त देना,

(2) औरों के द्वारा वेश्यावृत्ति से होने वाली आय से आजीविका चलाना,

(3) वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को ख़रीदना, मजबूर करना या उसे अपने नियंत्रण में लेना,

(4) किसी व्यक्ति को वेश्यालय में क़ैद करके रखना, तथा

(5) वेश्यावृत्ति के लिए किसी को फुसलाना या लालच देना।

इस क़ानून को लागू करने के लिए एक विशेष व्यवस्था के साथ–साथ यह क़ानून वेश्याओं की रिहाई, सुरक्षा तथा सुधारक व्यवस्था के लिए भी एक व्यापक योजना की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। धारा 21 राज्य सरकारों के अंतर्गत संरक्षण गृहों की स्थापना से संबंधित है।

आईपीसी के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान

- 12 साल से कम उम्र में बच्चे को उसके माता–पिता या देखभाल करने वाले व्यक्ति के द्वारा एक्सपोज़र तथा बेसहारा छोड़ देना (धारा 317);
- किसी औरत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना (Outraging the modesty of a woman) (धारा 354);
- अवैध संभोग के लिए किसी औरत का अपहरण/अगवा करना तथा आपराधिक धमकी या किसी और तरीके से मजबूर करना (धारा 366);
- अवैध संभोग के लिए नाबालिग लड़कियों को ख़रीदना (धारा 366 ए);
- अवैध संभोग के लिए मजबूर करने के वास्ते लड़कियों का आयात करना (धारा 366 बी);
- किसी व्यक्ति की अस्वाभाविक वासना पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का अपहरण या अगवा करना (धारा 367);
- नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना (धारा 372);
- नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए ख़रीदना (धारा 373);
- बलात्कार' (धारा 375, 376) तथा 'अप्राकृतिक अपराध' (धारा 377)। 16 साल से कम उम्र की किसी स्त्री के साथ सहमति से या बिना सहमति संभोग को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है और अपराधी को आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जा सकती है;
- किसी स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, भंगिमाएं या कृत्य (धारा 509)।

व्यापक जनता बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य[7], के मामले में अदालत ने आदेश दिया कि वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई नाबालिग लड़कियों को अवैध रूप से क़ैद करके रखने के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 366 और 107 तथा आईटीपीए की धारा 4 और 5 को लागू किया जाना चाहिए।

7 रिट याचिका संख्या 112 (1996 एवं 1997) (4) बीआएम सीपी 171.

आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1988 तथा कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1982

देवदासी परंपरा तथा जोगिन या मातम्मा जैसी धार्मिक प्रथाओं में बहुत कम उम्र की लड़कियों को देवताओं और देवियों की सेवा में अर्पित कर दिया जाता है। आज ये प्रथाएं मंदिर प्रबंधकों और पुजारियों तथा प्रभावशाली लोगों की वासना पूर्ति का साधन बनकर रह गई हैं। इन प्रथाओं के नाम पर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है या उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है। आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1988 तथा कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1982 को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रचलित ऐसी धार्मिक, सामाजिक एवं परंपरागत वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया था।

इन क़ानूनों के तहत लड़कियों को देवताओं और देवियों के चरणों में समर्पित करने की परंपरा पर पाबंदी लगाई गई है और जो ऐसा करते हैं, इन प्रथाओं को बढ़ावा या सहारा देते हैं और इन अर्पण समारोहों में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है।

इन दोनों क़ानूनों में मानव व्यापार और वेश्यावृत्ति के बारे में सीधे–सीधे कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, क़ानूनी स्थिति मज़बूत करने के लिए इन क़ानूनों का सहारा लेना ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़कियों को "अर्पित" करने वाले व्यक्तियों और इस प्रकार, ख़रीद–फ़रोख़्त को बढ़ावा देने के दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ ऐतिहासिक फ़ैसलों (जैसे विशालजीत बनाम भारत सरकार, 1990 तथा गौरव जैन बनाम भारत सरकार, 1997) ने औरतों व बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त तथा उनके व्यावसायिक यौन शोषण से संबंधित सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं तथा विधि क्रियान्वयन व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है।

इस तरह के फ़ैसलों और निर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :

- सरकारी उपायों और उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन
- मानव व्यापार करने वालों और बिचौलियों के ख़िलाफ़ तेज़ क़ानूनी कार्रवाई
- सांस्कृतिक परंपराओं के पीड़ितों का पुनर्वास
- वेश्यावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति तथा वेश्याओं के बच्चों के बचाव व पुनर्वास के लिए गहन अध्ययन हेतु एक कमेटी का गठन
- दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए पीड़ितों की आयु निर्धारण व्यवस्था को मज़बूत करना
- बाल न्याय अधिनियम, 2000 (जेजेए) का समुचित क्रियान्वयन
- मानव व्यापार विरोधी प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सहभागिता।

मज़दूरी के लिए बाल व्यापार

बाल मज़दूरी की समस्या से निपटने के लिए हमारे देश में बहुत सारे क़ानून हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त की है और मौजूदा श्रम क़ानूनों में उसके लिए कोई जगह नहीं है।

मज़दूरी के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रासंगिक क़ानून इस प्रकार हैं :

आईपीसी के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान

- गुलाम के तौर पर किसी व्यक्ति को ख़रीदना या उससे छुटकारा पाना (धारा 370);
- आदतन दास रखना (धारा 371);
- गैरक़ानूनी जबरिया श्रम (धारा 374)।

समस्या

देखने में आया है कि कई बार मां–बाप की कोई ग़लती नहीं होती। बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त करने वाले उन्हें फुसलाकर उनके बच्चों को उनसे दूर कर देते हैं। मां–बाप यह भी नहीं जानते–बूझते कि ऐसे लोग उनके बच्चे से सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए मज़दूरी करवाते हैं। मिसाल के तौर पर, आज के दौर में प्लेसमेंट एजेंसियां (नौकरी दिलवाने वाली एजेंसियां) ऐसी ताक़तों का ज्वलंत उदाहरण हैं जो खुलेआम बच्चों का श्रम बेचती हैं। क़ानून में ऐसी एजेंसियों, बिचौलियों और दलालों से निपटने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है।

बाल न्याय अधिनियम, 2000 (जेजेए) के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान

ख़तरनाक रोज़गार के लिए किसी बच्चे को ख़रीदने, उसे बंधुआ बनाने और उसकी आय को अपने कब्ज़े में रखने जैसे कृत्यों को जेजेए की धारा 26 के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

हालांकि इन क़ानूनों को मज़दूरी के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त से निपटने के लिए तैयार नहीं किया गया है लेकिन कुछ ऐसे विशेष क़ानून हैं जिनको कम से कम बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने या बाल मज़दूरी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क़ानून इस प्रकार हैं :

चिल्ड्रेन (प्लैजिंग ऑफ़ लेबर) ऐक्ट, 1933 ऐसे किसी भी अनुबंध को गैरक़ानूनी और निष्प्रभावी मानता है जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे के माता–पिता या अभिभावक किसी भुगतान या उचित वेतन के अलावा और किसी लाभ के लिए बच्चे के श्रम को बेचने का आश्वासन देते हैं। इस क़ानून में माता–पिता या अभिभावक के साथ–साथ उस बच्चे को काम पर रखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है।

बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 में किसी व्यक्ति को कर्ज़ा चुकाने के नाम पर बंधुआ मज़दूर बना लेने की प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया है। यह क़ानून इस तरह की व्यवस्था से जुड़े सभी ऋण समझौतों और देनदारियों को अवैध घोषित करता है। यह क़ानून किसी भी नए बंधुआ मज़दूरी संबंध को गैरक़ानूनी घोषित करता है और बंधुआ मज़दूरों को उन सारे कर्ज़ों से आज़ाद करता है जिनकी आड़ में उन्हें बंधुआ बनाया गया था। किसी व्यक्ति को बंधुआ मज़दूरी के लिए मजबूर करना क़ानूनन दंडनीय अपराध है। इसमें ऐसे माता–पिताओं के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है जो अपने बच्चे या परिवार के अन्य सदस्यों को बंधुआ मज़दूरी के लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हैं।

बाल मज़दूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ ख़तरनाक प्रक्रियाओं में काम पर रखने पर पाबंदी लगाता है और कुछ अन्य गैर–ख़तरनाक प्रक्रियाओं में उनके रोज़गार की शर्तें तय करता है।

पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत सरकार[8] : इस मुकदमे को एशियाड वर्कर्स केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि बाल रोज़गार अधिनियम, 1938 में निर्माण कार्यों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि निर्माण उद्योग इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नहीं था लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्माण उद्योग में काम करना भी बच्चों के लिए हानिकारक है और अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी ख़तरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत शोषण से बचाव का बच्चे का अधिकार किसी प्रासंगिक क़ानून के अभाव में भी बाध्यकारी है और 'जनहित' के अनुरूप है।

इसी प्रकार, **राजंगम, सचिव, ज़िला बीड़ी कामगार यूनियन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य,** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि तंबाकू उत्पादन निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस व्यवसाय में बच्चों को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए।

पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत सरकार[9] के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि 'जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए श्रम या सेवाएं उपलब्ध कराता है और उसे बदले में न्यूनतम मज़दूरी से भी कम पारिश्रमिक मिलता है तो वह श्रम या सेवा निश्चित रूप से जबरिया श्रम की परिधि में आती है।'

बाल मज़दूरी को निषिद्ध घोषित करने और/या बाल मज़दूरों की कार्य परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कुछ और क़ानून इस प्रकार हैं :

- फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948

8 (1982) 3 एससीसी 235; एआईआर 1982 एससी 1473.

9 1982 3 एससीसी 235

- बागान श्रम अधिनियम, 1951
- खान अधिनियम, 1952
- मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958
- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961
- मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961
- बीड़ी और सिगार कामगार (रोज़गार शर्त) अधिनियम, 1966
- पश्चिम बंगाल दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1963

एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य[10] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि माचिस और पटाखों के निर्माण की प्रक्रिया ख़तरनाक और कई बार प्राणघातक होती है। इसलिए न्यायालय ने देश में बाल मज़दूरी उन्मूलन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए थे : बच्चे के स्थान पर किसी वयस्क (जिसका नाम संबंधित बच्चे के अभिभावक/माता–पिता द्वारा सुझाया जाएगा) को नौकरी दी जानी चाहिए या बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष में 25,000 रुपये की राशि जमा कराई जानी चाहिए। किसी वयस्क को रोज़गार दिलाने के मामले में अभिभावकों/माता–पिताओं को अपने बच्चे को नौकरी से हटाना होगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिलती है तो भी मां–बाप/अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चे को उस काम से दूर रखा जाए क्योंकि तब उसके लिए आमदनी का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होगा। इस प्रकार उपलब्ध कराया गया रोज़गार उसी उद्योग में हो सकता है जहां बच्चा काम कर रहा है, वह सार्वजनिक प्रतिष्ठान में हो सकता है और बच्चे की शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से शारीरिक श्रम पर आधारित हो सकता है। रोज़गार का स्थान परिवार के निवास स्थान से नज़दीक होना चाहिए। अगर माता–पिता/अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाते हैं तो उसके बदले में दिया गया रोज़गार या भुगतान प्रभावी नहीं होगा। बच्चे को रोज़गार से हटाने के बाद उसे एक बेहतर नागरिक बनाने की दृष्टि से किसी उचित संस्थान में रोज़गार का आश्वासन दिया जाएगा। इसके अलावा इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सरकार के श्रम विभाग में एक अलग से इकाई भी गठित की जाएगी। योजना की निगरानी भी अनिवार्य होगी और इस काम को विभाग के सचिव के अधिकार में सौंपा जा सकता है। अगर केंद्रीय श्रम मंत्रालय व्यापक निगरानी का ज़िम्मा संभाले तो यह लाभदायक और बेहतर होगा। जहां तक गैर–ख़तरनाक रोज़गारों की बात है, निरीक्षक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे की काम की पाली प्रतिदिन 4–6 घंटे से ज़्यादा न हो और उसे प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की शिक्षा मिले। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे की शिक्षा की पूरी लागत नियोक्ता ही उठाएगा।

भीख मंगवाने के लिए ख़रीद–फ़रोख़्त

ख़रीद–फ़रोख़्त के ज़रिए बच्चों को देश के भीतर और दूसरे देशों में भीख मंगवाने के लिए भी भेजा जाता है। जो लोग बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त करते हैं या भीख मंगवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए निम्नलिखित क़ानूनी प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है :

आईपीसी के संबंधित प्रावधान

भीख मंगवाने के लिए नाबालिगों का अपहरण करना या यातनाएं देना (धारा 363 ए)

बाल न्याय अधिनियम, 2000 (जेजेए) के अंतर्गत संबंधित प्रावधान

भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को रखना या इस्तेमाल करना (धारा 24)

खेल और मनोरंजन के लिए ख़रीद–फ़रोख़्त

सर्कस और ऊंट दौड़ जैसे खेलों और मनोरंजन के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त कोई अनजानी बात नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चे अपने मालिकों के पास गुलामों जैसा जीवन जीते हैं। उनके पास आवाजाही की आज़ादी नहीं होती और वे विभिन्न प्रकार की यातना व शोषण का शिकार बनते हैं। उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, सभी प्रकार की यातना और शोषण का सामना करना पड़ता है।

आईपीसी एवं सर्कस या ऊंट दौड़ के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त

आईपीसी एकमात्र ऐसा क़ानून है जिसमें सर्कस या ऊंट दौड़ के लिए होने वाले बाल व्यापार के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं।

10 ((1991) 1 एससीसी 283), ((1996) 6 एससीसी 756); एआईआर 1997 एससी 699.

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती और राज्य सूचियों में 'भीख मांगना' भी शामिल है। इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 16 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों में 'भिक्षावृत्ति विरोधी' क़ानून बनाए गए हैं। 'भिक्षावृत्ति विरोधी' शब्द स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करता है कि ये क़ानून भिक्षावृत्ति को रोकने के बारे में हैं। ये क़ानून इस कृत्य को अपराध घोषित करते हैं और भिखारियों को अपराधी मानने की सोच पर आधारितहैं। उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके सहारे भीख मंगवाने तथा संबंधित शोषण के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त से निपटा जा सके।

ये दोनों ही स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यापार से संबंधित हैं। भारतीय सर्कस उद्योग में काम करने वाले ज़्यादातर बच्चे नेपाल से आते हैं। जहां तक ऊंट दौड़ की बात है तो देश के विभिन्न भागों से बच्चों को अवैध रूप से अरब की खाड़ी के देशों में भेजा जाता है जहां उन्हें दौड़ने वाले ऊंटों के ऊपर 'केमेल जॉकी' के तौर पर अकेले बिठाया जाता है। इस संदर्भ में आईपीसी के उल्लेखनीय प्रावधान इस प्रकार हैं :

- दासता के लिए या व्यक्ति को ऊंट दौड़ जैसे हालात में गंभीर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से अपहरण/अगवा करना (धारा 367);
- किसी व्यक्ति को दास के रूप में आयात / निर्यात करना / ख़रीदना / बेचना / समाप्त करना / स्वीकार करना / लेना / क़ैद में रखना (धारा 370);
- आदतन ग़ुलाम रखना (धारा 271)।

शादी के ज़रिए और शादी के लिए बाल व्यापार

जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, शादी की आड़ में और शादी के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त, लड़कियों को ख़रीदने–बेचने का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए बाल विवाहों की रोकथाम एक असरदार तरीका हो सकता है।

श्रीमती सुशीला गोठला बनाम राजस्थान सरकार[11] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 की धारा 13 के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया था ताकि बाल विवाह, ख़ासतौर से अक्खा तीज आदि अवसरों पर होने वाले सामूहिक बाल विवाहों को रोका जा सके।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में ज़िला स्तर पर निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह को रोकना और अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके बारे में रिपोर्ट बनाना, उसका संज्ञान लेना, उसकी जांच करना, उसके बारे में सबूत जुटाना और पूरी क़ानूनी प्रक्रिया तथा उसके पश्चात फ़ॉलोअप करना ताकि बाल विवाह के पीड़ितों का पूरा पुनर्वास किया जा सके – यह निषेध अधिकारी का ही काम है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 10 जनवरी 2007 से लागू किया गया। यह क़ानून बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 की जगह लागू किया गया है। यह क़ानून सभी धर्मों के तथा भारत या भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है।

यह क़ानून जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता।

केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी के त्मदवदबंदजे भी इस क़ानून के दायरे से बाहर हैं। उनके लिए फ़्रांस के दीवानी क़ानून ही प्रभावी हैं क्योंकि उन्हें फ़्रांस के नागरिकों के रूप में देखा जाता है।

इस क़ानून में शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल तय की गई है। अगर इससे कम उम्र में शादी होती है तो वह संज्ञेय और गैर–ज़मानती अपराध होता है।

इस क़ानून की धारा 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर बच्चे को शादी के उद्देश्य से या शादी के ज़रिए बेचा या ख़रीदा जाता है तो ऐसे विवाह को निष्प्रभावी और निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा।

आईपीसी के अंतर्गत संबंधित प्रावधान

- किसी औरत को विवाह के लिए मजबूर करने के वास्ते उसका अपहरण करना, उसे अगवा करना या उसको फुसलाना (धारा 266);
- फर्ज़ी विवाह (धारा 496)।

गोद लेने के नाम पर और गोद लेने के लिए बाल व्यापार

पिछले काफ़ी समय से बच्चों को गोद देने और लेने वाले गिरोह सुर्ख़ियों में हैं। गैरक़ानूनी ढंग से बच्चों को गोद लेना,

11 एआईआर 1996 राजस्थान 90, आशा बाजपेई, चाइल्ड राइट्स इन इंडिया – लॉ, पॉलिसी ऐण्ड प्रैक्टिस, ऑक्सफॉर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, 2003 से।

पश्चिम बंगाल, ख़ासतौर से मुर्शिदाबाद ज़िले की नाबालिग लड़कियों को जम्मू–कश्मीर के पुरुषों से ब्याहा जा रहा है। कश्मीर में बाल विवाह कोई अनजानी परिघटना नहीं है। विवाह करके बाहर से कश्मीर में आने वाली ऐसी कई लड़कियों को जबरिया श्रम या वेश्यावृत्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है।

ख़ासतौर से एक देश के बच्चे को दूसरे देश के व्यक्ति द्वारा गोद लेना संसद में भी गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।

हमारे पास ऐसा कोई क़ानून नहीं है जो गैरक़ानूनी दत्तकता या गोद लेने के लिए बच्चों को ख़रीदने और बेचने से संबंधित अपराधों को संबोधित कर सके।

आईपीसी तथा दत्तकता के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त

आईपीसी की अपहरण व अगवा करने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत ऐसे कृत्यों को अपराधों के रूप में देखने के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि दत्तकता के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए।

लक्ष्मीकांत पांडेय बनाम भारत सरकार (1984–2 एससीसी 244 एवं 2838, 1991 में रिट याचिका (फ़ौजदारी) 1171, वर्ष 1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर–क़ानूनी ढंग से हो रही अंतर्राष्ट्रीय दत्तकता की घटनाओं का संज्ञान लिया और आदेश दिया कि गोद लेने के बारे में किसी उचित क़ानून के अभाव में विदेशी अभिभावक भारतीय बच्चे को गोद लेने के लिए उस इलाके के न्यायालय में आवेदन देकर गार्जियन ऐण्ड वाड्र्स ऐक्ट, 1890 के अंतर्गत बच्चे के अभिभावक बन सकते हैं जिस अदालत के न्यायक्षेत्रा में वह बच्चा रहता है। इसके बाद विदेशी अभिभावक अपने देश के राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार बच्चे को क़ानूनन गोद ले सकते हैं। कारा दिशानिर्देश इस फ़ैसले के बाद ही पारित किए गए थे।

केंद्रीय दत्तकता संसाधन एजेंसी (कारा) गोद लेने से संबंधित मामलों को संचालित करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह एजेंसी दत्तकता का फ़्रेमवर्क तय करती है और दत्तकता के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता व लाइसेंस देने वाला सबसे बड़ा प्राधिकरण है।

कारा अंतर्देशीय दत्तकता के लिए विदेशी एजेंसियों की सूची बनाती है जबकि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाल गृहों तथा दत्तकता एजेंसियों की फ़ेहरिस्त राज्य सरकारों को बनानी होती है।

निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ये एजेंसियां गोद लेने से संबंधित आवेदनों तथा अन्य दस्तावेज़ों की प्रक्रिया में मदद देती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि संबंधित दत्तकता एजेंसी मान्यता प्राप्त हो और संबंधित बच्चे गोद लिए जाने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा क़ानूनन मुक्त/उपलब्ध करार दिए गए हों।

स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों (वीसीए) की स्थापना मुख्य रूप से देश के भीतर दत्तकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तकता के मामले में निरीक्षण एजेंसियों को वीसीए से क्लीयरेंस प्रमाणपत्र लेना पड़ता है।

मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गैर–क़ानूनी गतिविधियों के लिए बाल व्यापार

नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए लालच या ज़ोर–ज़बर्दस्ती करके बच्चों को जाल में फांस लेने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस व्यवसाय में उन्हें हरकारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि क़ानून इस काम के लिए होने वाले बाल व्यापार पर कुछ नहीं कहता लेकिन ऐसे मौके पर निम्नलिखित क़ानूनों का सहारा लिया जा सकता है :

1. नारकॉटिक्स ड्रग्स ऐण्ड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज़ ऐक्ट, 1985

   इस क़ानून के ज़रिए किसी भी तरह के नशीले या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन, उसे अपने पास रखना, परिवहन, ख़रीद और बिक्री करना गैर–क़ानूनी घोषित किया गया है। ऐसे पदार्थों का व्यवसाय करने वाले या उसकी लत के शिकार व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है।

   अपराधी द्वारा हिंसा या हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी, अपराध के लिए नाबालिगों के इस्तेमाल, किसी शैक्षिणक संस्था या सामाजिक सेवा निकाय में इस तरह के अपराध को अंजाम देने पर और भी कठोर दंड दिया जा सकता है।

2. नारकॉटिक ड्रग्स ऐण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ अवैध व्यापार निषेध अधिनियम, 1988

इस क़ानून के तहत ऐसे व्यक्तियों को अपराध को बढ़ावा देने या साज़िश रचने का दोषी ठहराया जा सकता है जो नशीली दवाओं के व्यापार के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं।

यदि बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन या बिक्री या तस्करी के लिए फुसलाया या अगवा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आईपीसी के अंतर्गत अपहरण और अगवा करने से संबंधित धाराओं का सहारा लिया जा सकता है।

पॉर्नोग्राफ़ी जैसे यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों का व्यापार

पॉर्नोग्राफ़िक सामग्री के उत्पादन में बच्चों के इस्तेमाल की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इंटरनेट ने बच्चों को पीडोफ़ाइल्स एवं साइबर अपराधियों की घुसपैठ के ख़तरनाक साये में ला दिया है। पीडोफ़ाइल्स बच्चों को फांसने के लिए झूठी पहचान का सहारा लेते हैं। वे इंटरनेट चैट रूम्स में उनके साथ दोस्ती गांठ कर उनके बारे में सारी निजी जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद वे ई–मेल के ज़रिए बच्चों से संवाद कायम करते हैं और उन्हें यौन हमले के उद्देश्य से नेट पर घसीट लेते हैं या उन्हें सेक्स की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए इन क़ानूनों का सहारा लिया जा सकता है :

- युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन अधिनियम, 1956 में ऐसे प्रकाशनों के प्रचार–प्रसार पर पाबंदी लगाई गई है जो बच्चों व युवाओं के लिए हानिकारक हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अन्य चीज़ों के अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि इलैक्ट्रॉनिक रूप में पॉर्नोग्राफ़िक सामग्री का प्रकाशन और प्रसार, या फिर प्रसार में सहायता देना दंडनीय अपराध है (धारा 67)।
- आईपीसी के संबंधित प्रावधान
  युवाओं को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि से संबंधित अपराध (धारा 293)।

अंग प्रत्यारोपण या मानव अंग व्यापार के लिए बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त

मानव अंगों की बिक्री का व्यवसाय दुनिया के सबसे तेज़ी से पनपते "व्यापारों" में शुमार हो चुका है। बच्चे इस व्यापार का सबसे आसान निशाना बन रहे हैं।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में बिना इजाज़त मानव अंगों को हटाना तथा मानव अंगों का कारोबार करना आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

ऊपर उल्लिखित क़ानूनों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फ़ैसले भी न्यायिक नज़ीर बन चुके हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

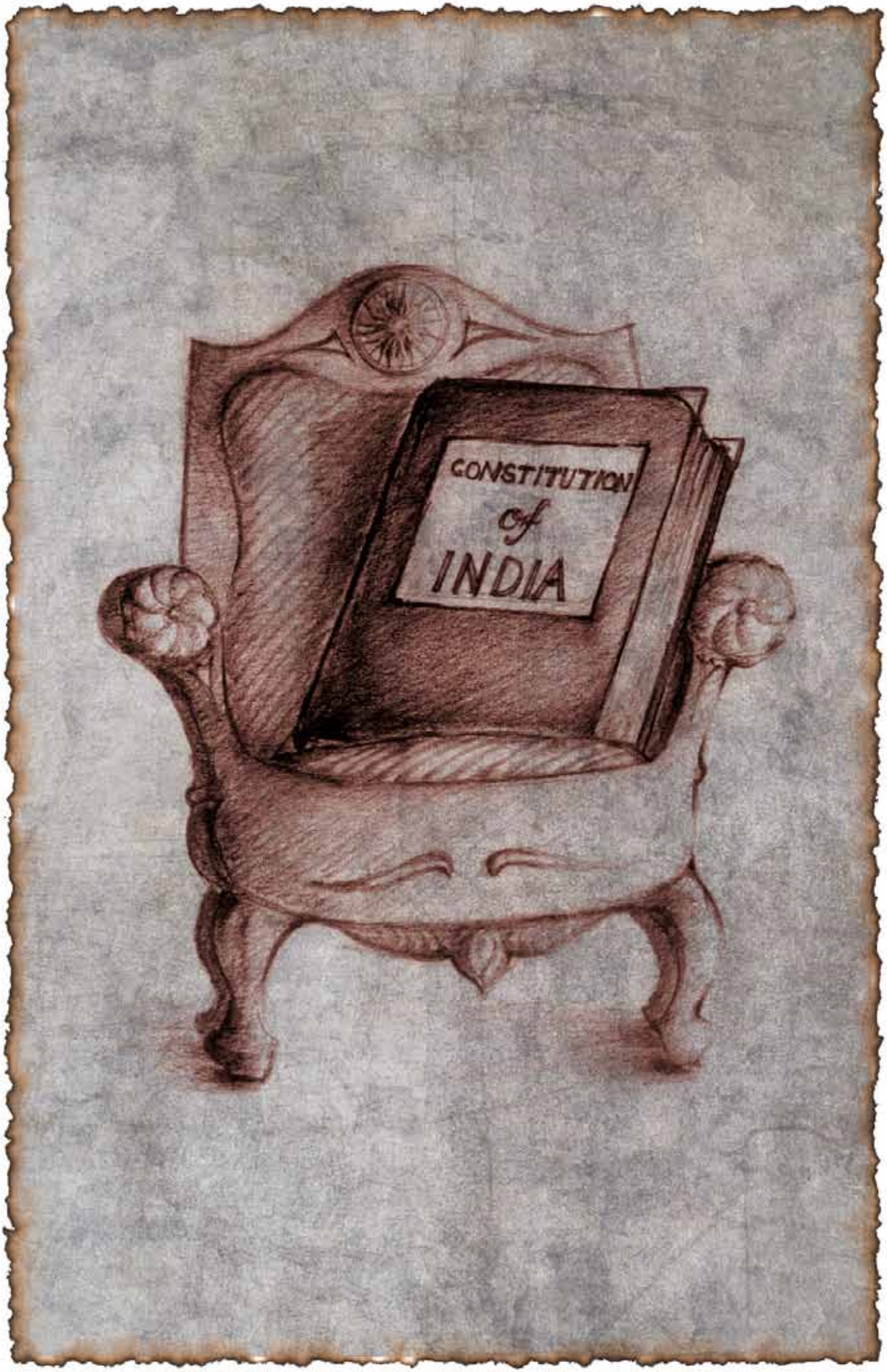
CONSTITUTION
of
INDIA

वैश्यावृत्ति

के लिए लड़कियों की ख़रीद के मामलों में 2006 में 25% वृद्धि दर्ज की गई

पीड़ित की सहायता एवं सुरक्षा

मानवाधिकार दृष्टिकोण का प्रयोग

मानव व्यापार के शिकार जो व्यक्ति किसी प्रकार अमानवीय स्थितियों से बच निकलते हैं उनमें से भी बहुत सारे बाद में शासन या व्यवस्था के हाथों होने वाले बर्ताव के चलते बार–बार यातना के शिकार बनते हैं।

ख़रीद–फ़रोख़्त के शिकार व्यक्तियों की सुरक्षा व सहायता से संबंधित उपायों को युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनैशनल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की पूरक प्रोटोकॉल – युनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस ऐण्ड पनिश ट्रैफ़िकिंग इन पर्सन्स, एस्पेशियली वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन (2000) – में शामिल किया गया है। लेकिन इस प्रोटोकॉल में अपराध संबंधी प्रावधानों को तो राज्य पक्षों के लिए बाध्यकारी बनाया गया है जबकि मानवाधिकार सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को सरकारों के विवेकाधीन रखा गया है।

इस प्रोटोकॉल में सरकारों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की सूची दी गई है। यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा कि मानव व्यापार पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों को भी इन प्रावधानों का अधिकतम संभव सीमा तक पालन करना चाहिए।

इस प्रोटोकॉल में दिए गए मानव व्यापार पीड़ितों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिनका एनजीओ भी पालन कर सकते हैं :

अनुच्छेद 6 – मानव व्यापार पीड़ितों की सहायता व सुरक्षा

मानव व्यापार के शिकार व्यक्तियों की प्राइवेसी और पहचान को बचाए रखना, जिसमें इस अपराध से संबंधित क़ानूनी कार्रवाइयों को गोपनीय बनाए रखना भी शामिल है।

यह सुनिश्चित करना कि मानव व्यापार पीड़ितों को निम्नलिखित के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े:–

(क) संबंधित न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्रवाइयों के बारे में जानकारी;

(ख) अपराधियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई के विभिन्न चरणों में अपनी राय और चिंताएं व्यक्त करने का मौका।

मानव व्यापार पीड़ितों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक राहत के साथ–साथ निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराना:–

(क) समुचित आवास

(ख) काउंसलिंग व सूचनाएं, विशेष रूप से उनके क़ानूनी अधिकारों के बारे में, एक ऐसी भाषा में जो पीड़ित व्यक्ति आसानी से समझ सकें;

(ग) चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिकी एवं भौतिक सहायता; तथा

(घ) रोज़गार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर।

मानव व्यापार के पीड़ितों की उम्र, जेंडर और विशेष आवश्यकताओं, ख़ासतौर से बच्चों की ख़ास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास, शिक्षा और देखभाल सहित विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना।

मानव व्यापार पीड़ितों की शारीरिक सुरक्षा की व्यवस्था करना।

मानव व्यापार पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने की संभावना का पता लगाना।

सीमा पार ख़रीद–फ़रोख़्त के मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा के लिहाज से प्रोटोकॉल में उल्लिखित सरकारी भूमिका

अनुच्छेद 7 – ग्राहक देशों में मानव व्यापार पीड़ितों की स्थिति

मानवतावादी एवं अनुकम्पा आधारित कारकों पर समुचित ध्यान देते हुए विधायी या ऐसे उचित प्रावधानों पर विचार करना जिनके ज़रिए मानव व्यापार के पीड़ित व्यक्ति तात्कालिक या स्थायी रूप से उस देश के भू–भाग में रह सकें।

अनुच्छेद 8 – सीमा पार ख़रीद–फ़रोख़्त के पीड़ितों की स्वदेश वापसी

पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा पर समुचित ध्यान देते हुए बिना किसी उचित देरी के उसे जल्दी से जल्दी उसके देश में वापस भेजने में मदद की जाए।
पीड़ित को ऐसे यात्रा दस्तावेज़ या अन्य अधिकार पत्र जारी किए जाएं जिनके सहारे वह उस देश या इलाके में आसानी से जा सके जहां उससे संबंधित मुकदमा चल रहा है।

भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2002 को युनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस ऐण्ड पनिश ट्रेफ़िकिंग इन पर्सन्स, एस्पेशियली वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन अभी भारत सरकार ने इस प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन नहीं किया है।

दासता विरोधी अंतराष्ट्रीय (एंटी स्लेवरी इंटरनैशनल) द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण कदम

जिन लोगों के बारे में यह शंका दिखाई देती है कि उनको ख़रीदा या बेचा गया है, ऐसे सभी लोगों को नीदरलैंड्स के कानून की तर्ज पर कम से कम 3 महीने का एक 'रिफ़्लेक्शन डिले' (Reflection Delay) मिलना चाहिए।

रिफ़्लेक्शन डिले के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों को अपनी स्थिति से उबरने और अपने सामने मौजूद विकल्पों पर विचार करने के लिए कुछ समय तक कानूनन उस देश में रहने का मौका मिलता है जहां उनकी उपस्थिति सामान्य रूप से गैर–कानूनी होती है। तीन महीना एक सही अवधि है जिसके दौरान पीड़ित व्यक्ति अपने अगले कदम के बारे में सोच–विचार कर फैसला ले सकता है और यह तय कर सकता है कि उसे अपने साथ दुष्कृत्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ दीवानी अदालत में कार्यवाही करनी है या फौजदारी अदालत में।

रिफ़्लेक्शन डिले के साथ पीड़ित व्यक्ति को ऐसी विशेष सेवाओं का लाभ भी मिलना चाहिए जिनके जरिए उसे उचित आवासीय, कानूनी, डॉक्टरी, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सहायता मुहैया कराई जा सकती है।

मानव व्यापार के शिकार जो व्यक्ति न्याय चाहते हैं और अपने साथ दुष्कृत्य करने वालों के खिलाफ बयान देना चाहते हैं उनकी व्यापक सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि न केवल उन्हें पुलिस किसी भी तरह की यातना से सुरक्षा प्रदान करे बल्कि उन्हें औपचारिक व अनौपचारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और रक्षा व्यवस्थाओं तक पहुंच मुहैया कराई जाए।

जिन देशों में दीवानी कानून चलता है वहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को अलग से वकील या एडवोकेट दिया जाए जो फौजदारी मामले में उनका प्रतिनिधित्व कर सके।

मानव व्यापार के शिकार व्यक्तियों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालत में किस तरह के इंतज़ाम मौजूद हैं। यह बात उन्हें मुकदमा शुरू होने के पहले ही बता दी जानी चाहिए।

मुकदमे के समय सबूत देने के लिहाज से संबंधित देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित गवाह सुरक्षित ढंग से अपने बयान और सुबूत पेश करें। इन देशों को इस बात का भी ख़याल रखना चाहिए कि पीड़ितों को अदालत में दोबारा वैसे ही अपमानजनक और यातनापूर्ण हालात का सामना न करना पड़े जिनसे वे अभी निकले हैं। मिसाल के तौर पर, शपथ, दर्जशुदा बयानों, विडियो लिंक तथा जनता की अनुपस्थिति में मुकदमे से पहले की गई सुनवाई जैसी व्यवस्था में ऐसा हो सकता है। गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने के साथ–साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आरोपियों को भी निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार होता है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पीड़ित गवाहों को अदालत में एक अलग स्थान भी दिया जाना चाहिए ताकि मानव व्यापारियों (आरोपियों) के परिचितों या परिजनों के साथ उनकी मुठभेड़ की गुंजाइश न रहे। यह सुनिश्चित करने में वकील एक अहम भूमिका निभा सकते हैं कि पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा हो, खासतौर पर अदालती कार्यवाही के बारे में सूचना के उनके अधिकार का हनन न हो और ख़रीद–फ़रोख़्त के शिकार व्यक्तियों को पीड़ित के रूप में मान्यता मिले। पीड़ितों को कानूनी सुनवाई और क्षतिपूर्ति दिलाने के लिहाज से यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

अपने साथ हुए अपराधों के कारण पीड़ितों को आय का जो नुकसान हुआ है और उन्होंने जो कष्ट झेले हैं, उनका हर्ज़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तभी पीड़ितों को मुकदमा लड़ने और अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए आवाज उठाने का साहस और कारण मिलेगा।

कानून को लागू करने वाले अधिकारियों (जैसे पुलिस और आव्रजन विभाग) तथा न्यायपालिका (सरकार वकील, न्यायाधीश, वकील आदि) और सेवा प्रदाता (जैसे चिकित्सा, प्रवासी, शरणार्थी, टेड्र यूनियन आदि संगठन) को यह समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि स्थितियां कितनी जटिल हैं और अपनी कमजोर स्थिति के कारण पीड़ितों को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है।

ख़रीद–फ़रोख़्त के शिकार व्यक्ति जिस तरह मानवाधिकारों की अवहेलना का शिकार बनते हैं उसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए और समाज को संवेदनशील बनाया जाए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उससे क्या परिणाम सामने आते हैं।

मानव व्यापार के पीड़ित व्यक्तियों के उपचार की निर्धारित प्रणाली और दिशानिर्देशों का ज्यादा से ज्यादा प्रसार और क्रियान्वयन करें।

दासता के मानव व्यापार जैसे आधुनिक स्वरूपों को संबोधित करने के लिए मौजूदा दासता विरोधी प्रावधानों को लागू करें।

पीड़ित व्यक्तियों के लिए आश्रय और सुरक्षित आवास के विविध विकल्प होने चाहिएं।

भारत में पीड़ितों की सुरक्षा व सहायता की व्यवस्था – महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान एवं फैसले

कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत सरकार[12] के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यौन हमले के पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने के साथ ही कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल जाता है। पुलिस को चाहिए कि वह इस अधिकार के बारे में पीड़ितों को जरूर जानकारी दे।

प्राइवेसी के बारे में पीड़ितों का अधिकार

पंजाब सरकार बनाम गुरमीत सिंह[13] के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि "अदालतों को चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो अपने आदेशों में वादी का नाम प्रकट न करें ताकि किसी यौन अपराध के शिकार व्यक्तियों को और अधिक प्रताड़ना व शर्मिंदगी से बचाया जा सके। जहां तक संभव हो शुरू से आखिर तक पीड़ित का नाम गोपनीय रखा जाना चाहिए।" बलात्कार पीड़ित महिलाओं का नाम उजागर न करने की अहमियत को दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत सरकार, 1995 (1 एससीसी 14) में भी दोहराया गया है।

प्रतिष्ठा हनन के विरुद्ध अधिकार

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 की उपधारा (3) के नीचे एक उपबन्ध जोड़कर बलात्कार की शिकार महिला को एक विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रावधान के चलते अब उसे उसके पिछले चरित्र के बारे में अनावश्यक सवाल–जवाब पूछकर परेशान नहीं किया जा सकता।

12 1995 (1) एससीसी 14

13 1996 (2) एससीसी 384

इसी प्रकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ए) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई पीड़ित अदालत के सामने यह बयान देती है कि उसने सहमति नहीं दी थी और यह भी साबित हो जाता है उसके साथ यौन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो अदालत यह मानकर चलेगी कि इस संबंध के पीछे महिला की सहमति शामिल नहीं थी। अगर आरोपी इस बात से इनकार करता है तो सहमति को साबित करने के लिए जरूरी सुबूत जुटाने या इस बात को साबित करने का जिम्मा उसी पर होगा।

बच्चों के अनुकूल अदालती प्रणालियों का अधिकार

बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000, में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेश्यावृत्ति के हालात में फंसे बच्चे देखभाल व सुरक्षा के हकदार होते हैं। आई.टी.पी.ए. की धारा 8 में ऐसे बच्चों को अपराधियों की श्रेणी में रखा गया है जो ग्राहकों को फुसलाते या आकर्षित करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे में नागर समाज संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए कि ऐसे बच्चों को भी बाल न्याय अधिनियम, 2000 (2006 में संशोधित) के तहत देखभाल और सुरक्षा के हकदार बच्चों के रूप में देखा जाए।

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, (आई.टी.पी.ए.) में भी अब संशोधन किया जा रहा है ताकि उसकी धारा 8 को हटाया जा सके और वेश्यावृति के लिए ग्राहकों को फुसलाते पाए जाने की क्रिया को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला जा सके। संशोधन के माध्यम से इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि व्यावसायिक यौन शोषण तथा इसके लिए ख़रीद–फ़रोख़्त से संबंधित मामलों की सुनवाई कैमरे के सामने हो।

कैमरे के सामने सुनवाई के बारे में

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 327 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि बलात्कार जैसे कुछ खास यौन अपराधों की सुनवाई धारा 376, 376–ए, 376–बी, 376–सी और 376–डी (आईपीसी) के तहत कैमरे के सामने की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में एक खास व्यक्ति अदालती कक्ष तक पहुंच के लिए आवेदन दे सकता है और पीठासीन न्यायाधीश से अनुमति मांग सकता है या पीठासीन न्यायाधीश विवेकानुसार उस व्यक्ति को न्यायालय के कक्ष में उपस्थित रहने की इजाज़त दे सकता है।

पंजाब सरकार बनाम गुरमीत सिंह[14] – गवाहों या पीड़ितों की सुरक्षा के लिहाज से कैमरे के सामने सुनवाई के महत्व का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि "इससे पीड़ित तुलनात्मक रूप से सहज महसूस करेंगी और क्योंकि आस–पास का माहौल जाना–पहचाना नहीं होगा इसलिए वे सवालों का जवाब ज्यादा आसानी से दे पाएंगी। कैमरे के सामने होने वाली सुनवाई न केवल पीड़ित के स्वाभिमान की रक्षा के लिहाज से उपयुक्त और कानून की भावना के अनुरूप है बल्कि इससे किसी वादी द्वारा दिए जा रहे साक्ष्य की गुणवत्ता में भी सुधार आ सकता है क्योंकि यहां पीड़ित महिला खुल कर अपनी बात कहने में वैसी हिचकिचाहट या शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी जैसी वह खुली अदालत में महसूस करती जहां जनता उसे लगातार घूर रही होती है। उसके सुबूत/बयान में सुधार आने से अदालतों को भी सच्चाई पर पहुंचने और सच–झूठ के बीच फर्क करने में मदद मिलेगी।" अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो ऐसे मुकदमे महिला न्यायाधीशों के सामने ही चलाए जाने चाहिएं ताकि वादी महिलाएं ज्यादा सहज ढंग से बयान दे सकें और अदालत को अपने दायित्वों का निर्वाह करने में मदद दे सकें और सच्चाई को कठोर तकनीकी बंदिशों की बलि वेदी पर कुर्बान न होना पड़े।[15]

साक्षी बनाम भारत सरकार एवं अन्य[16] – 26 मई 2004 को दिए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बच्चों पर होने वाले यौन हमले के सभी मामलों में मुकदमा कैमरे के सामने चलाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित और आरोपी के बीच एक पर्दा होना चाहिए, जिरह के दौरान पूछे जाने वाले सवाल लिखकर अदालत के पीठासीन अधिकारी को दिए जाने चाहिए जो उन्हें पीड़ित को या गवाह को स्पष्ट और गैर–अपमानजनक भाषा में समझा सकता है। मुकदमे के दौरान बाल दुराचार के शिकार या बलात्कार पीड़ितों को जरूरत के हिसाब से समय–समय पर विश्राम दिया जाना चाहिए।

राज्य बनाम फ्रेडी पीट्स एवं अन्य[17] – अदालत ने निर्देश दिया कि बाल यौन दुराचार के शिकार बच्चों के साथ सही ढंग का व्यवहार किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। यह प्रक्रिया कैमरे के सामने होनी चाहिए, अदालत में मौजूद लोग सादी वर्दी में हों, जहां मुकदमा चल रहा है वहां कोई पुलिस अधिकारी मौजूद न हो और बयान लेते समय आरोपी को बच्चे के सामने नहीं लाया/रखा जाए।

14 1996 (2) एससीसी 384

15 एआईआर 2004 एससी 3566

16 वही।

17 सेशंस केस संख्या 24/1992, आपराधिक अपील संख्या 4/1996

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान रिकॉर्ड करना

महाराष्ट्र सरकार बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई, 2003 (4) एससीसी 601 के मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत में यह पहला मौका था जब आपराधिक मुकदमे में अंतर्राज्यीय विडियो कॉन्फ्रें+सिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर इस फैसले को लागू किया जाता है तो मानव व्यापार के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा और पीड़ितों के मानवाधिकारों को सही मायनों में सम्मान प्रदान करने वाला कदम माना जाएगा।[18]

सीआरएल. डब्ल्यू. 532/1992 के मुकदमे में ("दि ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाम राज्य एवं अन्य" नामक जनहित याचिका जिसमें वेश्यावृत्ति से मुक्त कराई गई महिलाओं के अधिकारों का अध्ययन करने और उनके पुनर्वास की स्थिति का पता लगाने का सवाल उठाया गया था) 27 फरवरी 2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआरएल. एम. 1467/04 (दिल्ली न्यायालय द्वारा अपनी ओर से शुरू किया) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ितों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का ही परिणाम था कि दिल्ली के वेश्यालयों से रिहा कराई गयी लड़कियों को आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में उनके मूल निवास क्षेत्रों में भेजा गया और वहां उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। प्रज्जवल नामक हैदराबाद स्थिति एक एनजीओ की सहभागिता और सक्रियता के सहारे आंध्र प्रदेश सरकार ने पुनर्वास का काम भी किया। इसके बाद, मुकदमा शुरू होने पर दिल्ली की निचली अदालत ने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को अदालत में हाजिर होकर अपने शोषकों के खिलाफ बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन भेजा जिन्हें नेल्लौर जैसे दूरवर्ती जिलों में पुनर्वास दिया जा चुका था।

क्योंकि इन लड़कियों को दिल्ली के बचाव गृहों में काफी समय रखने के बाद ही मूल निवास क्षेत्रों में भेजा गया था इसलिए कायदे से उनके बयान उसी समय दर्ज कर लिये जाने चाहिए थे जिस समय वे बचाव गृहों में रह रही थीं। लेकिन मुकदमा शुरू होने में देरी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप, लड़कियों को दिल्ली आने के लिए सम्मन भेजे गए। आंध्र प्रदेश के सरकारी निकायों ने इन लड़कियों से सम्पर्क साधने और उन्हें मुकदमे में हिस्सा लेने के लिए राज़ी करने की भरसक कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। जब सरकारी निकाय सफल नहीं हो पाए तो एक बार फिर प्रज्जवल से मदद मांगी गई।

एनजीओ के प्रतिनिधियों को यह समझते देर नहीं लगी कि ये लड़कियां दिल्ली जाने से इसीलिए कतरा रही हैं क्योंकि वे वहां अपने साथ हुए भयानक अनुभवों को दोबारा याद नहीं करना चाहतीं। फलस्वरूप, तय किया गया कि इन लड़कियों के बयान दर्ज करने के लिए निचली अदालत को ही इन लड़कियों के कस्बों में लाया जाए। लेकिन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के कमी के कारण अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

तब इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाया गया। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे कोई और विकल्प पेश करें। क्योंकि नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के पास जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं इसलिए सरकार और एनजीओ के वकीलों ने अपनी ओर से पहल लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत शुरू की और पता लगाया कि नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अदालती कार्रवाई के लिए यह सुविधा मुहैया कराने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ितों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आंध्र प्रदेश सरकार इसके लिए जरूरी इंतजाम करे और निचली अदालत भी उन सभी रक्षात्मक प्रावधानों का पालन करे जिनका महाराष्ट्र सरकार बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई, 2003–04 एससीसी 601 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में उल्लेख किया गया था।

> महाराष्ट्र सरकार बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि "साक्ष्य मौखिक और दस्तावेज़ी, दोनों तरह के हो सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी सुबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपराधिक मामलों में भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में सुबूत पेश किए जा सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। आज विज्ञान और प्रोद्योगिकी इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अब अदालत में ही विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके कथनानुसार खुली अदालत में भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं।"

28 जुलाई 2004 को सीआरएल. डब्ल्यू.पी. संख्या 356/2003, शीर्षक शीबा अबदी बनाम सरकार एवं एक अन्य के मुकदमे में विद्वान एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी की ऐसे अपराधों में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि जिस समय बच्चा बयान दे रहा हो उस समय उसका पिता उसके पास मौजूद रहे और बचाव पक्ष का वकील बच्चे से जो सवाल पूछना चाहता है उन्हें वह सीधे पूछने के बजाय लिखकर पीठासीन न्यायाधीश को देगा। इसके बाद न्यायाधीश उन सवालों को बच्चे की समझ में आने वाली भाषा व शब्दावली के सहारे बच्चे को बताएंगे ताकि बच्चे को दोबारा अपमान से न गुजरना पड़े। बच्चे को बयान देने के लिए जरूरी सहायता की व्यवस्था की गई थी और फैसले में निर्देश दिया गया कि पीठासीन न्यायाधीशों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित बच्चे या गवाह से पूछताछ एक तनावमुक्त और दोस्ताना माहौल में होनी चाहिए तथा अगर यह काम दोपहर बाद किया जाए तो बेहतर होगा क्योंकि उस समय अदालत में भीड़–भाड़ काम रहती है।

18 ए रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, 2002 एनएचआरसी–यूनिफ़ेम–आईएसएस, पृष्ठ 296.

पुनर्वास, राहत एवं सहायता का अधिकार

मुआवज़े के बारे में

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत सरकार[19] के फैसले में यह निर्देश भी दिया गया कि बलात्कार से संबंधित मुकदमो में न केवल पीड़ितों की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए बल्कि आरोपी का अपराध साबित हो जाने पर अदालत की ओर से पीड़ित को मुआवज़ा भी दिया जाना चाहिए।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 में अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़े के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

पुनर्वास सहायता के बारे में

गौरव जैन बनाम भारत सरकार[20] – सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों तथा उनके बच्चों के पुनर्वास व कल्याण के बारे में विभिन्न निर्देश दिए हैं। इस मुकदमे में अदालत ने कहा कि आईटीपीए तथा जेजे अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने के लिए काउंसलिंग, cajoling तथा coercion बहुत जरूरी हैं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस तरह के पीड़ितों को आजीविका के अवसर व सुविधाएँ मुहैया कराए जाने चाहिएं जिसमें गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक भावना वाले व्यक्तियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अदालत ने शिक्षा, आर्थिक सहायता, आवास, कानूनी सहायता, निशुल्क काउंसलिंग सहायता और रोजगार की व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना।

सवेरा एवं अन्य बनाम गोवा सरकार एवं अन्य[21], रिट याचिका संख्या 365 (1997) में बंबई उच्च न्यायालय (गोवा पीठ) ने 21 जुलाई 2003 को फैसला सुनाने के साथ–साथ व्यावसायिक सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के बारे में भी निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए :

1. राज्य सरकार कामत कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई करे।
2. गौरव जैन बनाम भारत सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
3. जिला कलेक्टर को आईटीपीए तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत आवश्यक कदम उठाने चाहिएं ताकि "कोठरियों (क्यूबिकल्स) को बंद किया जा सके। (बैना बीच पर यौन व्यापार के लिए 250 कोठरियों का इस्तेमाल किया जा रहा था) अगर उपरोक्त 250 कोठरियों का निर्माण अवैध है और उन्हें सरकारी जमीन अथवा स्थानीय निकायों की जमीन पर बनाया गया है तो अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने तथा विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए कोठरियों को ढहाने के लिए कदम उठाए जाएं।"
4. राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिएं ताकि कामत कमेटी के निष्कर्षों के अनुसार ठेके पर व्यावसायिक सेक्स वर्कर्स को गोवा में लाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके।
5. क्योंकि व्यावसायिक सेक्स वर्कर्स को गोवा के बाहर से लाया जा रहा है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों में उल्लिखित विशेष निर्देशों के अलावा गोवा सरकार के ऊपर उनके पुनर्वास की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिन व्यावसायिक सेक्स वर्कर्स को आजाद कराया गया है उन्हें उन राज्यों में वापस भेज दिया जाए जहां से उन्हें लाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर गोवा महिला आयोग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि इन महिलाओं का उन राज्यों में पुनर्वास किया जा सके जहां से वे आयी हैं।
6. राष्ट्रीय महिला आयोग को कामत कमेटी रिपोर्ट को लागू करने के बारे में की गई कार्रवाई पर 9 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

एचआईवी/एड्स तथा व्यावसायिक यौन शोषितों के अधिकार

व्यापक जनता बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य[22] के मुकदमे में अदालत ने आईटीपीए के समुचित क्रियान्वयन का निर्देश दिया और बचाए गए नाबालिग बच्चों के रहन–सहन के बारे में अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यवस्था तय की। जहां एक तरफ अदालत ने यह आदेश दिया कि एड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता पैदा की जाए वहीं दूसरी तरफ उसने यह तय भी कर दिया कि यौन शोषण के सभी पीड़ितों की एचआईवी/एड्स के लिए जबरन जांच नहीं की जानी चाहिए और जब भी जांच की जाए तो उसके लिए एक सही प्रक्रिया का पालन किया जाए। फैसले में कहा गया था कि बचाए गए पीड़ितों का पुनर्वास करते हुए उनके हितों को ध्यान में रखा जाए।

19 1995 (1) एससीसी 14

20 एआईआर 1997 एससी 3021

21 ए रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, 2002 एनएचआरसी–यूनिफेम–आईएसएस, पृष्ठ 296.

22 रिट याचिका संख्या 112 (1996 एवं 1997) (4) बीओएम सीपी 171.

भारत में औरतों और बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त पर केंद्रित एनएचआरसी–आईएसएस–यूनिफेम रिपोर्ट (2002–2003) की कुछ सिफारिश

न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों के हित और नजरिये को केंद्र में रखा जाए। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि इन लोगों के अधिकारों का किस हद तक उल्लघंन हुआ है।

- प्रत्येक आपधारिक कृत्य में न केवल कृत्य बल्कि उसका इरादा भी साबित होना चाहिए। अगर इरादा अनुपस्थित है तो व्यक्ति को आईटीपीए के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, जांच अधिकारियों और अभियोजन पक्ष को देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर आईटीपीए की धारा 8 के अंतर्गत आरोप लगाया गया है क्या उसके पास उस अपराध को करने का कोई इरादा/कारण था या नहीं। यह बात सुविदित है कि ख़रीदी/बेची गई औरत/लड़की को मानव व्यापारी या अन्य शोषक डराकर, धमकाकर, फुसलाकर, धोखा देकर या मजबूर करके उसकी सहमति हासिल कर लेते हैं। ऐसी सूरत में औरत को आरोपी की बजाय केवल गवाह के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर कोई सचेत इरादा दिखाई नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी को फुसलाने के आरोप में दंडित नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए।

संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि शहर की किसी फास्ट ट्रैक अदालत ने फटाफट कोई फैसला सुनाया है। यह फैसला एक ऐसी औरत के बारे में दिया गया है जिसे साल भर पहले बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। 23 अप्रैल को फास्ट ट्रैक सत्र अदालत ने अपहरण की गई दो नाबालिग लड़कियों – सलमा और ख़ैरून (नकली नाम) – को ख़रीदने और उन्हें कैनेडी ब्रिज, ग्रांट रोड के पास एक वेश्यालय में वेश्यावृति के लिए मजबूर करने के अपराध में फरीदा पठान को दोषी पाया। इन दोनों लड़कियों को पिछले साल फरवरी में एक छापे के दौरान आजाद कराया गया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है।

क्योंकि बच्चों और औरतों की ख़रीद–फ़रोख़्त से संबंधित मामलों में फैसले तक आमतौर पर 5–6 साल लग जाते हैं। सलमा और ख़ैरून को इंसाफ पाने में दो चीजों से काफी मदद मिली। एक वजह तो यह थी कि सत्र अदालत में इकट्ठा होते जा रहे मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में भेज दिया गया था। इसके बाद दूसरा कारण था आईजेएम की सक्रियता।

पठान (39 वर्ष) को जुलाई में गिरफ़्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसे पीआईटीए की तीन धाराओं और आईपीसी व सीआरपीसी के तहत अधिक–से–अधिक सात साल की सजा दी गई थी।

मनोज नायर, 16 मई, 2004

स्रोत– www1.mid-day.com/news/city/2004/may/83397.htm

- ऐसे मामले की जांच और मुकदमा एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। अगर पीड़ित व्यक्ति कहीं और का/की है तो उसका बयान दर्ज होने और जिरह तक उसे किसी आफ़्टर केयर होम में रखा जाना चाहिए। अगर उसे स्वदेश भेजा जा चुका है तो बीच–बीच में उसे अदालत में बुलाना पड़ सकता है। ऐसे में गवाहों को बहुत परेशानी होती है। इसीलिए, मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा जरूरी है।
- पीड़ितों और आरोपियों को क्रमशः जिन संरक्षण गृहों और सुधारक संस्थाओं में रखा जाता है उनकी कार्यप्रणाली को दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया में शामिल लोग दोनों तरह के संस्थानों का फर्क अच्छी तरह समझते हों।
- संरक्षण गृहों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं। इस विषय में संबंधित प्रशिक्षुओं को ज्यादा–से–ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे अपनी इच्छा और हुनर के हिसाब से नई चीजें सीख सकें और उनका सशक्तिकरण हो।
- बचाव और राहत कार्यों के साथ कांउसलिंग भी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
- आपराधिक न्याय व्यवस्था पीड़ितों के हित में, उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील और पीड़ितों की प्रतिष्ठा व मानवाधिकारों के प्रति समर्पित होनी चाहिए। मुकदमे के दौरान भी अदालतों को यही रवैया अपनाना चाहिए। इसके लिए वीडियो कॉनफ्रेंसिंग जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो पीड़ितों के लिए ज्यादा सुविधाजनक रहती है।
- इस तरह के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए कम से कम प्रायोगिक आधार पर ही सही, आदर्श न्यायालयों एवं पुलिस थानों का गठन किया जा सकता है। इस मुद्दे पर सक्रिय विभिन्न सरकारी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच अच्छी साझेदारी होनी चाहिए।
- जांच के दौरान मानव व्यापार का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मचारियों को इस काम का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जांच प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि समूचे मानव व्यापार तंत्र को बेनकाब किया जा सके। पुलिस जो तरीके अपनाती है वे पीड़ितों के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह और फायदेमंद होने चाहिए। पीड़ितों के मानवाधिकारों को लगातार ध्यान में रखा जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह वक्त पर हाजिर हों ताकि मुकदमे में किसी तरह की देरी न हो पाए। यह सुनिश्चित करने में अदालतों की एक अहम भूमिका बनती है कि पुलिस और अभियोजन पक्ष इन नियमों का पूरी तरह पालन करें।
- मामले का फैसला सुनाने और सजा/जुर्माने की व्यवस्था करते समय न्यायिक विवेक पीड़ितों/सर्वाइवर के हितों पर केंद्रित होना चाहिए।

- मानवाधिकार हनन के सभी मामलों में पीड़ितों की क्षतिपूर्ति पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मानव व्यापार कई बुनियादी अधिकारों के चरम उल्लघंन को जन्म देता है इसीलिए पीड़ित/सर्वाइवर की क्षतिपूर्ति पर पूरी संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए।

लैंगिक न्याय एवं न्यायिक प्रक्रियाएं

न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया और लैंगिक न्याय से संबंधित आयामों के बारे में लिखते हुए देश के मुख्य न्यायधीश* ने हाल ही में अदालतों के लिए श्रेष्ठ आचरण सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया था। उनका कहना था कि :

सैद्धांतिक रूप से और कड़े शब्दों में कहा जाए तो किसी न्यायाधीश को किसी ऐसी महिला की तरफदारी करने या उसके प्रति नरम रवैया अपनाने की जरूतर नहीं होनी चाहिए जिसे अदालत के सामने एक सामान्य गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन, व्यवहार के धरातल पर न्यायाधीश इस बात को ध्यान में रखते हैं कि चाहे किसी पक्ष के रूप में हो या गवाह के रूप में, या किसी तरह के अपराध अथवा उत्पीड़न की शिकार हो, अगर कोई महिला अदालत में आती है तो उसके प्रति संवेदनशीलता और सहृदयता का रवैया अपनाया जाए ताकि अदालती कार्यवाहियों के दौरान उसका आत्मविश्वास न टूटे। इस क्रम में कुछ तरीके सही पाए गए हैं जो न्याय की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते। ये तरीके इस प्रकार हैं :

1. अदालत में उपस्थित होने के समय महिलाओं के साथ सौम्य और प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार किया जाए। अदालत के भीतर या आस–पास उपस्थित किसी भी व्यक्ति की ओर से ऐसी किसी भी टीका–टिप्पणी, भाव–भंगिमा या किसी भी हरकत के साथ बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए जो संबंधित स्त्री के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकती है।
2. अदालत में किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। यह सुरक्षा अदालत में उपस्थित या पेश होने वाली किसी भी महिला को मिलनी चाहिए चाहे वह अदालत की कर्मचारी हो या मुकदमे से संबंधित पक्ष हो या कोई गवाह हो या कानूनी व्यवसाय से जुड़ी महिला हो। इस आशय का संदेश बहुत साफ जाना चाहिए कि औरतों की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानजनक किसी भी व्यवहार को अदालत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
3. औरतों से संबंधित अदालती प्रक्रिया समय पर शुरू होनी चाहिए और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़नी चाहिए ताकि मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके और संबंधित महिलाओं को बार–बार अदालतों में धक्के न खाने पड़ें।
4. महिलाओं से पूछताछ और जिरह का काम अदालत को खुद या पीठासीन न्यायाधीश के प्रत्यक्ष दिशानिर्देश में करना चाहिए।
5. बार की महिला सदस्यों को इस व्यवसाय में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें गवाहों के बयान दर्ज करने तथा जांच–पड़ताल के लिए कोर्ट कमिश्नर आदि पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।
6. कानूनी सहायता प्रदान करने या ऐमिकस क्यूरी की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए महिला वकीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि अदालत में उनकी हाजिरी और असरदार रहे।
7. औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि मामला जल्दी से जल्दी खत्म हो और न्याय के उद्देश्यों की रक्षा की जा सके।

*माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.सी. लहोटी, जुडीशियरी ऐण्ड जेंडर जस्टिस, एनजेए ओकेज़नल पेपर्स नं. 3 (2004)।

निष्कर्ष

प्रत्येक मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन, लोगों की आवाजाही ख़ालिस समाजशास्त्रीय परिघटना भी नहीं होती। यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें उनके नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार, और उनकी स्वतंत्रता व सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ जाती है। जब इस तरह की आवाजाही शोषण पर आधारित होती है तो उसे फौरन रोका जाना चाहिए क्योंकि वह मानव व्यापार या मानव तस्करी की प्रक्रिया बन जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव व्यापार को साबित करना काफी मुश्किल होता है। शोषण की बात अकसर तब सामने आती है जब पीड़ित व्यक्ति अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच चुका होता है। कहने का मतलब यह है कि जब मानव व्यापार साबित होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक अपराध पूरा हो चुका होता है और समुचित वैधानिक प्रक्रिया के जरिए पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और कानूनी सहायता के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। यह भी एक अहम वजह है जिसके चलते सरकारें, द्विपक्षीय निकाय एवं अन्य निकाय मानव व्यापार की रोकथाम के मुकाबले बचाव और पुनर्वास कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर देते हैं। यहां तक कि जनजागृति और शिक्षा के उद्देश्य से तैयार की जा रही आईईसी सामग्री में भी इस बात पर ही ज्यादा जोर दिया गया है कि किसी व्यक्ति की ख़रीद–फ़रोख़्त हो चुकने के बाद क्या–क्या किया जा सकता है, ऐसी स्थिति के बारे में कानून क्या कहता है, पीड़ितों के क्या अधिकार होते हैं आदि। यह हैंडबुक इसी दिशा में एक प्रयास है।

सीएसीटी के बारे में

सीएसीटी – बाल व्यापार विरोधी अभियान (भारत), अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यापार विरोधी अभियान (आईसीएसीटी) का हिस्सा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय टीडीएच फेडरेशन तथा उसके अन्य यूरोपीय अध्यायों से समर्थन और सहायता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय अभियान दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, दक्षिण एवं पश्चिम अफ़्रीका, यूरोप और अमेरिका, इन 6 क्षेत्रों में सक्रिय है।

12 दिसंबर 2001 को औपचारिक रूप से नई दिल्ली में शुरू किया गया सीएसीटी फिलहाल देश के 17 राज्यों – आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल – में फैल चुका है।

सीएसीटी का मानना है कि जीवन, विकास, सुरक्षा और सहभागिता सभी बच्चों के अविभाज्य अधिकार हैं। बच्चों की ख़रीद–फ़रोख़्त इन अधिकारों का बर्बर हनन है।

यह अभियान एक ऐसे विश्व और समाज की रचना के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है जहां बच्चों को ख़रीदी–बेची जाने वाली वस्तु के रूप में न देखा जाता हो, जहां इंसानियत की बुनियाद बच्चों की स्वाधीनता, प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी खुशहाली पर टिकी हो, न कि उनके शोषण और दुराचार पर।

हमारा उद्देष्य है
बाल व्यापार को रोकना!

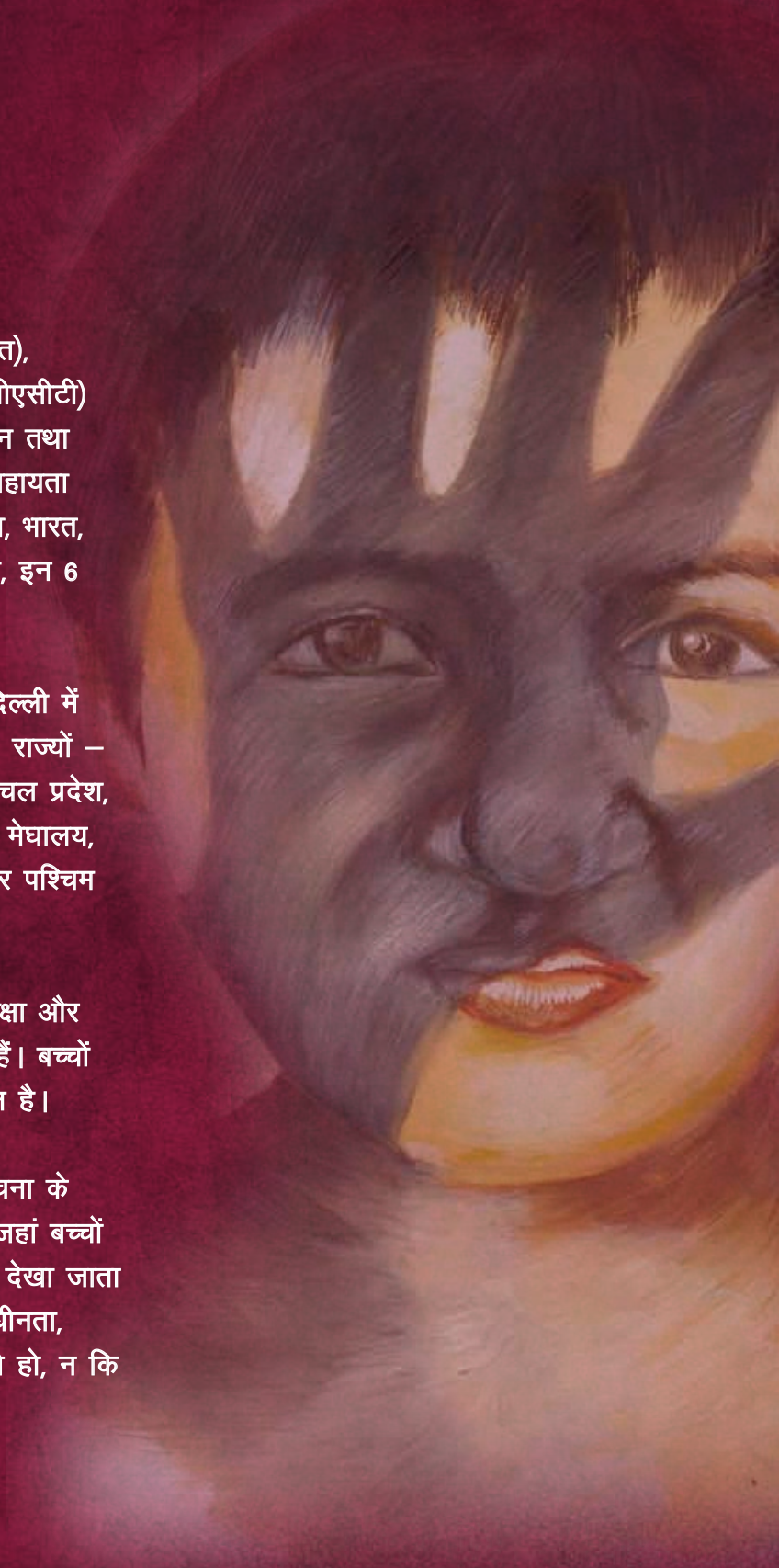

HAQ Centre for Child Rights

CACT Campaign Against Child Trafficking